खण्ड-174, अंक-1
सोमवार, 25 आषाढ़, शक संवत् 1878
(16 जुलाई, 1956 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 174 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५६

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
सोमवार, १६ जुलाई, १९५६	
उपस्थित सदस्यों की सूची	१–५
प्रश्नोत्तर	५–११
३० अप्रैल, १९५६ के तारांकित प्रश्न ४७ और ४८ के उत्तरों का शोधन	११–१५
विशेषाधिकार के तीन प्रश्नों की सूचना (स्थगित)	१५
डिस्ट्रिक्ट हैन्डलूम वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी, मऊनाथ भंजन द्वारा गबन तथा जालसाजी किये जाने के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (सदन ने अनुज्ञा नहीं दी)	१५–१९
एक ही दिन एक से अधिक वैध कार्य-स्थगन प्रस्तावों को न लेने के संबंध में श्री अध्यक्ष का निर्णय	१९–२०
सरकार में अविश्वास के प्रस्ताव की सूचना (स्थगित) ..	२०
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५५ (राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	२०–२१
उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५६ (राष्ट्रपति की अनुमति की घोषणा)	२१
उत्तर प्रदेश, बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५६ (राष्ट्रपति की अनुमति की घोषणा) ..	२१
गोरखपुर विश्वविद्यालय विधेयक, १९५६ (राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	२१
उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी नियमावली, १९५४, में कृत संशोधन (मेज पर रखे गये)	२१
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली में कृत संशोधन (मेज पर रखे गये)	२२
युक्त प्रांतीय बिक्री-कर नियम, १९४८, में कृत संशोधनों की चौथी सूची (मेज पर रक्खी गयी)	२२
आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) अध्यादेश, १९५६ (मेज पर रखा गया)	२२
आगरा यूनिवर्सिटी कोर्ट के लिये पांच सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	२२
आगरा यूनिवर्सिटी की स्थापना के विषय में जानकारी की मांग ..	२३
कार्य मंत्रणा समिति, वित्त समिति तथा कतिपय स्थायी समितियों के निर्वाचन कार्यक्रम में परिवर्तन की सूचना	२३
श्री बाबूलाल मीतल का स्थान रिक्त घोषित करने का प्रस्ताव (अस्वीकृत)	२३–२७
उत्तर प्रदेश तकावी विधेयक, १९५४ (वापस लिया गया) ..	२७–२९
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के १९५२–५३ तथा १९५३–५४ के प्रतिवेदनों पर विवाद (जारी)	२९–४१

विषय	पृष्ठ-संख्या
अधिष्ठाता मंडल के लिये मनोनीति सदस्यों के नामों की सूचना ..	३६
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के १९५२–५३ तथा १९५३–५४ के प्रतिवेदनों पर विवाद (समाप्त)	३७–६५
नत्थी	६६

मंगलवार, १७ जुलाई, १९५६

उपस्थित सदस्यों की सूची	६७–७०
प्रश्नोत्तर	७१–७६
श्री राजनारायण, श्री नारायणदत्त तिवारी तथा श्री जगन्नाथ मल्ल द्वारा उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न (पहले दो स्थगित, तीसरा विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट)	७६–८८
श्री रामलखन, एम० एल० ए०, की गिरफ्तारी के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न (स्थगित)	८८–८९
बनारस में १० जून को हुई घटना के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (दुरुस्त करने के लिये वापस किया गया) ..	८९
पश्चिमी जिलों व कुमायूं डिवीजन में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति पर विवादार्थ कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (जारी)	८९–९१
चकबन्दी योजना के अन्तर्गत अधिकारियों की पक्षपातपूर्ण नीति के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (अवैध घोषित)	९१
मंत्रिमंडल में अविश्वास के प्रस्ताव की सूचना (दुरुस्त करने के लिये वापस किया गया)	९१
पश्चिमी जिलों व कुमायूं डिवीजन में बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्ताव वापस लिया गया और विषय पर विवादार्थ ४ से ६ बजे तक का समय निर्धारित हुआ) ..	९१–९५
लखनऊ यूनिवर्सिटी कोर्ट के लिये ५ सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	९५–९६
गोरखपुर यूनिवर्सिटी की स्थापना के संबंध में जानकारी की प्रार्थना ..	९६
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के १९५२–५३ तथा १९५३–५४ के प्रतिवेदनों पर विवाद (समाप्त)	९६–१०६
जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली, १९५१ में किये गये संशोधनों पर विवाद (श्री उपाध्यक्ष ने संशोधन पेश करने की आनुज्ञा नहीं दी)	१०६–१०७
पंचायत राज नियमावली के संशोधित नियमों पर विवाद (संशोधन उपस्थित नहीं किये गये)	१०
मोटर विहिकिल्स रूल्स, १९४० में किये गये संशोधनों पर विवाद (संशोधन उपस्थित नहीं किये गये)	
टेहरी-गढ़वाल राजस्व पदाधिकारियों का (विशेषाधिकार) विधेयक, १९५६ (विचारोपरान्त पारित)	१०७–११२
उत्तर प्रदेश-रुई ओटने तथा उसकी गांठें बनाने के कारखानों का (संशोधन) विधेयक, १९५६ (विचारोपरान्त पारित)	११२–११३
वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, १९५५ (विवाद जारी) ..	११३–१२३

विषय	पृष्ठ-संख्या
पश्चिमी जिलों व कुमायूं डिवीजन में बाढ़ के विषय पर विवाद	१२३–१४५
अगले दिन के कार्यक्रम में परिवर्तन की सूचना	१४५–१४६

बुधवार, १८ जुलाई, १९५६

उपस्थित सदस्यों की सूची	१४७–१५०
प्रश्नोत्तर	१५०–१६५
श्री रामलखन की गिरफ्तारी के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किया गया)	१६५–१६८
विधान परिषद् सदस्य सरदार संतोषसिंह की हत्या के संबंध में सूचना	१६८–१६९
विधान भवन के बाहर भूख-हड़ताल करने वाले व्यक्तियों के विषय में पूछताछ	१६९–१७०
सदन के भावी कार्यक्रम के संबंध में पूछताछ	१७०
श्री रघुनाथप्रसाद, एम० एल० ए० की गिरफ्तारी के संबंध में सूचना	१७०
राक्कलन समिति, वित्त समिति तथा कतिपय परामर्शदात्री समितियों के निर्वाचन कार्य-क्रमों में परिवर्तन की सूचना	१७०
वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, १९५५ (विवाद जारी)	१७०–२०९
विशेषाधिकार समिति के लिये निर्वाचित सदस्यों के नामों की घोषणा	२०९
कार्य परामर्शदात्री समिति के लिये मनोनीत सदस्यों के नामों की घोषणा	२०९
नत्थी	२१०

मंगलवार, २४ जुलाई, १९५६

उपस्थित सदस्यों की सूची	२११–२१४
प्रश्नोत्तर	२१५–२२५
देवरिया जिले में हैजे की रोकथाम करने में स्वास्थ्य अधिकारियों की निष्क्रियता के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (स्थगित)	२२५
थाना अदलहाट, जिला मिर्जापुर, में पुलिस द्वारा लाठी चार्ज के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (स्थगित)	२२६–२२७
मंत्री-परिषद् के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव (सदन ने प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी)	२२७–२२९
कार्य-क्रम में परिवर्तन की सूचना	२२९
लखनऊ विश्वविद्यालय तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय कोर्ट के लिये नाम निर्देशित सदस्य	२२९
यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में किये गये संशोधन (मेज पर रखे गये)	२२९
पंचायतराज नियमावली (निर्वाचन नियम) में किये गये संशोधन (मेज पर रखे गये)	२३०
कुमायूं जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था विधेयक, १९५६ के खंडों पर टिप्पणियां (मेज पर रखी गयीं)	२३०–२३१
वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, १९५५ (विवाद जारी)	२३१–२७७
नत्थी	२७८–२७९

विषय - पृष्ठ-संख्या

बुधवार, २५ जुलाई, १९५६

उपस्थित सदस्यों की सूची २८१–२८४

प्रश्नोत्तर २८५–२९५

देवरिया जिले में हैजे की रोकथाम करने में स्वास्थ्य अधिकारियों की निष्क्रियता के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (सदन ने प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी) २९५–२९८

उत्तर प्रदेश मंदिर प्रवेश (अधिकार घोषणा) विधेयक, १९५६ (पुरःस्थापन स्थगित) २९८

वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, १९५५ (विचार जारी) .. २९८–३१४

उत्तर प्रदेश मंदिर प्रवेश (अधिकार घोषणा) विधेयक, १९५६ (पुरःस्थापित किया गया) ३१४–३१५

वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, १९५५ (विचार जारी) .. ३१५–३४५

नत्थियां ३४६–३५६

बृहस्पतिवार, २६ जुलाई, १९५६

उपस्थित सदस्यों की सूची ३५७–३६०

प्रश्नोत्तर ३६०–३६७

थाँना अदलहाट, जिला मिर्जापुर में पुलिस अत्याचार के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (अवैध घोषित) ३६७

वाराणसी में हरिजन मंदिर प्रवेश आन्दोलन में सत्याग्रहियों के साथ अमानुषिक व्यवहार के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (अवैध घोषित) ३६७–३७२

कुमायूं में भौमिक अभिलेख और सर्वेक्षण क्रियाओं की असंगतता तथा अव्यावहारिकता के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (अवैध घोषित) ३७२–३७३

वाराणसी जिले में सूखा और अनावृष्टि के कारण निर्दयतापूर्वक तकावी वसूली के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (अवैध घोषित) .. ३७३–३७४

लखनऊ और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कोर्ट के लिये निर्वाचित सदस्यों के नामों की घोषणा ३७४

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९५४ (राष्ट्रपति की अनुमति की घोषणा) ३७४–३७५

उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर विधेयक, १९५६ (राष्ट्रपति की अनुमति की घोषणा) ३७५

पुलिस के अत्याचार विषयक कार्य-स्थगन प्रस्ताव लाने के संबंध में जानकारी ३७५

संविधान एवं उसके संशोधन विधेयक की प्रतियों के प्राप्त करने के संबंध में जानकारी ३७५

दंड विधि (अपराधों के प्रशमन) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५६ (पुरःस्थापित किया गया) ३७६

वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, १९५५ (विचार जारी) .. ३७६–४२५

नत्थियां ४२६–४२९

विषय				पृष्ठ-संख्या
शुक्रवार, २७ जुलाई, १९५६				
उपस्थित सदस्यों की सूची	..	..	..	४३१–४३४
प्रश्नोत्तर ..	..	..	..	४३४–४४३
कुमायूं में भौमिक अभिलेख और सर्वेक्षण क्रियाओं की असंगतता तथा अव्यावहारिकता के संबंध में विवाद की मांग	..	..	..	४४४–४४६
याचिका समिति के मनोनीत सदस्यों के नामों की घोषणा ..	..	..	..	४४६
उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९५५ (राष्ट्रपति की अनुमति की घोषणा)	..	..	..	४४६
हरिजन संरक्षण (सेवा) विधेयक, १९५४ की प्रवर समिति के लिय नाम-निर्देशन				४४६–४४७
ऐतिहासिक टूटे फूटे, कच्चे, पक्के किलों, कोटों, पवित्र स्थानों और पुरानी बस्तियों के पुनर्निर्माण तथा पुनर्वासन संबंधी संकल्प (स्वीकृत)			..	४४९–४७३
न्याय पंचायतों को समाप्त करने के संबंध में संकल्प (विचार जारी)			..	४७३–४८९
नत्थी ..	..	..	..	४९०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शासन

राज्यपाल

श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुन्शी

मंत्रि-परिषद्

डाक्टर सम्पूर्णानन्द, बी० एस-सी०, विधान सभा सदस्य, मुख्य मंत्री तथा सामान्य प्रशासन एवं गृह मंत्री।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम, बी० ए०, एल-एल० बी०, विधान सभा सदस्य, वित्त, वन, सहकारिता तथा विद्युत् मंत्री।

श्री हुकुम सिंह, बी० ए०, एल-एल० बी०, विधान सभा सदस्य, कृषि तथा पुनर्वासन मंत्री।

श्री गिरधारीलाल, एम० ए०, विधान सभा सदस्य, रजिस्ट्रेशन तथा मादक-कर मंत्री।

श्री चन्द्रभानु गुप्त, एम०,ए०, एल-एल० बी०, विधान सभा सदस्य, नियोजन, स्वास्थ्य, उद्योग तथा अन्न मंत्री।

श्री सैयद अली जहीर, बार-ऐट-ला, विधान सभा सदस्य, न्याय तथा स्वशासन मंत्री।

श्री चरणसिंह, एम० ए०, बी० एस-सी०, एल-एल० बी०, विधान सभा सदस्य, माल तथा परिवहन मंत्री।

श्री हरगोविन्द सिंह, बी० एस-सी०, एल-एल० बी०, विधान सभा सदस्य, शिक्षा तथा हरिजन सहायक मंत्री।

श्री कमलापति त्रिपाठी, विधान सभा सदस्य, सूचना तथा सिंचाई मंत्री।

श्री विचित्रनारायण शर्मा, विधान सभा सदस्य, निर्माण मंत्री।

आचार्य जुगलकिशोर, एम० ए०, विधान सभा सदस्य, श्रम तथा समाज कल्याण मंत्री

उपमंत्री

श्री मंगलाप्रसाद, बी० ए०, एल-एल० बी०, विधान सभा सदस्य, सहकारिता उपमंत्री।

श्री जगमोहन सिंह नेगी, बी० ए०, एल-एल० बी०, विधान सभा सदस्य, वन उपमंत्री।

श्री फूलसिंह, बी० ए०, एल-एल० बी०, विधान सभा सदस्य, नियोजन उपमंत्री।

श्री जगनप्रसाद रावत, बी० एस-सी०, एल-एल० बी०, विधान सभा सदस्य, पुलिस उपमंत्री।

श्री मुजफ्फरहसन, विधान सभा सदस्य, कारावास उपमंत्री।

श्री राममूर्ति, एम० ए०, एल-एल० बी०, विधान सभा सदस्य, सिंचाई उपमंत्री।

श्री चतुर्भुज शर्मा, बी० ए०, एल-एल० बी०, विधान सभा सदस्य, माल उपमंत्री।

डाक्टर सीताराम, एम० एस-सी० (बिस), पी-एच०डी०, विधान सभा सदस्य, शिक्षा उपमंत्री।

श्री कैलाश प्रकाश, विधान सभा सदस्य, स्वशासन उपमंत्री।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य, विधान सभा सदस्य, निर्माण उपमंत्री।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सभा-सचिव

मुख्य मंत्री के सभा-सचिव

श्री कृपाशंकर, विधान सभा सदस्य।

नियोजन मन्त्री के सभा-सचिव

१—श्री बलदेवसिंह आर्य, विधान सभा सदस्य।

२—श्री बनारसी दास, विधान सभा सदस्य।

कृषि मन्त्री के सभा-सचिव

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी, एम०ए०, विधान सभा सदस्य

सूचना मन्त्री के सभा-सचिव

श्री लक्ष्मीशंकर यादव, विधान सभा सदस्य।

वित्त मन्त्री के सभा-सचिव

श्री धर्मसिंह, विधान सभा सदस्य।

श्रम मन्त्री के सभा-सचिव

श्री परमात्मानन्द सिंह, विधान परिषद् सदस्य।

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सदस्यों की वर्णात्मक सूची तथा उनके निर्वाचन-क्षेत्र

क्रम-सं०	सदस्य का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
१	अंसमानसिंह, श्री	..	बस्ती (पूर्व)
२	अक्षयवरसिंह, श्री	..	गोरखपुर (दक्षिण-पूर्व)
३	अजीज इमाम, श्री	..	मिर्जापुर (दक्षिण)
४	अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री	..	रुड़की (दक्षिण)
५	अनन्तस्वरूपसिंह, श्री	..	फतेहपुर (दक्षिण)—खागा (दक्षिण)
६	अब्दुल मुईज खां, श्री	..	खलीलाबाद (मध्य)
७	अब्दुल रऊफ खां, श्री	..	फतेहपुर (पूर्व)—खागा (उत्तर)
८	अमरेश चन्द्र पाण्डेय, श्री	..	मिर्जापुर (उत्तर)
९	अमृतनाथ मिश्र, श्री	..	उतरौला (दक्षिण)
१०	अली जहीर, श्री सैयद	..	लखनऊ नगर (मध्य)
११	अवधेशचन्द्रसिंह, श्री	..	छिबरामऊ (पूर्व)—फर्रुखाबाद (पूर्व)
१२	अवधेशप्रतापसिंह, श्री	..	बीकापुर (पूर्व)
१३	अशरफ अली खां, श्री	..	सादाबाद (पूर्व)
१४	आत्माराम गोविन्द खेर, श्री	..	झांसी (पूर्व)
१५	आर्थर ग्राइस, श्री	..	नाम-निर्देशित आंग्ल भारतीय
१६	आशालता व्यास, श्रीमती	..	फूलपुर (दक्षिण)
१७	इतिजा हुसैन, श्री	..	बुलन्दशहर (उत्तर-पश्चिम)
१८	इसरारुल हक, श्री	..	फिरोजाबाद—फतेहाबाद
१९	इस्तफा हुसैन, श्री	..	गोरखपुर (मध्य)
२०	उदयभानसिंह, श्री	..	डलमऊ (पूर्व)
२१	उमाशंकर, श्री	..	सगरी (पश्चिम)
२२	उमाशंकर तिवारी, श्री	..	चन्दौली (दक्षिण-पश्चिम)—रामनगर
२३	उमाशंकर मिश्र, श्री	..	नवाबगंज (दक्षिण)—हैदरगढ़—रामसनेही घाट
२४	उम्मेदसिंह, श्री	..	उतरौला (उत्तर-पूर्व)
२५	उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री	..	ऐतमादपुर—आगरा (पूर्व)
२६	ऐजाज रसूल, श्री	..	शाहाबाद (पश्चिम)
२७	ओंकारसिंह, श्री	..	दातागंज (उत्तर)—बदायूं
२८	कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री	..	शाहाबाद (पूर्व)—हरदोई (उत्तर-पश्चिम)
२९	कमलापति त्रिपाठी, श्री	..	चकिया—चन्दौली (दक्षिण-पूर्व)
३०	कमलासिंह, श्री	..	सैदपुर
३१	कमाल अहमद रिजवी, श्री	..	मोहम्मदी (पूर्व)
३२	करणसिंह यादव, श्री	..	गुन्नौर (उत्तर)
३३	करनसिंह, श्री	..	निघासन—लखीमपुर (उत्तर)
३४	कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु, श्री	..	इलाहाबाद नगर (मध्य)
३५	कल्याणराय, श्री	..	हजूर मिलक (उत्तर)
३६	कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री	..	चन्दौली (उत्तर)
३७	कालिकासिंह, श्री	..	लालगंज (दक्षिण)
३८	कालीचरण टण्डन, श्री	..	कन्नौज (उत्तर)
३९	काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री	..	कादीपुर
४०	किन्दरलाल, श्री	..	हरदोई (पूर्व)

क्रम-सं०	सदस्य का नाम	निर्वाचन क्षेत्र
४१	किशनस्वरूप भटनागर, श्री	खर्जा
४२	कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री	सुल्तानपुर (पश्चिम)
४३	कृपाशंकर, श्री	हरैया (पूर्व)—बस्ती (पश्चिम)
४४	कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री	सीतापुर (दक्षिण पूर्व)
४५	कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री	ललितपुर (दक्षिण)
४६	कृष्णशरण आर्य, श्री	मिलक (दक्षिण)—शाहाबाद
४७	केदारनाथ, श्री	मुरादाबाद (दक्षिण)
४८	केवलसिंह, श्री	सिकंदराबाद (पूर्व)
४९	केशभानराय, श्री	बांसगांव (मध्य)
५०	केशव गुप्त, श्री	कैराना (उत्तर)
५१	केशव पाण्डेय, श्री	गोरखपुर (उत्तर-पूर्व)
५२	केशवराम, श्री	सहसवान (पूर्व)
५३	कैलाशप्रकाश, श्री	मेरठ नगरपालिका
५४	खयालीराम, श्री	अमरोहा (पूर्व)
५५	खुशीराम, श्री	पिथौरागढ़—चम्पावत
५६	खूबसिंह, श्री	धामपुर (उत्तर-पूर्व)—नगीना (पूर्व)
५७	गंगाधर जाटव, श्री	फीरोजाबाद—फतेहाबाद
५८	गंगाधर मैठाणी, श्री	चमोली (पश्चिम)—पौड़ी (उत्तर)
५९	गंगाधर शर्मा, श्री	मिश्रिख
६०	गंगाप्रसाद, श्री	तरबगंज (दक्षिण-पूर्व)—गोंडा (दक्षिण)
६१	गंगाप्रसादसिंह, श्री	रसरा (पश्चिम)
६२	गजेन्द्रसिंह, श्री	बिबूना (पूर्व)
६३	गज्जूराम, श्री	मऊ-मोठ (दक्षिण)—झांसी (पश्चिम)—ललितपुर (उत्तर)
६४	गणेशचन्द्र काछी, श्री	मैनपुरी (उत्तर)—भोगांव (उत्तर)
६५	गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री	इलाहाबाद नगर (पूर्व)
६६	गणेशप्रसाद पांडेय, श्री	बांसगांव (दक्षिण-पश्चिम)
६७	गिरजारमण शुक्ल, श्री	पट्टी (दक्षिण)
६८	गिरधारीलाल, श्री	धामपुर (उत्तर-पूर्व)—नगीना (पूर्व)
६९	गुप्तारसिंह, श्री	डलमऊ (दक्षिण-पश्चिम)
७०	गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री	खजुहा, (पश्चिम)
७१	गुरुप्रसादसिंह, श्री	मुसाफिरखाना (दक्षिण)—अमेटी (पश्चिम)
७२	गुलजार, श्री	मुसाफिरखाना (उत्तर)—सुल्तानपुर (उत्तर)
७३	गैंदासिंह, श्री	पडरौना (पूर्व)
७४	गोपीनाथ दीक्षित, श्री	इटावा (दक्षिण)
७५	गोवर्धन तिवारी, श्री	अल्मोड़ा (दक्षिण)
७६	गौरीराम, श्री	फरेंदा (मध्य)
७७	घनश्यामदास, श्री	नवाबगंज (दक्षिण)हैदरगढ़—रामसनेही घाट
७८	घासीराम जाटव, श्री	बिधूना (पश्चिम)—भरथना (उत्तर)—इटावा (उत्तर)
७९	चतुर्भुज शर्मा, श्री	उरई—जालौन (दक्षिण)
८०	चन्द्रभानु गुप्त, श्री	लखनऊ नगर (पूर्व)
८१	चन्द्रवती, श्रीमती	बिजनौर (मध्य)

क्रम-सं०	सदस्य का नाम		निर्वाचन क्षेत्र
८२	चन्द्रसिंह रावत, श्री	..	पौड़ी (दक्षिण)—चमोली (पूर्व)
८३	चन्द्रदास, श्री	..	हरदोई (पूर्व)
८४	चरणसिंह, श्री	..	बागपत (पश्चिम)
८५	चित्तरसिंह निरंजन, श्री	..	कोंच
८६	चिरंजीलाल जाटव, श्री	..	जलेसर-एटा (उत्तर)
८७	चिरंजीलाल पालीवाल, श्री	..	छिबरामऊ (दक्षिण)—कन्नौज (दक्षिण)
८८	चुन्नीलाल सागर, श्री	..	त्रिसौली—गुन्नौर (पूर्व)
८९	छेदालाल, श्री	..	शाहाबाद (पूर्व)—हरदोई (उत्तर-पश्चिम)
९०	छेदालाल चौधरी, श्री	..	लखीमपुर (दक्षिण)
९१	जगतनारायण, श्री	..	नवाबगंज (उत्तर)
९२	जगदीशप्रसाद, श्री	..	हसनपुर (दक्षिण)—सम्भल (पश्चिम)
९३	जगदीशसरन, श्री	..	बरेली नगरपालिका
९४	जगदीशसरन रस्तोगी, श्री	..	सम्भल (पूर्व)
९५	जगनप्रसाद रावत, श्री	..	खैरगढ़
९६	जगन्नाथप्रसाद, श्री	..	निघासन-लखीमपुर (उत्तर)
९७	जगन्नाथबख्शदास, श्री	..	रामसनेही घाट
९८	जगन्नाथमल्ल, श्री	..	पडरौना (उत्तर)
९९	जगन्नाथसिंह, श्री	..	बलिया (उत्तर-पूर्व)—बांसडीह (दक्षिण-पश्चिम)
१००	जगपतिसिंह, श्री	..	मऊ-करवी-बबेरू (पूर्व)
१०१	जगमोहनसिंह नेगी, श्री	..	लैन्सडाउन (पश्चिम)
१०२	जटाशंकर शुक्ल, श्री	..	पुरवा (उत्तर)—हसनगंज
१०३	जयपालसिंह, श्री	..	रुड़की (पश्चिम)—सहारनपुर (उत्तर)
१०४	जयराम वर्मा, श्री	..	अकबरपुर (पश्चिम)
१०५	जयेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री	..	खैन-टेहरी (उत्तर)
१०६	जवाहरलाल, श्री	..	करछना (उत्तर)—चायल (दक्षिण)
१०७	जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर	..	कानपुर नगर (पूर्व)
१०८	जुगलकिशोर, आचार्य	..	मथुरा (दक्षिण)
१०९	जोरावर वर्मा, श्री	..	महोबा-कुलपहाड़-चरखारी
११०	ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री	..	गोंडा (पश्चिम)
१११	झारखंडेराय, श्री	..	घोसी (पश्चिम)
११२	टीकाराम, श्री	..	बदायूं (उत्तर)
११३	टीकाराम, श्री	..	संडीला-बिलग्राम (दक्षिण-पूर्व)
११४	डल्लाराम, श्री	..	मिश्रिख
११५	डालचन्द, श्री	..	माट—सादाबाद (पश्चिम)
११६	ताराचन्द माहेश्वरी, श्री	..	सिधौली (पश्चिम)
११७	तिरमलसिंह, श्री	..	कासगंज (उत्तर)
११८	तुलाराम, श्री	..	औरैया-भरथना (दक्षिण)
११९	तुलाराम रावत, श्री	..	पलिहाबाद-बाराबंकी (उत्तर-पश्चिम)
१२०	तेजप्रतापसिंह, श्री	..	मौदहा (दक्षिण)
१२१	तेजबहादुर, श्री	..	लालगंज (उत्तर)
१२२	तेजासिंह, श्री	..	गाजियाबाद (उत्तर-पश्चिम)
१२३	त्रिलोकीनाथ कौल, श्री	..	बहराइच (पश्चिम)

क्रम-सं०	सदस्य का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र
१२४	दयालदासभगत, श्री	घाटमपुर-भोगनीपुर (पूर्व)
१२५	दर्शनराम, श्री	मऊ-करवी-बबेरू (पूर्व)
१२६	दलबहादुरसिंह, श्री	सलोन (दक्षिण)
१२७	दाऊदयाल खन्ना, श्री	मुरादाबाद (उत्तर)
१२८	दाताराम, श्री	नकुड़ (दक्षिण)
१२९	दीनदयालु शर्मा, श्री	अनूपशहर (उत्तर)
१३०	दीनदयालु शास्त्री, श्री	रुड़की (पूर्व)
१३१	दीपनारायण वर्मा, श्री	जौनपुर (पश्चिम)
१३२	देवकीनन्दन विभव, श्री	आगरा
१३३	देवदत्त मिश्र, श्री	पुरवा (दक्षिण)
१३४	देवदत्त शर्मा, श्री	बुलन्दशहर (दक्षिण)-अनूपशहर (दक्षिण)
१३५	देवनन्दन शुक्ल, श्री	सलीमपुर (पश्चिम)
१३६	देवमूर्तिराम, श्री	वाराणसी (पश्चिम)
१३७	देवराम, श्री	सैदपुर
१३८	देवेन्द्रप्रतापनारायणसिंह, श्री	गोरखपुर (पश्चिम)
१३९	द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री	मुजफ्फरनगर (मध्य)
१४०	द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री	मड़ियाहूं (उत्तर)
१४१	द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री	फरेंदा (दक्षिण)
१४२	धनुषधारी पाण्डेय, श्री	खलीलाबाद (दक्षिण)
१४३	धर्मसिंह, श्री	बुलन्दशहर (दक्षिण)-अनूपशहर (दक्षिण)
१४४	धर्मदत्त वैद्य, श्री	बहेड़ी (दक्षिण-पश्चिम)-बरेली (पश्चिम)
१४५	नत्थूसिंह,	आंवला (पूर्व)-फरीदपुर
१४६	नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री	हाथरस
१४७	नरदेव शास्त्री, श्री	पश्चिमीय दून (दक्षिण)-पूर्वीय दून
१४८	नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री	पिथौरागढ़-चम्पावत
१४९	नरोत्तमसिंह, श्री	दातागंज (दक्षिण)-बदायूं (दक्षिण-पूर्व)
१५०	नवलकिशोर, श्री	आंवला (पश्चिम)
१५१	नागेश्वर द्विवेदी, श्री	मछलीशहर (उत्तर)
१५२	नाजिम अली, श्री	मुसाफिरखाना (उत्तर)-सुल्तानपुर (उत्तर)
१५३	नारायणदत्त तिवारी, श्री	नैनीताल (उत्तर)
१५४	नारायणदास, श्री	फैजाबाद (पूर्व)
१५५	नारायणदीन वाल्मीकि, श्री	पुवायां-शाहजहांपुर (पूर्व)
१५६	निरंजनसिंह, श्री	पीलीभीत (पूर्व)-बीसलपुर (पश्चिम)
१५७	नेकराम शर्मा, श्री	सिकन्दराराव (दक्षिण)
१५८	नेत्रपालसिंह, श्री	सिकन्दराराव (उत्तर)-कोइल (दक्षिण-पूर्व)
१५९	नौरंगलाल, श्री	नवाबगंज
१६०	पद्मनाथसिंह, श्री	मुहम्मदाबाद-गोहना (दक्षिण)
१६१	परमानन्द सिन्हा, श्री	सोरांव (दक्षिण)
१६२	परमेश्वरीदयाल, श्री	केराकत-जौनपुर (दक्षिण)
१६३	परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री	महाराजगंज (उत्तर)
१६४	पहलवानसिंह चौधरी, श्री	बांदा
१६५	पातीराम, श्री	छिबरामऊ (पूर्व)-फर्रुखाबाद (पूर्व)
१६६	पुत्तूलाल, श्री	ऐतमादपुर-आगरा (पूर्व)

क्रम-सं०	सदस्य का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
१६७	पुट्टनराम, श्री	..	बांसी (उत्तर)
१६८	पुलिनविहारी बनर्जी, श्री	..	लखनऊ नगर (पश्चिम)
१६९	प्रकाशवती सूद, श्रीमती	..	हापुड़ (उत्तर)
१७०	प्रतिपालसिंह, श्री	..	शाहजहांपुर (पश्चिम)–जलालाबाद (पर्व)
१७१	प्रभाकर शुक्ल, श्री	..	हरैया (उत्तर-पश्चिम)
१७२	प्रभुदयाल, श्री	..	बस्ती (पश्चिम)
१७३	प्रेमकिशन खन्ना, श्री	..	पुवायां–शाहजहांपुर (पूर्व)
१७४	फजलुल हक, श्री	..	रामपुर नगर
१७५	फतेहसिंह राणा, श्री	..	सरधना (पश्चिम)
१७६	फूलसिंह, श्री	..	देवबन्द
१७७	बद्रीनारायण मिश्र, श्री	..	सलीमपुर (दक्षिण)
१७८	बनारसीदास, श्री	..	बुलन्दशहर (मध्य)
१७९	बलदेवसिंह, श्री	..	तरबगंज (दक्षिण-पूर्व)–गोंडा (दक्षिण)
१८०	बलदेवसिंह, श्री	..	वाराणसी (मध्य)
१८१	बलदेवसिंह आर्य, श्री	..	पौड़ी (दक्षिण)–चमोली (पूर्व)
१८२	बलवीरसिंह, श्री	..	गाजियाबाद (दक्षिण)
१८३	बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री	..	उतरौला (उत्तर)
१८४	बलवन्तसिंह, श्री	..	मुजफ्फरनगर (पूर्व)–जानसठ (उत्तर)
१८५	बशीर अहमद हकीम, श्री	..	सीतापुर (पूर्व)
१८६	बसन्तलाल, श्री	..	कालपी-जालौन (उत्तर)
१८७	बसन्तलाल शर्मा, श्री	..	नानपारा (उत्तर)
१८८	बाबूनन्दन, श्री	..	शाहगंज (पूर्व)
१८९	बाबूराम गुप्त, श्री	..	कासगंज (पश्चिम)
१९०	बाबूलाल कुसुमेश, श्री	..	रामसनेही घाट
१९१	बाबूलाल मीतल, श्री	..	आगरा नगर (उत्तर)
१९२	बालेन्दुशाह, महाराजकुमार	..	टेहरी (दक्षिण)–प्रतापनगर
१९३	बिशम्बरसिंह, श्री	..	सरधना (पूर्व)
१९४	बेचनराम, श्री	..	ज्ञानपुर (उत्तर-पश्चिम)
१९५	बेचनराम गुप्त, श्री	..	ज्ञानपुर (पूर्व)
१९६	बेनीसिंह, श्री	..	कानपुर तहसील
१९७	बैजनाथप्रसादसिंह, श्री	..	बांसडीह (मध्य)
१९८	बैजूराम, श्री	..	सिधौली (पश्चिम)
१९९	ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री	..	कानपुर नगर (दक्षिण)
२००	भगवतीदीन तिवारी, श्री	..	जौनपुर (उत्तर)–शाहगंज (पश्चिम)
२०१	भगवतीप्रसाद दुबे, श्री	..	बांसगांव (पूर्व)–गोरखपुर (दक्षिण)
२०२	भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री	..	प्रतापगढ़ (पूर्व)
२०३	भगवानदीन वाल्मीकि, श्री	..	फतेहपुर (दक्षिण)–खागा (दक्षिण)
२०४	भगवानसहाय, श्री	..	तिलहर (दक्षिण)
२०५	भीमसेन, श्री	..	खुरजा
२०६	भुवरजी, श्री	..	फूलपुर (पूर्व)–हंडिया (उत्तर-पश्चिम)
२०७	भूपालसिंह खाती, श्री	..	अल्मोड़ा (उत्तर)
२०८	भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री	..	बांसगांव (दक्षिण-पूर्व)
२०९	भोलासिंह यादव, श्री	..	गाजीपुर (दक्षिण-पश्चिम)

क्रम-सं०	सदस्य का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र
२१०	मकसूद आलम खां, श्री	पीलीभीत (पश्चिम)
२११	मंगलाप्रसाद, श्री	मेजा-करछना (दक्षिण)
२१२	मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री	फर्रुखाबाद (पश्चिम)—छिबरामऊ
२१३	मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री	बांसी (उत्तर)
२१४	मदनगोपाल वैद्य, श्री	फैजाबाद (पूर्व)
२१५	मदनमोहन उपाध्याय, श्री	रानीखेत (उत्तर)
२१६	मन्नीलाल गुरुदेव, श्री	महोबा-कुलपहाड़-चरखारी
२१७	मलखानसिंह, श्री	कोइल (मध्य)
२१८	महमूद अली खां, श्री	सुमर-टांडा-बिलासपुर
२१९	महमूद अली खां, श्री	सहारनपुर (उत्तर-पश्चिम)—नकुड़ (उत्तर)
२२०	महादेवप्रसाद, श्री	गोरखपुर (उत्तर-पूर्व)
२२१	महाराजसिंह, श्री	शिकोहाबाद (पश्चिम)
२२२	महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री	हंडिया (दक्षिण)
२२३	महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री	मोहनलालगंज
२२४	महावीरसिंह, श्री	हाटा (उत्तर)—देवरिया
२२५	महीलाल, श्री	बिलारी
२२६	मान्धातासिंह, श्री	रसरा (पूर्व)—बलिया (दक्षिण-पश्चिम)
२२७	मिजाजीलाल, श्री	करहल (पूर्व)—भोगांव (दक्षिण)
२२८	मिहरबानसिंह, श्री	विधूना (पश्चिम)—भरथना (उत्तर)—इटावा (उत्तर)
२२९	मुजफ्फर हसन, श्री	चायल (उत्तर)
२३०	मुनीन्द्रपालसिंह, श्री	पूरनपुर—बीसलपुर (पूर्व)
२३१	मुन्नूलाल, श्री	बिल्वां—सिधौली (पूर्व)
२३२	मुरलीधर कुरील, श्री	बिल्हौर-अकबरपुर
२३३	मुश्ताक अली खां, श्री	सहसवान (पश्चिम)
२३४	मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री	डुमरियागंज (दक्षिण)
२३५	मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री	बिजनौर (उत्तर)—नजीबाबाद (पश्चिम)
२३६	मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री	वाराणसी नगर (उत्तर)
२३७	मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज	नगीना (दक्षिण-पश्चिम)—धामपुर (उत्तर-पूर्व)
२३८	मुहम्मद तक़ी हादी, श्री	अमरोहा (पश्चिम)
२३९	मुहम्मद नबी, श्री	बुढ़ाना (पूर्व)—जानसठ (दक्षिण)
२४०	मुहम्मद नसीर, श्री	टांडा
२४१	मुहम्मद फारुक चिश्ती, श्री	देवरिया (उत्तर-पूर्व)
२४२	मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री	सहारनपुर नगर
२४३	मुहम्मद रऊफ जाफरी, श्री	मछलीशहर (दक्षिण)
२४४	मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री	उतरौला (मध्य)
२४५	मुहम्मद सआदत अली खां, राजा	नानपारा (दक्षिण)
२४६	मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री	डुमरियागंज (उत्तर-पूर्व)—बांसी (पश्चिम)
२४७	मोहनलाल, श्री	सफीपुर-उन्नाव (उत्तर)
२४८	मोहनलाल गौतम, श्री	खैर-कोइल (उत्तर-पश्चिम)
२४९	मोहनलाल वर्मा, श्री	बिलग्राम (पूर्व)
२५०	मोहनसिंह, श्री	बुलन्दशहर (उत्तर-पूर्व)

क्रम-सं०	सदस्य का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
२५१	मोहनसिंह शाक्य, श्री	..	अलीगंज (दक्षिण)
२५२	यमुनाप्रसाद, श्री	..	बहराइच (पश्चिम)
२५३	यमुनासिंह, श्री	..	गाजीपुर (मध्य)–मुहम्मदाबाद (उत्तर-पश्चिम)
२५४	यशोदादेवी, श्रीमती	..	बांसगांव (दक्षिण-पश्चिम)
२५५	रघुनाथप्रसाद, श्री	..	मेजा-करछना (दक्षिण)
२५६	रघुराजसिंह, श्री	..	तरबगंज (पश्चिम)
२५७	रघुवीरसिंह, श्री	..	बागपत (दक्षिण)
२५८	रणंजयसिंह, श्री	..	अमेठी (मध्य)
२५९	रतनलाल जैन, श्री	..	नजीबाबाद (उत्तर)–नगीना (उत्तर)
२६०	रमानाथ खैरा, श्री	..	महरौनी
२६१	रमेशचन्द्र शर्मा, श्री	..	मड़ियाहूं (दक्षिण)
२६२	रमेश वर्मा, श्री	..	किराउली
२६३	राघवेन्द्रप्रतापसिंह, राजा	..	उतरौली (दक्षिण-पश्चिम)
२६४	राजकिशोर राव, श्री	..	बहाराइच (पूर्व)
२६५	राजकुमार शर्मा, श्री	..	चुनार (उत्तर)
२६६	राजनारायण, श्री	..	वाराणसी (दक्षिण)
२६७	राजनारायणसिंह, श्री	..	चुनार (दक्षिण)
२६८	राजवंशी, श्री	..	पडरौना (दक्षिण-पश्चिम)–देवरिया (दक्षिण-पूर्व)
२६९	राजाराम, श्री	..	अतरौली (दक्षिण)–कोइल (पूर्व)
२७०	राजाराम किसान, श्री	..	प्रतापगढ़ (पश्चिम)–कुण्डा (उत्तर)
२७१	राजाराम मिश्र, श्री	..	फैजाबाद (पश्चिम)
२७२	राजाराम शर्मा, श्री	..	खलीलाबाद (उत्तर)
२७३	राजेन्द्रदत्त, श्री	..	मुजफ्फरनगर (पश्चिम)
२७४	राधामोहनसिंह, श्री	..	बलिया (पूर्व)
२७५	रामअधार तिवारी, श्री	..	प्रतापगढ़ (उत्तर-पश्चिम)–पट्टी (उत्तर-पश्चिम)
२७६	रामअधीनसिंह यादव, श्री	..	पुरवा (मध्य)
२७७	रामअनन्त पांडेय, श्री	..	बलिया (मध्य)
२७८	रामअवधसिंह, श्री	..	फरेंदा (उत्तर)
२७९	रामआसरे वर्मा, श्री	..	फतेहपुर (दक्षिण)
२८०	रामकिंकर, श्री	..	प्रतापगढ़ (उत्तर-पश्चिम)–पट्टी (उत्तर-पश्चिम)
२८१	रामकुमार शास्त्री, श्री	..	बांसी (दक्षिण)
२८२	रामकृष्ण जैसवार, श्री	..	मिर्जापुर (दक्षिण)
२८३	रामगुलामसिंह, श्री	..	जलालाबाद (पश्चिम)
२८४	रामचन्द्र विकल, श्री	..	सिकन्दराबाद (पश्चिम)
२८५	रामचरनलाल गंगवार, श्री	..	बरेली (पश्चिम)
२८६	रामजीलाल सहायक, श्री	..	मवाना
२८७	रामजी सहाय, श्री	..	देवरिया (दक्षिण-पश्चिम)–हाटा (दक्षिण-पश्चिम)
२८८	रामदास आर्य, श्री	..	बुढ़ाना (पूर्व)–जानसठ (दक्षिण)

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम		निर्वाचन क्षेत्र
२८९	रामदास रविदास, श्री	..	अकबरपुर (पश्चिम)
२९०	रामदुलारे मिश्र, श्री	..	अकबरपुर (दक्षिण)
२९१	रामनरेश शुक्ल, श्री	..	कुण्डा (दक्षिण)
२९२	रामनारायण त्रिपाठी, श्री	..	अकबरपुर (पूर्व)
२९३	रामप्रसाद, श्री	..	रायबरेली-डलमऊ (उत्तर)
२९४	रामप्रसाद देशमुख, श्री	..	खैर-कोइल (उत्तर-पश्चिम)
२९५	रामप्रसाद नौटियाल, श्री	..	लैन्सडाउन (पूर्व)
२९६	रामप्रसादसिंह, श्री	..	महाराजगंज (दक्षिण)
२९७	रामबली मिश्र, श्री	..	सुल्तानपुर (पूर्व)–अमेठी (पूर्व)
२९८	रामभजन, श्री	..	मोहमदी (पश्चिम)
२९९	राममूर्ति, श्री	..	बहेड़ी (उत्तर-पूर्व)
३००	रामरतनप्रसाद, श्री	..	रसरा (पूर्व)–बलिया (दक्षिण-पश्चिम)
३०१	रामराज शुक्ल, श्री	..	पट्टी (पूर्व)
३०२	रामलखन, श्री	..	चकिया-चन्दौली (दक्षिण-पूर्व)
३०३	रामलखन मिश्र, श्री	..	डुमरियागंज (उत्तर-पश्चिम)
३०४	रामलाल, श्री	..	बस्ती (पश्चिम)
३०५	रामवचन यादव, श्री	..	फूलपुर (दक्षिण)
३०६	रामशंकर द्विवेदी, श्री	..	रायबरेली–डलमऊ (उत्तर)
३०७	रामशंकर रविवासी, श्री	..	लखनऊ (मध्य)
३०८	रामसनेही भारतीय, श्री	..	बबेरी (पश्चिम)
३०९	रामसहाय शर्मा, श्री	..	गरोधा मोठ (उत्तर)
३१०	रामसुन्दर पांडेय, श्री	..	घोसी (पूर्व)
३११	रामसुन्दरराम, श्री	..	खलीलाबाद (दक्षिण)
३१२	रामसुभग वर्मा, श्री	..	पडरौना (पश्चिम)
३१३	रामसुमेर, श्री	..	टांडा
३१४	रामसेवक यादव, श्री	..	फतेहपुर (उत्तर)
३१५	रामस्वरूप, श्री	..	दूधी-राबर्ट्सगंज
३१६	रामस्वरूप गुप्त, श्री	..	भोगनीपुर (पश्चिम)–डेरापुर (दक्षिण)
३१७	रामस्वरूप भारतीय, श्री	..	कुण्डा (दक्षिण)
३१८	रामस्वरूप मिश्र "विशारद", श्री	..	महाराजगंज (पश्चिम)
३१९	रामहरख यादव, श्री	..	बीकापुर (पश्चिम)
३२०	रामहर्तासिंह, श्री	..	छत्ता
३२१	रामेश्वरप्रसाद, श्री	..	महाराजगंज (पश्चिम)
३२२	रामेश्वरलाल, श्री	..	देवरिया (दक्षिण)
३२३	लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री	..	नैनीताल (दक्षिण)
३२४	लक्ष्मणराव कदम, श्री	..	मऊ-मोठ (दक्षिण)–झांसी (पश्चिम)–ललितपुर (उत्तर)
३२५	लक्ष्मीदेवी, श्रीमती	..	संडीला-बिलग्राम (दक्षिण-पूर्व)
३२६	लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री	..	माट-सादाबाद (पश्चिम)
३२७	लक्ष्मीशंकर यादव, श्री	..	शाहगंज (पूर्व)
३२८	लतीफत हुसैन, श्री	..	हुसनपुर (उत्तर)
३२९	लालबहादुरसिंह, श्री	..	केराकट–जौनपुर (दक्षिण)
३३०	लालबहादुरसिंह कश्यप, श्री	..	वाराणसी (उत्तर)

क्रम-सं०	सदस्य का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
३३१	लीलाधर अष्ठाना, श्री	. .	उन्नाव (दक्षिण)
३३२	लुत्फ अली खां, श्री	. .	हापुड़ (दक्षिण)
३३३	लेखराज सिंह, श्री	. .	सम्भल (पूर्व)
३३४	वंशनारायण सिंह, श्री	. .	ज्ञानपुर (उत्तर-पश्चिम)
३३५	वंशीदास धनगर, श्री	. .	करहल (पश्चिम)—शिकोहाबाद (पूर्व)
३३६	वंशीधर मिश्र, श्री	. .	लखीमपुर (दक्षिण)
३३७	वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री	. .	गाजीपुर (दक्षिण-पूर्व)
३३८	वसी नकवी, श्री	. .	महाराजगंज (पूर्व)—सलोन (उत्तर)
३३९	वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री	. .	कानपुर नगर (मध्य-पश्चिम)
३४०	विचित्र नारायण शर्मा, श्री	. .	गाजियाबाद (उत्तर-पूर्व)
३४१	विजय शंकर प्रसाद, श्री	. .	मुहम्मदाबाद (दक्षिण)
३४२	विद्यावती राठौर, श्रीमती	. .	एटा (पूर्व)—अलीगढ़ (पश्चिम)—कासगंज (दक्षिण)
३४३	विश्राम राय, श्री	. .	सगरी (पूर्व)
३४४	विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री	. .	गाजीपुर (पश्चिम)
३४५	विष्णुदयाल वर्मा, श्री	. .	जसराना
३४६	विष्णुशरण दुब्लिश, श्री	. .	मवाना
३४७	वीरसेन, श्री	. .	हापुड़ (दक्षिण)
३४८	वीरेन्द्रपति यादव, श्री	. .	मैनपुरी (दक्षिण)
३४९	वीरेन्द्र वर्मा, श्री	. .	कैराना (दक्षिण)
३५०	वीरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री	. .	नानपारा (पूर्व)
३५१	वीरेन्द्रशाह, राजा	. .	कालपी-जालौन (उत्तर)
३५२	व्रजभूषण मिश्र, श्री	. .	दूधी-राबर्ट्सगंज
३५३	व्रजरानी मिश्र, श्रीमती	. .	बिल्हौर—अकबरपुर
३५४	व्रजवासीलाल, श्री	. .	बीकापुर (मध्य)
३५५	व्रजविहारी मिश्र, श्री	. .	फूलपुर (उत्तर)
३५६	व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री	. .	घाटमपुर-भोगनीपुर (पूर्व)
३५७	शंकरलाल, श्री	. .	कादीपुर (मध्य)
३५८	शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री	. .	वाह
३५९	शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री	. .	चकराता-पश्चिमी दून (उत्तर)
३६०	शारदा बख्श सिंह, श्री	. .	बिलग्राम (पश्चिम)
३६१	शिवकुमार मिश्र, श्री	. .	तिलहर (उत्तर)
३६२	शिवकुमार शर्मा, श्री	. .	बिजनौर (दक्षिण)—धामपुर (दक्षिण-पश्चिम)
३६३	शिवदान सिंह, श्री	. .	इगलास
३६४	शिवनाथ काटजू, श्री	. .	फूलपुर (मध्य)
३६५	शिवनारायण, श्री	. .	हरैया (पूर्व)—बस्ती (पश्चिम)
३६६	शिवपूजन राय, श्री	. .	मुहम्मदाबाद (उत्तर-पूर्व)
३६७	शिवप्रसाद, श्री	. .	हाटा (मध्य)
३६८	शिवमंगल सिंह, श्री	. .	बांसडीह (पश्चिम)
३६९	शिवमंगल सिंह कपूर, श्री	. .	डुमरियागंज (पश्चिम)
३७०	शिवराजबली सिंह, श्री	. .	खजुहा (पूर्व)-फतेहपुर (दक्षिण-पश्चिम)
३७१	शिवराज सिंह यादव, श्री	. .	बिसौली-गुन्नौर (पूर्व)
३७२	शिवराम पांडेय, श्री	. .	डोरापुर (उत्तर)

क्रम-सं०	सदस्य का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
३७३	शिवराम राय, श्री	. .	सदर (आजमगढ़) (उत्तर)
३७४	शिवबक्षसिंह राठौर, श्री	. .	करहल (पूर्व)–भोगांव (दक्षिण)
३७५	शिवबचन राव, श्री	. .	सलीमपुर (उत्तर)
३७६	शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री	. .	बहराइच (पूर्व)
३७७	शिवसरूप सिंह, श्री	. .	ठाकुरद्वारा
३७८	शुकदेव प्रसाद, श्री	. .	महाराजगंज (दक्षिण)
३७९	शुगनचन्द, श्री	. .	रुड़की (पश्चिम)–सहारनपुर (उत्तर)
३८०	श्यामसनोहर मिश्र, श्री	. .	मलिहाबाद-बाराबंकी (उत्तर-पश्चिम)
३८१	श्यामलाल, श्री	. .	उतरौला (उत्तर)
३८२	श्यामाचरण बाजपेयी शास्त्री, श्री		नरैनी
३८३	श्रीचन्द्र, श्री	. .	बुढ़ाना (पश्चिम)
३८४	श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री	. .	आगरा नगर (पश्चिम)
३८५	श्रीनाथ भार्गव, श्री	. .	मथुरा (उत्तर)
३८६	श्रीनाथ राम, श्री	. .	मुहम्मदाबाद (उत्तर)–घोसी (दक्षिण)
३८७	श्रीनिवास, श्री	. .	उतरौली (उत्तर)
३८८	श्रीपति सहाय, श्री	. .	राठ
३८९	सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती	. .	कासगंज (पूर्व)–अलीगढ़ (उत्तर)
३९०	संग्राम सिंह, श्री	. .	सोरांव (उत्तर)–फलपर (पश्चिम)
३९१	सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री	. .	सलीमपुर (पूर्व)
३९२	सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती	. .	गोंडा (पूर्व)
३९३	सत्यनारायणदत्त, श्री	. .	औरैया–भरथना (दक्षिण)
३९४	सत्यसिंह राणा, श्री	. .	देवप्रयाग
३९५	सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती	. .	बरेली (पूर्व)
३९६	सम्पूर्णानन्द, डाक्टर	. .	वाराणसी नगर (दक्षिण)
३९७	सहदेव सिंह, श्री	. .	जलेसर (एटा) (उत्तर)
३९८	सालिग्राम जायसवाल, श्री	. .	सिराथू-मंझनपुर
३९९	सावित्रीदेवी, श्रीमती	. .	मुसाफिरखाना (मध्य)
४००	सियाराम गंगवार, श्री	. .	फर्रुखाबाद (मध्य)–कायमगंज (पूर्व)
४०१	सियाराम चौधरी, श्री	. .	कैसरगंज (मध्य)
४०२	सीताराम, डाक्टर	. .	देवरिया (दक्षिण-पश्चिम) हाटा (दक्षिण-पश्चिम)
४०३	सीताराम शुक्ल, श्री	. .	हरैया (दक्षिण-पश्चिम)
४०४	सुखीराम भारतीय, श्री	. .	सिराथू-मंझनपुर
४०५	सुन्दरदास, श्री दीवान	. .	कैसरगंज (उत्तर)
४०६	सुन्दरलाल, श्री	. .	आंवला (पूर्व)–फरीदपुर
४०७	सुरजूराम, श्री	. .	सदर आजमगढ़ (उत्तर)
४०८	सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री	. .	हमीरपुर-मौदहा (उत्तर)
४०९	सुरेशप्रकाश सिंह, श्री	. .	बिसवां-सिधौली (पूर्व)
४१०	सुल्तान आलम खां, श्री	. .	कायमगंज (पश्चिम)
४११	सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री	. .	कानपुर नगर (उत्तर)
४१२	सूर्य्यबली पांडेय, श्री	. .	हाटा (मध्य)
४१३	सेवाराम, श्री	. .	पुरवा (उत्तर)–हसनगंज
४१४	हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री	. .	सफीपुर-उन्नाव (उत्तर)

क्रम-सं०	सदस्य का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
४१५	हबीबुर्रहमान आजमी, श्री	..	मुहम्मदाबाद (उत्तर)–घोसी (दक्षिण)
४१६	हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री	..	शाहजहांपुर (मध्य)
४१७	हर्माद खां, श्री	..	कानपुर नगर (मध्य-पूर्व)
४१८	हरखयाल सिंह, श्री	..	बागपत (पूर्व)
४१९	हरगोविन्द पन्त, श्री	..	रानीखेत (दक्षिण)
४२०	हरगोविन्द सिंह, श्री	..	जौनपुर (पूर्व)
४२१	हरदयाल सिंह पिपल, श्री	..	हाथरस
४२२	हरदेव सिंह, श्री	..	देवबन्द
४२३	हरसहाय गुप्त, श्री	..	बिलारी
४२४	हरिप्रसाद, श्री	..	बीसलपुर (मध्य)
४२५	हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री	..	सीतापुर (उत्तर-पश्चिम)
४२६	हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री	..	लखनऊ (मध्य)
४२७	हरिसिंह, श्री	..	हापुड़ (उत्तर)
४२८	हुकुम सिंह, श्री	..	कैसरगंज (दक्षिण)
४२९	हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री	..	करछना (उत्तर)–चायल (दक्षिण)
४३०	होतीलाल दास, श्री	..	एटा (दक्षिण)
४३१	(रिक्त)	..	बदायूं (दक्षिण-पश्चिम)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

के

पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री आत्माराम गोविन्द खेर, बी० ए०, एल-एल० बी० ।

उपाध्यक्ष

श्री हरगोविन्द पन्त, बी० ए०, एल-एल० बी० ।

सचिव, विधान मंडल

श्री मिट्ठन लाल, एच० जे० एस० ।

सचिव, विधान सभा

श्री देवकीनन्दन मित्थल, एम० ए०, एल-एल० बी० ।

सहायक सचिव

श्री रामप्रकाश, बी० काम०, एल-एल० बी० ।

विशेष कार्याधिकारी

श्री भोलादत्त उपाध्याय ।

अधीक्षक

श्री राधेरमण सक्सेना, एम० ए०, एल-एल० बी०, डी० एल० एस-सी० (अवकाश पर)

श्री अहीन्द्र नाथ मित्र ।

श्री श्रीपतिसहाय, बी० ए० ।

श्री गिरधारीलाल, बी० ए० ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, १६ जुलाई, १९५६

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३६७)

अंसमान सिंह,श्री
अक्षयवर सिंह,श्री
अजीज इमाम,श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा ,श्री
अनन्तस्वरूपसिंह,श्री
अब्दुल मुईज खां,श्री
अब्दुल रऊफ खां,श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
आशालता व्यास,श्रीमती
इरतजा हुसैन,श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर ,श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
एजाज रसूल, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करनसिंह,श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छन्नन गुरू, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालिकासिंह, श्री
काली चरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पान्डेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पान्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयाली राम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पान्डेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरु प्रसाद पान्डेय, श्री

गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तर सिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशसरन,श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्शदास, श्री
जगन्नाथमल्ल, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, आचार्य
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री (बदायूं)
टीकाराम, श्री (हरदोई)
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी ,श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्तिराम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रतापनारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पान्डेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपालसिंह, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवानसिंह, चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुन्नूराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपालसिंह, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री

फजलुल हक, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बलदेवसिंह, श्री (गोंडा)
बलदेवसिंह, श्री (बनारस)
बलवन्त सिंह, श्री
बशीरअहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बरसिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनरामगुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पान्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महाराजसिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद रऊफ जाफरी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराजसिंह, श्री
रघुबीरसिंह, श्री
रणंजय सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधीनसिंह यादव, श्री
रामअनन्त पान्डेय, श्री
रामअवधसिंह, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री

रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पान्डेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामसेवक यादव, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराजसिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्रामराय, श्री
विष्णुदयाल बर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदाबख्श सिंह, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजनराय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराम पान्डेय, श्री
शिवरामराय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिव वचनराव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचंद, श्री
श्यामममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीचंद्र, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपतिसहाय, श्री
सईदजहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायणदत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती

पूसम्र्णानन्द, डाक्टर
सालिगराम जायसवाल, श्री
सावित्रीदेवी,श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पान्डय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह, पिपल श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री

प्रश्नोत्तर

सोमवार, १६ जुलाई, १९५६

अल्प सूचित तांराकित प्रश्न

फीरोजाबाद के चूड़ी के कारखानों में हड़ताल

१—श्री इस्तफा हुसैन** (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि फीरोजाबाद के चूड़ी के कितने कारखानों में हड़ताल चल रही है और इस हड़ताल से कितने मजदूरों पर असर पड़ा है ?

श्रम मंत्री (आचार्य जुगल किशोर)—२३ कारखानों में हड़ताल चल रही है और इस हड़ताल से प्रभावित मजदूरों की संख्या ३,१९१ है ।

श्री इस्तफा हुसैन—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि यह हड़ताल कब से शुरू हुयी और इन हड़तालियों की क्या मांगें हैं ?

आचार्य जुगल किशोर—हड़ताल तो ८ जून से शुरू हुयी । उन्होंने कोई मांगें जाब्ता तौर से नहीं भेजी हैं ?

श्री इस्तफा हुसैन—क्या सरकार को पता है कि इस साल के पहले भी फीरोजाबाद के कारखाने में काम करने वाले मजदूरों ने हड़ताल की थी ? अगर की थी तो उस वक्त क्या बातें थीं जिनकी बिना पर वह हड़ताल की गयी थी ?

आचार्य जुगल किशोर—इसकी तो कोई सूचना इस समय नहीं है । कब हड़ताल हुयी थी ।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकार के लेबर डिपार्टमेंट के कोई कर्मचारी इस हड़ताल की जांच-पड़ताल करने के लिये वहां गये ?

आचार्य जुगल किशोर—जी हां ।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---क्या श्रम मंत्री जी बतायेंगे कि इस हड़ताल के बहुत पहले से वहां के मजदूरों की ओर से सरकार के पास मांग-पत्र भेजा गया था लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुयी थी ?

आचार्य जुगल किशोर---जी नहीं । इस सिलसिले में कोई हमारे पास सूचना नहीं भेजी थी ।

तारांकित प्रश्न

झांसी के समीप मानों के तालाब का बांध टूटने से कष्ट

*१---**श्री लक्ष्मणराव कदम** (जिला झांसी)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी के समीप मानों के तालाब का बांध गत वर्ष वर्षा में कितना लम्बाई, चौड़ाई व गहराई में कट गया था ?

कृषि मंत्री के सभा-सचिव (श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी)---जी हां । मानों के तालाब का बांध १९५४ की वर्षा में निम्नलिखित माप में २ स्थानों पर कट गया था ।

(१) १०० फीट लम्बा, ७५ फीट चौड़ा १० फीट गहरा

(२) ८४ फीट लम्बा, २७ फीट चौड़ा ४ फीट गहरा ।

*२---**श्री लक्ष्मणराव कदम**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त बांध पर से कितने ग्रामों को आने-जाने का रास्ता है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी---इस बांध से होकर लगभग ३० गांवों को आने-जाने का रास्ता है ?

*३---**श्री लक्ष्मणराव कदम**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त बांध की मरम्मत अभी तक क्यों नहीं हुयी ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी---जिला बोर्ड झांसी का कथन है कि इस बांध की मरम्मत गांव समाज मेहरी को करनी चाहिए । ग्राम समाज धन की कमी के कारण यह कार्य करने में असमर्थ है । इस कारण अब तक बांध की मरम्मत नहीं हो सकी है ।

श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि पिछले साल व इस साल की बारिश में वह बांध और भी ज्यादा कट गया है ?

कृषि मंत्री (श्री हुकुम सिंह)---पिछले साल में ज्यादा जो कटा है उसके बारे में मुझे तो कोई इत्तिला है नहीं ।

श्री लक्ष्मणराव कदम---तीस ग्रामों की जनता को दो वर्षों से जो कष्ट हो रहा है उसका विचार करते हुए क्या माननीय मंत्री जी बांध की शीघ्र ही मरम्मत करा देने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह---यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

श्री गज्जूराम (जिला झांसी)---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जब बांध जिला बोर्ड का है तो जिलाबोर्ड को ऐसा आदेश दिया जायगा कि वह बांध की मरम्मत कराये ताकि आने जाने की कठिनाई दूर हो सके ?

श्री हुकुम सिंह---जिला बोर्ड को भी पैसे की दिक्कत है ।

श्री तेजप्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)---क्या माननीय मंत्री जी इस सुझाव पर विचार करेंगे कि जिला बोर्ड के पास जब धन की कमी है और इस बांध के बनाने की आवश्यकता है तो पर्याप्त धन जिला बोर्ड को दिया जाय ?

श्री हुकुम सिंह—सारे प्रश्न विचाराधीन हैं।

आजमगढ़ जिले की घोसी तहसील में खाली भूमि खेतिहर मजदूरों को देने का सुझाव

*४—श्री झारखंडेराय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि तहसील घोसी, जिला आजम गढ़ में कितनी भूमि पर खेती होती है और कितनी भूमि ऐसी है जो कृषि योग्य है पर खाली पड़ी है ?

माल उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—जिला आजमगढ़ तहसील घोसी एकड़

उस भूमि का क्षेत्रफल जिस पर खेती होती है	.. ..	१,८४,०४७
उस भूमि का क्षेत्रफल जो खेती योग्य है पर खाली पड़ी है	..	२१,६४७

श्री झारखंडेराय—क्या माल मंत्री जी बताने की कष्ट करेंगे कि जो भूमि खाली पड़ी है उसमें कितनी ग्राम समाज के अधीन है और कितनी व्यक्तिगत लोगों के अधीन ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह करीब-करीब सारी ग्राम समाज के अधीन है और ऐसी जमीन है कि जो १० परसेंट उनके पास Planned utilization के लिये होनी चाहिये, उससे कम पड़ती है ?

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर इस खाली पड़ी जमीन को वहां के खेत मजदूरों में वितरित करने के प्रश्न पर विचार करेंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—मैंने अभी अर्ज किया कि यह जमीन पूरी जमीन की १० परसेंट से भी कम है जो गांव समाज के पास है, इसलिये वह लैन्ड यूटिलाइजेशन के लिये उनके पास रिजर्व छोड़ दी गयी है और यह खेती के लिए नहीं दी जा सकती और बाकी कुछ रेह है, वह काम की नहीं है।

*५-६—श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)—[१३ अगस्त, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

आजमगढ़ जिले में नैठी तथा लारपुर के बाढ़ पीड़ितों को गृह निर्माणार्थ भूमि

*७—श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आजमगढ़ जिले की मुहम्मदाबाद तहसील के नैठी और लारपुर ग्राम के बाढ़ग्रस्त निवासियों को मकान बनाने के लिये अब तक जमीन नहीं प्राप्त हुयी है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह सही नहीं है, नैठी ग्राम के बाढ़ पीड़ितों के लिये ४.२६७ एकड़ भूमि हस्तगत करके मकान बनाने के लिये वितरित कर दी गयी है। लारपुर ग्रामवासियों के पास स्वयं अपनी ऊंची भूमि है जहां वे अपना मकान बना सकते हैं, परन्तु वे नैठी ग्राम की भूमि प्राप्त करना चाहते हैं, जो न्याय संगत न होने के कारण उन्हें नहीं दी जा सकती। इस ग्राम के निवासियों में से अधिकांश ने पुरानी जगह पर मकान बना लिये हैं और कुछ ने नई भूमि लेकर मकान बनाया है।

श्री विश्रामराय—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जो भूमि नैठी भूमि ग्राम में दी गयी है उसका मुआविजा लिया गया है या नहीं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—मुआविजा तो दिया जाता है, उसमें दिया गया या नहीं यह इस वक्त नहीं मालूम। लेकिन अगर नहीं दिया गया होगा तो दिया जायगा क्योंकि मुआविजा देकर ही जमीन यदि काश्त की होती ली जाती है।

*८-९---श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)---[६ अगस्त, १९५६ के लिये स्थगित किये गये ।]

*१०---श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---[१३ अगस्त, १९५६ के लिये स्थगित किया गया ।]

अतारांकित प्रश्न

गाजीपुर जिले में लेखपालों की बर्खास्तगी व बहाली

१---श्री कमलासिंह (जिला गाजीपुर)---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले में किन-किन हाकिम परगना ने कितने लेखपालों को १९५४-५५ तथा १९५५-५६ में बर्खास्त किया और कितने अपील से बहाल किये गये ?

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)---गाजीपुर जिले में सन् १९५४-५५ तथा १९५५-५६ में क्रमशः २४ और १० कुल ३४ लेखपाल परगनाधीशों द्वारा बरखास्त किये गये, जिनमें से ७ लेखपाल अपील से बहाल किये गये और एक लेखपाल की अपील विचाराधीन है । इसका विवरण नीचे दिया हुआ है ।

परगनाधीश	१९५४-५५ में बरखास्त	१९५५-५६ में बरखास्त	अपील से बहाल
गाजीपुर ..	१	३	..
मुहम्मदाबाद ..	१०	..	३
सैदपुर	१०	५	२
जमानिया ..	३	२	२

[न्याय मंत्री से सम्बद्ध १७ जुलाई, १९५६ के लिये निर्धारित प्रश्न ।]

तारांकित प्रश्न

बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए जिला बोर्ड देवरिया को अनुदान

*१---श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)---क्या सरकार वित्तीय वर्ष १९५५-५६ में जिला बोर्ड देवरिया को बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के लिये दिये गये धन के खर्च का ब्योरा देने की कृपा करेगी ?

स्वशासन उपमंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)---वित्तीय वर्ष १९५५-५६ में दिये गये अनुदान में से जिला बोर्ड देवरिया में बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में अभी तक कुछ भी खर्च नहीं किया है क्योंकि जिला बोर्ड को इस सम्बन्ध में अनुदान वित्तीय वर्ष १९५५-५६ के अन्त में मिला था ।

श्री रामसुभग वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिला बोर्ड को सन् १९५५-५६ में कितना अनुदान किस-किस मद में और कब दिया गया ?

श्री कैलाश प्रकाश---किस-किस मद में और कितना कितना अनुदान दिया गया यह आंकड़े तो इस समय हैं नहीं, किन्तु इसी प्रश्न के सम्बन्ध में एक प्रश्न और था जिसमें यह उत्तर दिया गया था कि ५०,००० रुपया उनको दिया गया है ।

श्री रामसुभग वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह रुपया कब तक खर्च हो जायगा ?

श्री कैलाशप्रकाश---इसकी सब तफसील तो जिला बोर्ड कर रहा होगा और जैसे-जैसे उनके काम पूरे होते जायेंगे, खर्चा होता जायगा ।

* * * *

कानपुर में दीवानी कचेहरी की इमारत का बढ़ाया जाना

*५---**श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित** (जिला कानपुर)---क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर कचेहरी में नई इमारत बनाने का निर्णय हुआ है ? यदि हां, तो इमारत कहां और कितनी कीमत की बनेगी ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)---कानपुर दीवानी कचेहरी में न्यू ब्लाक (वर्तमान इमारत) के ऊपर दो कमरे लगभग ४२,८०० रुपये की कीमत पर बनाने का सुझाव है । इसी तरह कानपुर में नई कलेक्टरी कचेहरी लगभग ४९.३८ लाख रुपये की कीमत पर बनाने का सुझाव है । इन सुझावों पर सरकार ने अपना कोई अंतिम निर्णय नहीं दिया है ।

*६---**श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित**---क्या सरकार को मालूम है कि मास्टर प्लान में कचेहरी आदि तो Civic Centre अफीम की कोठी के पास बनानी चाहिये तो उपर्युक्त नई इमारत क्यों बनाई जा रही है ?

श्री सैयद अली जहीर---चूंकि उपर्युक्त इमारतों के लिये कोई नयी जमीन नहीं ली जा रही है, इसलिये इनका मास्टर प्लान से कोई विरोध नहीं है ।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो इमारत दीवानी के ऊपर दो कमरे बन रहे हैं उनकी कीमत ४२,८०० रुपये है तो उनका क्या साइज़ है और यह रुपया उनको ऐस्टीमेट के अनुसार दिया जा रहा है ?

श्री सैयद अली जहीर---साइज़ का तो हाल मुझे मालूम नहीं है लेकिन यह कमरे पी० डब्लू डी० के जरिये बन रहे हैं । उन्होंने ऐस्टीमेट बनाया होगा और देखा भी होगा ।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित---क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि ४९.३८ लाख की जो कलेक्टरी कचहरी की इमारत बन रही है तो क्या उसके लिये उस कम्पाउन्ड में पर्याप्त जगह है ?

श्री सैयद अली जहीर---जैसा कि मैंने अभी अपने जवाब में कहा है कि कोई आखीर फैसला नहीं हुआ है और जाहिर है कि जब जगह होगी तभी इमारत बनेगी ।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इसका अंतिम निर्णय कब तक हो जायगा ?

श्री सैयद अली जहीर---मेरे ख्याल में माल मंत्री जी ज्यादा अच्छी तरह से बतला सकेंगे ।

दीवानी न्यायालय बनारस में हरिजन कर्मचारी

*७---**श्री बाबूनन्दन** (जिला जौनपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दीवानी न्यायालय बनारस में कुल कितने हरिजन कार्य कर रहे हैं ?

श्री सैयद अली जहीर---दीवानी न्यायालय बनारस में कुल ३ हरिजन कार्य कर रहे हैं ।

श्री बाबूनन्दन---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन तीन हरिजनों की नियुक्ति कब से हुयी है और वह किस-किस विभाग में काम कर रहे हैं ?

श्री सैयद अली जहीर---यह इत्तिला इस वक्त मेरे पास नहीं है ।

रिक्शा का लाइसेंस न देने के संबंध में नागरपलिकाओं को कथित सर्कुलर

*१५---श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या सरकार ने प्रदेश की नगरपालिकाओं को रिक्शा का लाइसेंस न देने के लिये कोई सर्कुलर भेजा है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री कैलाशप्रकाश---(क) जी नहीं ।
(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

मुरादाबाद जिले में पंचायत चुनाव संबंधी याचिकायें

*१६---श्री महीलाल---क्या स्वशासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मुरादाबाद में अलग-अलग तहसील में पंचायतों के चुनाव सम्बन्धी कितनी-कितनी निर्वाचन याचिकायें संबंधित नगराधीशों के न्यायालयों में आयी है ?

*१७---क्या स्वशासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त निर्वाचन याचिकाओं में से कितनी नामांकन-पत्र अवैध रूप से खारिज करने, कितनी चुनाव में अनियमितताओं के करने तथा कितनी गलत चुनाव फल बनाने से संबंधित हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश---वांछित सूचना माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गयी है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६६ पर)

श्री महीलाल---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो याचिकायें अदालत के सामने आयी हैं उनमें से किन पर निर्णय हो चुका है और कितनी बाकी हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश---यह तो ब्योरे का प्रश्न है, इसके आंकड़े मेरे पास इस समय नहीं हैं ?

श्री महीलाल---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्न १७ के खंड ३ में जो सूचना दी गयी है उनमें से कुछ निराधार है, उनकी पुनः जांच कराने की व्यवस्था करेंगे ।

श्री कैलाशप्रकाश---क्षमा करें, मैं समझ नहीं पाया कि आप किस चीज के लिये कह रहे हैं ।

श्री महीलाल---मैंने यह प्रार्थना की थी कि प्रश्न १७ के खंड ३ में जो सूचनायें दी गयी हैं, इनमें से कुछ गलत हैं । तो क्या माननीय मंत्री जी उनकी पुनः जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री कैलाशप्रकाश---मैं बहुत कृतज्ञ होऊंगा, अगर माननीय सदस्य मुझे बतायेंगे । मैं अवश्य जांच कराने की कोशिश करूंगा ।

अतारांकित प्रश्न

झांसी की फौजदारी व मुन्सिफी अदालतों की इमारतों को बढ़ाने का विचार

१---श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या सरकार को पता है कि झांसी की दीवानी व फौजदारी अदालतों के इधर वकीलों, उनके मुहर्रिरों, मुवक्किलों व गवाहियों आदि के बैठने के लिये कोई समुचित प्रबंध नहीं है ?

श्री सैयद अली जहीर---झांसी में जिला जज की अदालत के अहाते में और फौजदारी की अदालतों में मुवक्किलों और गवाहों के बैठने के लिये इमारतें (witness sheds) बनी हुयी हैं । केवल मुंसिफ की अदालत में ऐसी इमारत नहीं है ।

२—श्री लक्ष्मणराव कदम—यदि हां, तो क्या वह कोई इमारत बनवाने की शीघ्र ही कृपा करेगी ?

श्री सैयद अली जहीर—फौजदारी अदालतों के (witness shed) को बढ़ाने का प्रयत्न किया जा रहा है और मुंसिफी अदालत में ऐसी इमारत अगले वित्तीय वर्ष में बनाये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

३० अप्रैल, १९५६ के तारांकित प्रश्न ४७ और ४८ के उत्तरों का शोधन

[३० अप्रैल, १९५६ के निम्नलिखित तारांकित प्रश्न ४६–४८ के उनके सामने अंकित उत्तर सरकार की ओर से दिये गये थे]

श्री जोरावर वर्मा *४६—क्या सरकार प्रश्न संख्या १ दिनांक १५–३–५६ के सम्बन्ध में बतायेगी कि गवर्नमेंट तराई स्टेट्स, जिला नैनीताल के सुपरिन्टेन्डेन्ट खाम ने सन् १९५२ से दिसम्बर सन् १९५५ तक प्रतिवर्ष अपने आदेश से कितनी भूमि कितने आदमियों को दी ?

*४६—सुपरिन्टेन्डेंट खाम ने सन् १९५१–५२ से दिसम्बर १९५५ तक प्रतिवर्ष अपने आदेश से निम्नलिखित भूमि प्रदान की:—

संख्या व्यक्तियों की जिन्हें भूमि दी गयी	वितरित भूमि एकड़ों में
१९५१–५२—५७३	१६,१४९
१९५२–५३—२२९	५,९८४
१९५३–५४—६०४	१,८८२
१९५४–५५—२९१ दिसम्बर तक	१,७०९
योग .. १,६९७	२५,७२४

*४७—क्या सरकार बतायेगी कि उपर्युक्त भूमि में से कितनी भूमि भूमिहीनों और हरिजनों को दी? यदि नहीं, तो क्यों ?

*४७—उपर्युक्त भूमि में भूमिहीनों और हरिजनों को भूमि दी गयी है जैसा कि इस बात से मालूम होगा कि किसानों और भूमिहीन शिल्पकारों को ७८.६२ एकड़ भूमि दी गयी है । मगर इसका पूरा–पूरा विवरण बनाना बहुत व्यय और समय चाहेगा । प्रश्न का दूसरा हिस्सा नहीं उठता ।

*४८—क्या सरकार भविष्य में इस प्रकार का कोई आदेश देगी कि भविष्य में अब जो भूमि दी जाय केवल भूमिहीनों भूमिहीन हरिजनों को ही दी जाय ? क्या सरकार बतायेगी की अभी इस फार्म में ऐसी कितनी भूमि है जो भूमिहीनों को दी जा रही है ?

*४८—सरकार ऐसा आदेश देना आवश्यक नहीं समझती । अब इस स्टेट में (माननीय सदस्य ने शायद फार्म का शब्द गल्ती से लिख दिया है ।) सिर्फ १२,२२६ एकड़ ऐसी भूमि है जो वितरण की जा सकती है मगर यह भूमि छोटे-छोटे प्लाटों में है या गौचर है या चारों तरफ जंगलों से घिर हुई है इसलिये इस भूमि का वि उठाना ही ठीक होगा ?

श्री अध्यक्ष---माननीय माल मंत्री जी ने जो अपना उत्तर दिया था ३० अप्रैल, १९५६ को प्रश्नसंख्या ४७ और ४८ का, जो श्री जोरावर वर्मा जी के प्रश्न थे, उनको संशोधित रूप में सदन की सूचना के लिये वे पेश कर दें ।

४७---**माल उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)**---उपर्युक्त भूमि में से भूमिहीनों और हरिजनों को ५६७८.६२ एकड़ दी गयी है परन्तु इसका पूरा-पूरा विवरण बनाने में बहुत समय और व्यय लगेगा । प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

४८---सरकार ऐसा आदेश देना आवश्यक नहीं समझती । अब इस स्टेट में (माननीय सदस्य ने शायद फार्म का शब्द गलती से लिख दिया है) गोचर और खाड़ियों (Ravines) के क्षेत्रों को छोड़कर कुल ३०,५१२ एकड़ भूमि वितरण के लिये उपलब्ध है । यह भूमि दो प्रकार की है ।

(१) लगभग १०,००० एकड़ भूमि ऐसी है जो छोटे-छोटे प्लाटों में फैली हुयी है या चारों तरफ से जंगलों से घिरी हुयी है । अतएव इस भूमि का न उठाना ही ठीक होगा ।

(२) लगभग २०, ५१२ एकड़ भूमि ऐसी है जिसमें से कुछ तो एलाट की जा चुकी थी किन्तु एलाटियों ने उस पर काश्त नहीं की या उन्होंने एलाटमेंट की कोई अन्य शर्त पूरी नहीं की इसलिये वह उनसे वापस ली जायगी अथवा कुछ भूमि ऐसी है जिस पर कुछ लोगों ने अवैधानिक रूप से कब्जा कर लिया था और अब उन लोगों को उस भूमि से बेदखल किया जा रहा है। वापसी (Resumption) तथा बेदखली के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है और साल दो साल में यह सब भूमि वापस लिये जाने के पश्चात् नये लोगों को वितरण की जा सकेगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---श्रीमन् इसमें जो उत्तर छपे हुये हैं वे तो पढ़े नहीं गये ये तो नये उत्तर पढ़ दिये गये । प्रश्न ४६ का उत्तर तो पढ़ा ही नहीं गया है । ४८ का नया उत्तर पढ़ा गया है जो छपा नहीं है ।

श्री अध्यक्ष---३० अप्रैल को ये उत्तर दिये गये थे । ये गलत हैं । मैंने तो वे छपवा दिये जो उस रोज दिये गये थे । अब जो नये उत्तर वे देना चाहते हैं संशोधित वे उन्होंने पढ़ कर सुना दिये ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---तो कृपा करके माननीय मंत्री जी एक बार फिर उन्हें पढ़ दें ।

श्री अध्यक्ष---माननीय माल मंत्री आप कृपा कर दें थोड़ी सी कुछ गलतफहमी हो गयी थी ।

(श्री चतुर्भुज शर्मा ने दोबारा उत्तर पढ़कर सुनाये।)

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो जमीन कुछ लोगों ने अवैधानिक रूप से अपने कब्जे में कर ली है उसका क्षेत्रफल क्या है ?

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)---वह २० हजार एकड़ में शामिल है । वैसे तो कितना क्षेत्रफल है, इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या यह सही है कि जिस भूमि पर लोगों ने अवैधानिक रूप से सरकार के दृष्टिकोण से कब्जा कर लिया है उनमें से अधिकांश भूमि पर कोर्ट्स के स्टे आर्डर्स के मातहत अब तक बेदखल नहीं हो रही है ?

श्री चरणसिंह---जी नहीं, कोर्टस के जो आर्डर्स हैं वे ऐसे केसेज पर लागू नहीं होते ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि सन् १९५१ से लेकर दिसम्बर, १९५५ तक सुपरिन्टेन्डेन्ट खास को प्रत्येक व्यक्ति को कितनी भूमि अलाट कर सकने का अधिकार था ?

श्री चरणसिंह---सौ एकड़ तक।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि बावजूद इसके कि सुपरिन्टेन्डेन्ट खास को सिर्फ सौ एकड़ जमीन का बन्दोबस्त करने का अधिकार था कुछ लोगों के लिये पांच सौ एकड़, कुछ के लिये एक हजार एकड़ और कुछ लोगों के लिये २ हजार एकड़ तक जमीन का बन्दोबस्त किया है ?

श्री चरणसिंह---सुपरिन्टेन्डेन्ट खास के अधिकारों में कई बार कमी की गयी है, पहले उनको बहुत ज्यादा अख्तियारात थे। उसके बाद सौ एकड़ तक का अख्तियार हुआ, उसके बाद तीस एकड़ का और अब १५ एकड़ का उनको अधिकार है। जब वहां कई सौ एकड़ भूमि दी गई थी तब कोई भूमि लेने वाला नहीं था और गवर्नमेन्ट को जरूरत थी कि लोगों को बसाया जाय।

श्री गेंदासिंह---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन लोगों को हजार, दो हजार एकड़ जमीन दी गई है उसमें से आज भी बहुत सी जमीन परती पड़ी हुई है। तो क्या उस जमीन को जब्त करके भूमिहीनों में वितरित किया जा सकेगा ?

श्री चरणसिंह---ऐसे सिर्फ चार पांच मामले हैं जिसमें पांच सौ एकड़ से दो हजार एकड़ तक जमीन है। उस वक्त की शर्तों के मुताबिक गवर्नमेन्ट को यह अधिकार है कि जिन शर्तों पर जमीन दी गई है अगर वह उन पर उनको इस्तेमाल न करें तो वह जमीन उनसे वापस ली जा सकती है इस तरह का अधिकार अफसरान को है और वह उसके ऊपर कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार को ज्ञात है कि बहुत से लोगों ने घूम फिर कर पांच सौ एकड़ से अधिक जमीन तक अपने नाम, अपने सगे भाई के नाम, अपने चचेरे भाई के नाम, अपने नाना के नाम, अपने भतीजे के नाम अलग-अलग सौ-सौ एकड़ एलाट कराकर हजारों एकड़ के फार्म बना लिये हैं ?

श्री चरणसिंह---जी, घूमफिर कर करने की जरूरत नहीं थी। उस वक्त उनको अख्तियार था कि चाहे जितनी जमीन दे दें, चाहे जितनी जमीन ले लें। तो सौ-सौ एकड़ कराने की बात नहीं है। एकाध खानदान ऐसे हैं जिन्होंने ऐसा किया हो लेकिन कांस्टीट्यूशनली और लीगली हमको अधिकार नहीं है कि वह जमीन उनसे वापस ली जा सके।

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बहुत से माइनर्स के नाम भी जमीन अलाट की गई है ?

श्री चरणसिंह---आपके जरिये से मैं जरा यह सवाल कर लूं कि माइनर को जमीन न दी जाय कहां यह कानून है ?

श्री जोरावर वर्मा (जिला हसीरपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस भूमि के अब तक एक्वायर न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष---इसका जवाब दिया जा चुका है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या यह सही है कि सरकार ने हाल ही में नैनीताल में यह फैसला किया है कि जो खास स्टेट में फार्म हैं इनमें किसी तरह से रद्दोबदल या जब्ती उनकी नहीं की जायगी ?

श्री चरणसिंह---हाल ही में। गवर्नमेन्ट तो पहले ही बहस के दौरान में कह चुकी है कि हमारे प्रदेश की परिस्थितियों में मौजूदा खातों पर कोई सीलिंग लगाना यह गवर्नमेन्ट जनहित में नहीं समझती, जो अभी फैसला हुआ है वह केवल उसी को दोहराया गया है।

श्री तेजप्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)---क्या माननीय माल मंत्री-जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो २०,००० एकड़ भूमि कृषि योग्य पड़ी हुई है और जिसमें से कि कुछ अवैधानिक लोगों ने कब्जा कर रखा है और कुछ लोगों ने खेती करने के लिये पट्टे पर ले रखा था और कर नहीं रहे हैं, उसके अलावा जो भूमि पड़ी हुई है उसको भूमिहीनों को क्यों नहीं एलाट किया जा रहा है?

श्री चरणसिंह---उस १०,००० एकड़ भूमि से शायद आपका मतलब है। वह जमीन ऐसी है कि जो या तो जंगलों से घिरी हुई है या इतने छोटे-छोटे टुकड़ों में है कि जिसको शायद कोई लेगा नहीं, और जिन्होंने ली थी उनको जंगली जानवरों से इतना नुकसान हुआ है कि वह छोड़ आये हैं। तो इसलिये इस दस हजार एकड़ भूमि को गवर्नमेंट उठाना मुनासिब नहीं समझती, लेकिन बीस हजार एकड़ भूमि जो एलाट की जा चुकी है और जिस पर लोगों ने बिला इस्तेमाल करते हुये कब्जा कर रखा था, जब वह बेदखल हो जायगी तो जैसा कहा गया है, भूमिहीनों को उस पर सेटिल करने का विचार है।

श्री गेंदासिंह---अभी जो माल मंत्री जी ने बताया और सरकार की नीति पर जो रोशनी डाली, वह पुरानी बात हो गई और अब प्लानिंग कमीशन की सिफारिश के मुताबिक क्या सरकार विचार कर रही है कि सीलिंग मुकर्रर की जाय और भूमिहीनों में जमीन बांटी जाय?

श्री चरणसिंह---जो प्लानिंग कमीशन ने सिफारिश की है उसमें इतने रिस्ट्रिक्शंस और कंडीशन्स हैं कि उसके बाद यहाँ इतनी थोड़ी जमीन दी जायगी कि जिससे जो कुछ हमारी आज भूमि-व्यवस्था की तस्वीर है उसमें अन्तर पड़ सकता है। इसलिये गवर्नमेंट अपने पुराने विचार पर कायम है, जो पहले जाहिर किया था। उसके पहले भी प्लानिंग कमीशन की राय थी कि यहां तकसीम पर विचार करना चाहिये, लेकिन वह प्लानिंग कमीशन की सिफारिश है सिर्फ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार को ज्ञात है कि जिस भूमि में सरकार को सूचना दी गई है कि ऐसी भूमि भी है कि जिसमें लोगों ने अवैधानिक रूप से कब्जा कर रखा उसमें ऐसी भूमि भी है जिसमें पुराने खाम रूल्स के अनुसार काश्तकारों को बसाया गया था?

श्री चरणसिंह---अगर ऐसी कोई जमीन है कि जिसमें उनका कब्जा खिलाफ कानून बैठता है, लेकिन उसमें कोई उनकी नीयत की खराबी नहीं है तो ऐसे केसेज पर विचार किया जा सकता है। लेकिन बिलकुल फ्लेगरेंट और एरोगेंट ट्रेसपासर्स भी हैं जिनको अगर, स्पीकर साहब इजाजत दें तो कहूंगा कि हमारे माननीय मित्र भड़कायें नहीं तो काम में ज्यादा आसानी हो जायगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी---मैं आपके शब्दों पर सख्त एतराज करता हूं।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)---जो सीलिंग के बारे में माननीय मंत्री जी ने बताया वह उनकी व्यक्तिगत राय है या पूरे कैबिनेट की?

श्री चरणसिंह---जो यहां बात कही जाती है किसी भी मिनिस्टर की तरफ से, तो उसके बारे में समझना चाहिये कि वह बात सारे कैबिनेट की तरफ से कही गई है।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---माननीय मंत्री जी ने कहा कि थोड़ी जमीन बचेगी जो बांटी जायगी तो क्या सरकार बतलायेगी कि कितनी जमीन बचेगी ?

श्री चरण सिंह---अंदाजन दो लाख एकड़, जब कि साढ़े चार करोड़ एकड़ से ज्यादा जमीन में खेती आज हो रही है।

श्री तेजप्रताप सिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिनको अवैधानिक रूप से काबिज कहा जाता है क्या यह सही है कि वे लोग गढ़वाल से आने वाले लोग हैं और सदियों से इस जमीन पर काबिज थे ?

श्री चरण सिंह---मान्यवर, मित्र को भ्रम मालूम होता है। ऐसा नहीं है।

विशेषाधिकार के तीन प्रश्नों की सूचना

श्री अध्यक्ष---मेरे पास विशेषाधिकार की अवहेलना के संबंध में कुछ प्रस्ताव आये हैं। मैं उनको इजाजत दूं या नहीं इसके लिये विचार करने की आवश्यकता है। प्रस्तावकों ने कुछ कागजात भी उनके साथ पेश किये हैं। इसलिये मैं इन विशेषाधिकार संबंधित प्रश्नों को कल या बाद में लूंगा।

इनमें एक राजनारायण जी की तरफ से आया है। यह श्री रामलखन जी की गिरफ्तारी के संबंध में है। उन्होंने स्वयं मुझे उनकी गिरफ्तारी की इत्तिला नहीं दी। मैं इसकी थोड़ी बहुत जानकारी हासिल करने के बाद फैसला दूंगा।

दूसरा विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न श्री राजनारायण की गिरफ्तारी के संबंध में है। उसके लिये एक प्रस्ताव श्री नारायणदत्त तिवारी ने पहले भेज दिया था। उसके लिये मैंने उनसे जजमेंट मांगा है। उस जजमेंट के लिये मुझे ठहरना पड़ेगा। इस कारण वह कल तो नहीं लिया जायगा। किसी दूसरे दिन जब उस फैसले की नकल आ जायगी तब वह लिया जायगा।

तीसरा एक कांफ्रेंस के सिलसिले में एक पर्चे के संबंध में है, जो अल्मोड़ा में उसके स्वागताध्यक्ष ने छपवाया था। वह किसी ने पढ़कर सुनाया था, क्योंकि वह स्वागत भाषण था। उस समय वहां पर कुछ मंत्री भी उपस्थित थे, उन्होंने भी वे शब्द सुने, लेकिन उन्होंने भी उस स्वागताध्यक्ष के भाषण का प्रतिवाद या टीका नहीं की, तो उनके खिलाफ और उस व्यक्ति के खिलाफ जिन्होंने पर्चा बांटा या पढ़ा यह विशेषाधिकार का प्रश्न है। इसलिये इसके ऊपर भी मुझे पूरी तरह से विचार करना है कि इसके लिये भी इजाजत दूं या नहीं इसलिये इसे भी कल लूंगा।

डिस्ट्रिक्ट हैण्डलूम वीवर्स कोआपरेटिव सोसायटी, मऊनाथ भंजन द्वारा गबन तथा जालसाजी किये जाने के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---एक कामरोको प्रस्ताव श्री झारखंडेराय जी का आया है। वह इस प्रकार से है। "डिस्ट्रिक्ट हैंडलूम वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी, मऊनाथ भंजन (आजमगढ़) के द्वारा लगभग ३० लाख रुपये के फर्जी बीजक स्थानीय हैंडलूम कपड़े के आढ़तियों के नाम से बनाकर उसी के आधार पर सरकार से सवा छै प्रतिशत के हिसाब से छूट (रिबेट) की बहुत बड़ी धनराशि वसूल कर लिये जाने और इस प्रकार राष्ट्रीय धन का गबन और उसके साथ जालसाजी किये जाने जिससे हजारों गरीब बुनकरों का लाभ नहीं हुआ है और गत तीन मास से सरकार का ध्यान बारबार आकर्षित किये जाने पर भी उसकी रहस्यमयी चुप्पी से, मऊनाथ भंजन (आजमगढ़) के हजारों बुनकरों तथा लाखों साधारण जनता में उत्पन्न तीव्र असंतोष और क्षोभ पर विचार करने के लिये सदन अपना कार्य स्थगित करता है।"

[श्री अध्यक्ष]

इस विषय में उनका कहना यह है कि उन्होंने स्वयं जाकर भी इसकी जांच की है और उन्होंने इसको सही पाया है। जहां तक वह प्रथम दर्शन में जान सकते थे उसको उन्होंने जानकारी हासिल करने के बाद और जांच करने के बाद-वाकयात से ही समझकर यह प्रश्न उपस्थित किया है। इसके साथ उन्होंने कुछ अखबारों की कटिंग भी दी है, लेकिन मुख्यतः उन्होंने जांच खुद की है और उसकी थोड़ी सी जानकारी इसके साथ भी दी है। मैं जानना चाहूंगा संबंधित माननीय मंत्री जी से कि उन्हें कोई आपत्ति है इसके स्वीकार किये जाने में।

नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—अध्यक्ष महोदय, मुझे इस कामरोको प्रस्ताव के प्रस्तुत करने की आज्ञा दिये जाने में आपत्ति है। जिस मसले का इसमें वर्णन किया गया है इनक्वायरी के तहत में है। क़रीब २, ३ महीने हुये, मुझे ठीक समय तो याद नहीं है, इस तरह की शिकायत मेरे समक्ष लाई गई थी और मैंने विभाग को आदेश दिये थे कि इस विषय की जानकारी प्राप्त करके मेरे सामने रिपोर्ट प्रस्तुत की जाय। मेरे सामने अभी रिपोर्ट के कोई कागजात और जो इनक्वायरी विभागीय कर्मचारियों ने इस विषय में की है, उसके नहीं आये हैं। अभी ३ रोज हुये जबकि मेरे पास वे व्यक्ति जिन्होंने शिकायत की थी, रात्रि के समय आये और उन्होंने कहा कि जो इनक्वायरी हुई है वह संतोषजनक नहीं है और जो वाकयात उनके पास थे उनके बारे में कोई जानकारी नहीं प्राप्त हुई है। तो मने उनसे निवेदन किया कि उन वाक़यात को भी जाकर उस अधिकारी को बतला दें जो इनक्वायरी करने के लिये नियुक्त किया गया है। इस सिलसिले में मैंने अपने सचिव से भी कहा कि वह इस बात की अधिक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करें। उन्होंने डायरेक्टर आफ़ इंडस्ट्रीज को आदेश दिया कि वे बातें जो वे व्यक्ति मुझे बताने आये थे उनसे भी जानकारी प्राप्त की जाय और उनकी बुनियाद पर जाकर इनक्वायरी करें। तो अब फिर से इनक्वायरी शुरू है और मैंने उसके कागजात अभी नहीं देखे हैं। उन्हें देखकर सरकार कुछ कार्यवाही करेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि अभी यह मामला इनक्वायरी के तहत में है और इसलिये इस विषय की सदन में चर्चा करना अभी आवश्यकीय चीज नहीं है। इसलिये मैं समझता हूं कि यह कोई डेफ़ीनिट चार्ज हमारे सामने नहीं आया है। इस कामरोको प्रस्ताव में कोई डेफ़ीनिटनेस नहीं है और इसलिये भी मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष—श्री झारखंडेराय जी यह बतलावें कि इसकी अर्जेन्सी, माननीय मंत्री जी की बात सुनने के बाद, क्या है और दूसरे यह डेफीनिट कैसे है?

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के वक्तव्य के बाद मुझे उससे कोई संतोष नहीं हुआ। खासकर जब माननीय मंत्री जी को स्वयं ११ अप्रैल को इसकी सूचना दी गई थी और सारी गोलमाल की सूचना उन्हें बताई गई। उसके बाद आज तीन महीने तक सरकार की ओर से कोई ऐसी कार्यवाही नहीं हुई कि जिसमें कि इस प्रकार की कार्यवाही या जालसाजी करने वाले कानून के चंगुल से अपने को बचाने का प्रयास न कर सकें। अधिक समय इसलिये लगाया जा रहा है कि वे लोग कानून के शिकंजे से अपने को बचा जावें। आज भी जांच के तहत में मामले को बतलाकर माननीय मंत्री जी कोई वक्तव्य देना या कार्यवाही करना नहीं चाहते हैं। मैं समझता हूं कि यह जालसाजी करने वालों को षड्यंत्रकारियों को मौका देना होगा यदि सरकार ने ऐसी कार्यवाही नहीं कि वे लोग जनता के धन का अपव्यय करने में या लूट करने में न . . .

श्री अध्यक्ष—मैं निश्चितता और अर्जेंसी के बारे में पूछना चाहता हूं?

श्री झारखंडेराय---यह काफी लम्बी रकम का प्रश्न है, इस पर सरकार की ओर से तुरन्त कार्यवाही होनी चाहिये और इसके लिये माननीय मंत्री जी द्वारा दिया हुआ वक्तव्य काफ़ी नहीं है। मैं चाहूंगा कि आप इसके प्रस्तुत करने की आज्ञा जरूर प्रदान करें।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---अध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि यह प्रस्ताव अर्जेंट भी है और निश्चित भी है। अर्जेंट इसलिये है कि इसमें एक बहुत बड़ी धनराशि, ३० लाख रुपये के लगभग, संबंधित है जो कि सारी कोआपरेटिव मूवमेंट के लिये घातक हो सकती है और यह ऐसी धनराशि का गबन है जिससे सारे कोआपरेटिव मूवमेंट पर असर पड़ सकता है। इतनी बड़ी धनराशि के गबन होने पर भी तीन महीने से अभी तक उसकी इंक्वायरी नहीं करायी गयी है जिसके वजह से बहुत कुछ गोलमाल हो सकती है। विवाद के लिये सबसे बड़ी अर्जेंसी इसलिये है कि इस गोलमाल को रोकने के लिये सरकार को मजबूर किया जायगा जिससे कोआपरेटिव मूवमेंट को धक्का न लगे। माननीय मंत्री जी ने इसकी इन्क्वायरी करायी है इससे इस मामले की अर्जेंसी और डेफीनिटनेस पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि इस प्रकार की इंक्वायरी तो बहुत सी चलती रहती हैं। इसलिये माननीय मंत्री जी की आपत्ति कोई ठोस आपत्ति नहीं है।

डेफीनिटनेस इसकी इसलिये है कि इसका संबंध मऊनाथ भंजन कोआपरेटिव सोसायटी से है। इसका संबंध एक निश्चित विषय से है, क्योंकि एक कोआपरेटिव सोसाइटी से ३० लाख रुपये का गबन हुआ है। इसलिये क्योंकि यह विषय डेफीनिट है और अर्जेंट है, इस पर बहस होनी चाहिये।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मुझे थोड़ी सी जानकारी है। इस विषय में मैं आपका अधिक वक्त न लेकर केवल इतना ही कह देना चाहता हूं कि अगर इसमें और ज्यादा देर हुई तो इसका परिणाम यह होने वाला है कि जो कागजात इंक्वायरी के संबंध में इस मामले को साबित करने के लिये मिल सकते हैं और जिनके द्वारा जालसाजी पकड़ी जा सकती है वह कागजात जला डाले जायेंगे या गायब कर दिये जायेंगे, इसके अलावा जिस ढंग से इंक्वायरी हो रही है वह संतोषजनक नहीं है। इसलिये इस प्रस्ताव पर फौरन विचार होना चाहिये, ताकि सरकार को इसकी अहमियत मालूम हो सके और शीघ्र ही सरकार उस पर कार्यवाही कर सके।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं चूंकि तीन महीने पहले माननीय मंत्री जी को इसकी सूचना मिल चुकी थी तो सदन को अब यह अधिकार है कि वह यह जाने कि उस इंक्वायरी का क्या नतीजा निकला और अगर उसका फल प्राप्त नहीं हुआ तो माननीय सदस्य ने स्वयं इंक्वायरी करके जो जानकारी प्राप्त की है उसकी जानकारी वे सदन को दे सकने में समर्थ हैं इसलिये ऐसा मालूम होता है कि इस विषय को सदन के सामने रखने के लिये कुछ मसाला मौजूद है। अर्जेंसी के विषय में मैं समझता हूं कि तीन महीने हो चुके और महत्व का विषय है इसलिये इसको अर्जेंट मानना उचित होगा। इसलिये मैं यह अनुज्ञा देता हूं कि माननीय सदस्य इस विषय में विवाद करने के लिये सदन की अनुमति प्राप्त करने के लिये प्रार्थना कर सकते हैं।

श्री झारखंडेराय---अध्यक्ष महोदय, डिस्ट्रिक्ट हैन्डलूम वीवर्स कोआपरेटिव सोसायटी, मऊनाथ भंजन (आजमगढ़) के द्वारा लगभग ३० लाख रुपये के फरजी बीजक स्थानीय हैन्डलूम कपड़े के आढ़तियों के नाम से बना कर उसी के आधार पर सरकार से सवा छै प्रतिशत के हिसाब से छूट (रिबेट) कोई बहुत बड़ी धनराशि वसूल कर लिये जाने और

---

* वक्ताओं ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ?

[श्री झारखंडे राय]

इस प्रकार राष्ट्रीय धन का गबन और उसके साथ जालसाजी किये जाने, जिससे हजारों गरीब बुनकरों का लाभ नहीं हुआ है और गत तीन मास से सरकार का बारबार ध्यान आकर्षित किये जाने पर भी उसकी रहस्यमयी चुप्पी से मऊनाथ भंजन (आजमगढ़) के हजारों बुनकरों तथा लाखों साधारण जनता में उत्पन्न तीव्र असंतोष और क्षोभ पर विचार करने के लिये सदन अपना कार्य स्थगित करता है।

अध्यक्ष महोदय, विषय बहुत स्पष्ट है। मऊ में नियम यह है कि स्थानीय बुनकरों से जो सैकड़ों की संख्या में दलाल हैं, वे कपड़ा इकट्ठा करके आढ़तियों को बेचते हैं जो उसे हिन्दोस्तान के दूसरे भागों तथा विदेश को भी भेजते हैं। डिस्ट्रिक्ट हैंडलूम वीवर्स कोआपरेटिव सोसायटी के इन्तजाम में दखलन्दाजी की और उसको सरकार की ओर से जो थोक माल में एक रुपये में एक आना और फुटकर माल में एक रुपये में डेढ़ आने की छूट का अधिकार दिया गया है उसका उसने दुरुपयोग किया और दलालों द्वारा बेंचे गये माल की लिस्ट लेकर और उसको अपने यहां के बीजक में जाली काट-काट कर यह दिखलाया मानो ये तमाम माल कोआपरेटिव सोसायटी द्वारा ही बेंचे गये हैं। इस तरह से करीब ३० लाख रुपये की जालसाजी की गयी और लगभग सवा लाख रुपये का उसने गबन किया। और यह भी जहां तक मैं पता लगा सका हूं कि वह रुपया कोआपरेटिव सोसाइटी फंड में उसके नाम जमा भी नहीं किया गया....

श्री अध्यक्ष---आप तो घटना के मैरिट पर आ गये। इस समय तो आप इसके लिये हाउस से इजाजत मांग रहे हैं।

श्री झारखंडेराय---तो इसलिये मैं चाहता हूं कि माननीय सदन इस विषय की गम्भीरता को महसूस करे और चूंकि यह कोआपरेटिव मूवमेंट हमारे देश और प्रदेश के अन्दर नया आन्दोलन है, और जिसके ऊपर सब लोग काफी भरोसा करते हैं और सरकार भी इस पर काफी निर्भर करती है, इस तरह के कामों से उस आन्दोलन को काफी धक्का लगेगा और उस आन्दोलन पर कलंक लगेगा और खास कर जब स्पष्ट रूप से एक केस पकड़ा जा चुका है, उस पर अगर सरकार की ओर से और सदन की ओर से उचित ध्यान दिया गया तो निश्चित है कि ऐसे मौके आयन्दा को आयेंगे और न ऐसे षड़यंत्र जो हमारे प्रदेश के अन्य भागों में होते होंगे वे हो सकेंगे बल्कि वे रुक जायेंगे। इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार इस बात की गम्भीरता को महसूस करते हुये और तमाम पक्ष के लोग इसकी अहमियत को महसूस करते हुये इस पर अपनी अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

***वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)**---जनाब वाला, मेरे नजदीक इसको इजाजत हाउस को नहीं देनी चाहिये और वजह उसकी यह है कि जो बात इस वक्त इस ऐवान को मालूम हुई वह यह थी कि तीन चार महीने से यह मामला चल रहा है और उस दौरान में इस सदन की बैठक भी हो चुकी है। गवर्नमेंट ने उस पर एक ऐक्शन ले लिया और एक इन्क्वायरी बैठा ली। अब फर्ज कीजिये, अगर हाउस इजाजत दे दे कि इस मोशन पर बहस हो, तो देखना हमको यह है कि उस बहस का नतीजा क्या होगा। उस बहस का नतीजा सिवा इसके कुछ नहीं निकल सकता कि हर शख्स यह कहे कि साहब तहकीकात जरा जल्दी करा दें और उसका इन्तजार इस सदन को करना लाजिमी होगा। मेरे दोस्त फरमा रहे हैं कि गवर्नमेंट को चाहिये कि वह इस बात की कोशिश करे कि जिस कदर हो वह तहकीकात जल्द से जल्द हो जाय। हो जायगा और उसका नतीजा भी सामने आ जायगा। हाउस को भी जरूरत होगी तो मालूम हो जायगा। तो देखना यह है कि यह बेकार काम होगा और इस हाउस का भी वक्त जाया करना होगा कि इस मसले पर इस स्टेज पर यहां बहस हो जब कि गवर्नमेंट पूरे तौर पर इस पोजीशन में भी नहीं है कि पूरे तौर पर मामले को इस हाउस के सामने रख सके और किसी की कही हुई बात को, जवाब में,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तरदीद कर सके। आपने फरमाया कि हमने तहकीकात कर ली है। ठीक है, आपने तहकीकात कर ली है, लेकिन हमारी तहकीकात तो नहीं हुई है और आपकी बातों को मानने के लिये भी मैं तैयार नहीं हूं। इसलिये मेरी जनाब के जरिये इस हाउस से यह गुजारिश है कि इस मामले की हरगिज अनुमति नहीं देनी चाहिये कि इस पर यहां बहस हो।

श्री अध्यक्ष--जो लोग इस पक्ष में हों कि इसकी अनुमति दी जाय वे कृपा करके अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जायं।

(२८ सदस्य खड़े हुये।)

२८ सदस्य अनुमति देने के पक्ष में हैं जब कि नियम के अनुसार ३६ होने चाहियें। चूंकि सदन इसकी अनुमति नहीं देता है इसलिये यह प्रस्ताव गिर गया।

एक ही दिन एक से अधिक वैध कार्य स्थगन प्रस्तावों को न लेने के संबंध में श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष--अब जितने बाकी काम रोको प्रस्ताव हैं वे चूंकि नियम के अनुसार एक ही लिया जा सकता है एक बैठक में, इसलिये बाकी आज तो मैं लूंगा नहीं, लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि वे कल नहीं लिये जा सकते हैं।

***श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)--अध्यक्ष महोदय, मेरे विचार से अगर आप नियमों को ध्यान से देखने का कष्ट करें तो नियम ७० का जो उपनियम (१) है उसका अर्थ यह है कि एक मेम्बर एक ही मोशन एक दिन में कर सकता है यानी श्री झारखंडे-राय एक ही मोशन कर सकते हैं, लेकिन अगर वह एक करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि कोई दूसरा सदस्य कोई दूसरा मोशन नहीं कर सकता, यह इतना बड़ा प्रदेश है यहां अधिक मामले भी अर्जेंसी के हो सकते हैं जैसे मेरा ही पश्चिमी जिलों की बाढ़ के संबंध में एक मोशन है जो इतना ही जरूरी और अर्जेंट है और वह विषय दूसरा है। मैं उस ७० के उपनियम (१) को पढ़े देता हूं। "not more than one motion shall be made at the same time" यह जो है वह एक सदस्य के लिये है। यह तमाम बातें एक मोशन से संबंध रखती हैं लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि एक मेम्बर को एक ही मोशन एक दिन में आयेगा, ऐसा नहीं है। आपने भी यहां अब तक यह परम्परा रखी है कि एक ही दिन में आठ-आठ मोशंस लिये हैं और सदन को पढ़कर सुनाये हैं, हां कभी-कभी इतना आप ने जरूर किया है कि सदन की आज्ञा से उन मोशनों को दूसरे दिन के लिये रखा है। इसलिये श्रीमन्, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि जिस प्रकार आपने स्वयं ४ साल से परम्परा निभाई है वैसे ही आप अब भी परम्परा अपनायें और इस प्रकार की नई रूलिंग देकर नई परम्परा कायम करने की कृपा न करें तो उचित ही होगा।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)--अध्यक्ष महोदय, श्री नारायणदत्त जी ने जैसा कि अभी कहा मैं भी आप से निवेदन करूंगा कि आप इन तर्कों को अच्छी तरह से हृदयंगम करें, लेकिन मैं उनसे भी थोड़ा आगे जाना चाहता हूं। एक सदस्य एक विषय है तो वह उस पर मोशन मूव करेगा लेकिन एक ही विषय पर २-३-४ मोशन नहीं मूव हो सकते, लेकिन आप ने स्वयं एक ही सदस्य के दो-दो विभिन्न विषयों पर आपने एडजर्नमेंट मोशन स्वीकार किये हैं और पार्लियामेंट में भी यही परिपाटी चलती है। आप ने भी इसी को यहां चालू कर रखा है और जितनी विधान सभायें हैं वहां भी यही परिपाटी चालू है। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि उदारता से और एक व्यापक दृष्टिकोण से अब तक जो परिपाटी चालू रखी गई है उसी का परिपालन आप के द्वारा हो तो उचित होगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—यह तो प्रथा के सम्बन्ध में बात है मुझे ही निश्चित करना है। मैं आप की राय सुन ली। जहां तक मुझे याद है यदि मैंने पहले कभी कोई कार्यस्थगन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है और सदन में उसे अनुमति के लिए प्रस्तुत करने की किसी सदस्य को अनुज्ञा दी है और सदन ने उसकी अनुमति नहीं दी है तो मैंने उसके बाद दूसरा प्रस्ताव नहीं लिया है, ऐसा मुझे याद पड़ता है। अगर मैं किसी प्रस्ताव को अवैधानिक घोषित करके अनुज्ञा नहीं देता हूं तब तो दूसरा प्रस्ताव लेता हूं लेकिन यह नहीं है कि अगर मैंने किसी प्रस्ताव को वैध करार दिया हो और उस पर सदन की अनुमति मांगने की इजाजत दे दी हो और उस पर लोगों को अपने स्थान पर खड़े हो कर अनुमति देने को कहा हो और वह नामंजूर हुआ हो उसके बाद भी मुझे ऐसा स्मरण नहीं है कि दूसरा प्रस्ताव मैंने कभी लिया हो, लेकिन मैं यह सुझाता रहा हूं कि जो महत्वपूर्ण विषय किसी कामरोको प्रस्ताव में आए हैं उनको किसी दूसरे रोज ले लिया गया है और वे वैध समझे जाते रहे हैं और वे टाइम बार नहीं हुए मैं उनको दूसरे ही दिन ले लेता हूं लेकिन अगर इस तरह से मैं एक-एक रोज में आठ-आठ दस-दस मोशन ले लूं तो सदन का कार्य वैसे ही दो-दो घंटे स्थगित हो जायगा। एक बात यह कही गई कि संबंधित जो नियम है वह केवल एक ही व्यक्ति के लिए एक प्रस्ताव लाने की सीमा रखता है यह तो नियम में साफ है कि एक कामरोको प्रस्ताव एक दिन की बैठक में आ सकता है। अगर प्रत्येक व्यक्ति एक ही दिन में एक-एक प्रस्ताव लाने का अधिकारी हो जाय तो ५० आदमी ५० कामरोको प्रस्ताव ले आ सकते हैं और इस प्रकार तीन घंटे सदन के लग सकते हैं। इस नियम का मतलब यह है कि एक ही कामरोको प्रस्ताव उपस्थित हो सकता है। और अगर वह मंजूर हो जाय यानी उसको स्वीकृति दे दी जाय तो दूसरा दूसरे दिन ले लिया जायगा और डिस्कशन भी एक ही प्रस्ताव पर हो सकता है। बाकी जो कामरोको प्रस्ताव हैं उनके ऊपर विचार करके दूसरे नम्बर का जो होगा उस पर दूसरे दिन विचार हो सकता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—पढ़ तो दें।

श्री अध्यक्ष—और भी कार्य सामने हैं।

सरकार में अविश्वास के प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—एक अविश्वास का प्रस्ताव भी मेरे पास आया है। माननीय राजनारायण जी ने दिया है। वह मिनिस्टरी के ऊपर अविश्वास का प्रस्ताव है? उसका आरम्भिक भाग इस प्रकार है। "उत्तर प्रदेशीय सरकार ने टैक्स लगाने और बढ़ाने का जो पूंजीवादी तरीका....." इस तरह का लिखा हुआ है। मैं समझता हूं कि इसके ऊपर भी मुझे विचार करना आवश्यक है। इस लिये मैं पूरा इस समय नहीं पढ़ता हूं। इसमें भाषा का भी शायद परिवर्तन करना पड़े। इसलिये जिस भाषा में वह दिया हुआ है उसको पढ़ना मैं उचित भी नहीं समझता। क्योंकि इस पर विचार करना है इसलिये इसके लिए भी मैं कल का ही समय निश्चित करता हूं। कल इसके ऊपर मैं फैसला दूंगा कि मैं इजाजत दूं या न दूं।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५५

श्री अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५५, पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी ४ मई, १९५६, की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी ९ मई, १९५६ की बैठक में पारित किया था,

राज्यपाल महोदय की अनुमति १४ मई, १९५६, को प्राप्त हो गई और वह १९५६, का उत्तर प्रदेश का १६ वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५६

श्री अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक १९५६, पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी ३० अप्रैल, १९५६ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी १६ मई, १९५६, की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति २६ मई, १९५६, को प्राप्त हो गई और वह १९५६, का उत्तर प्रदेश का १८ वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५६

श्री अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५६, जिसे उत्तर प्रदश विधान सभा ने अपनी १७ मई, १९५६, की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २१ मई, १९५६, की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति २६ मई, १९५६, को प्राप्त हो गई और वह १९५६, का उत्तर प्रदेश का १९ वां अधिनियम बन गया ।

गोरखपुर विश्वविद्यालय विधेयक, १९५६

श्री अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि गोरखपुर, विश्वविद्यालय, विधेयक, १९५६, पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी १९ मई, १९५६, की बैठक में तथा उत्तर प्रदश विधान परिषद् ने अपनी २३ मई, १९५६, की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति ५ जून, १९५६, को प्राप्त हो गई और वह १९५६, का उत्तर प्रदेश का २० वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी नियमावली, १९५४ में कृत संशोधन*

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)—मैं माल (अ) विभाग की विज्ञप्ति संख्या ८४१६ (२)/१—अ-५०६-५५, दिनांक ३० जनवरी, १९५६, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी नियमावली, १९५४ में संशोधन किये गये हैं, सदन की मेज पर रखता हूं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—इस पर विचार भी होगा ?

श्री अध्यक्ष—उसके लिये यह प्रथा हो गई है कि जिन अधिनियमों में यह दिया हुआ है कि वे नियम कार्यान्वित तत्काल हो जायेंगे, लेकिन सदन को यह अधिकार रहेगा कि १४ दिन के अन्दर संशोधन उपस्थित कर दे तो उस सम्बन्ध में १४ दिन के अन्दर जो माननीय सदस्य संशोधन देंगे वे विचारार्थ सदन के सामने आयेंगे लेकिन साथ ही साथ जो नियम सदन के सामने उपस्थित किये जावेंगे वे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन समिति जो है उस समिति के सामने अवश्य जावेंगे । वह दूसरी दृष्टि से उस समिति के सामने भेजे जायेंगे जिसमें अगर कोई सलाह समिति देना चाहे उसकी वैधानिकता के सम्बन्ध में या दूसरे विषयों के सम्बन्ध में जो नियमों में दिये हुए हैं तो वह दे सकती है । लेकिन संशोधन पर विचार करने का अधिकार केवल इस सदन को ही है। इसलिए संशोधन यदि सस्दयगण उपस्थित करना चाहें तो वह १४ दिन के अन्दर कर दें और उसके बाद वे सदन के विचारार्थ आ जावेंगे ।

---

* छापे नहीं गये ।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली में कृत संशोधन*

माल उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—मैं, माल (अ) विभाग की विज्ञप्ति संख्या २८३५ (३) /१-ए—१०४२-५५, दिनांक १८ अप्रैल, १९५६, हिन्दी में तथा १७ अप्रैल, १९५६, अंग्रेजी में और संख्या ३४२२/१अ—१०४२-५५, दिनांक ८ मई, १९५६, जिनके द्वारा उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली में संशोधन किये गये हैं, सदन की मेज पर रखता हूं ।

युक्त प्रान्तीय बिक्री-कर नियम, १९४८ में कृत संशोधनों की चौथी सूची†

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—जनाबवाला, मैं युक्त प्रान्तीय बिक्री-कर नियम, १९४८ में संशोधन की चौथी सूची, सदन की मेज पर रखता हूं ।

आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) अध्यादेश, १९५६ ‡

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—श्रीमन्, मैं आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) अध्यादेश, १९५६ की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखता हूं ।

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कोर्ट के लिए पांच सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को माननीय अध्यक्ष निश्चित करें, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कोर्ट के लिए ५ सदस्य निर्वाचित करे ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष निश्चित करें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कोर्ट के लिये पांच सदस्य निर्वाचित करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—अब इसके अनुसार जो प्रस्ताव अभी स्वीकृत हुआ है, मैं यह कार्यक्रम निश्चित करता हूं ।

नाम निर्देशन पत्रों की वापसी की अन्तिम तिथि तथा समय—२० जुलाई, १९५६ को सांयकाल पांच बजे तक ।

नाम निर्देशन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा—२३ जुलाई, १९५६ को दिन के ११ बजे तक (सचिव विधान सभा के कमरे में) ।

नामों की वापसी की अन्तिम तिथि तथा समय—२५ जुलाई, १९५६ को सांयकाल ३ बजे तक ।

अगर आवश्यक हुआ तो निर्वाचन का समय बाद में सूचित किया जायगा ।

---

* छापे नहीं गये ।

† छापी नहीं गयी ।

‡ छापा नहीं गया ।

गोरखपुर यूनिवर्सिटी की स्थापना के विषय में जानकारी की मांग

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, मैं एक महत्वपूर्ण बात जानना चाहता हूं। श्रीमन्, आपको याद होगा कि जब विधान सभा का पिछला अधिवेशन चल रहा था तो गोरखपुर यूनिवर्सिटी विधेयक को यह कह कर जल्दी से जल्दी पारित करवाया गया कि जुलाई तक गोरखपुर यूनिवर्सिटी स्थापित कर देंगे। लेकिन अभी तक जो सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार गोरखपुर यूनिवर्सिटी स्थापित नहीं हुई है। मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण विषय है.....

श्री अध्यक्ष---यह तो ठीक है। लेकिन अब कार्यक्रम प्रारम्भ हो गया है। इस बीच में कोई दूसरा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

श्री नारायणदत्त तिवारी---तो कल ?

श्री अध्यक्ष---कल आप पूछ लें।

प्राक्कलन समिति, वित्त समिति तथा कतिपय स्थायी समितियों के निर्वाचन कार्यक्रम में परिवर्तन की सूचना

श्री अध्यक्ष---मैं एक सूचना और दे देना चाहता हूं। चूंकि इस समिति का कार्यक्रम रखा गया, इसलिये मुझे याद आ गया।

१९५६ की प्राक्कलन समिति, वित्त समिति तथा (८ समितियां जो बन चुकी हैं, को छोड़ कर शेष) १५ स्थायी समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में ९ जून, १९५६ को पांच बजे तक का समय निर्धारित किया गया था, किन्तु समय के भीतर किसी भी समिति से नाम वापस नहीं हुए कि कोई समिति विधिवत् निर्वाचित घोषित की जा सके।

अब मुख्य सचेतक ने नाम वापसी का समय बढ़ाने की मांग की है। अतः नाम वापसी का समय २३ जुलाई, १९५६ को चार बजे तक बढ़ा दिया जाता है, जिसमें चुनाव की आवश्यकता न पड़े।

श्री बाबूलाल मीतल का स्थान रिक्त घोषित करने का प्रस्ताव (क्रमागत)*

श्री अध्यक्ष---अब श्री रामसुभग वर्मा के प्रस्ताव पर कि श्री बाबूलाल मीतल जो आगरा शहर (उत्तर) निर्वाचन-क्षेत्र से विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे, की अनुपस्थिति ६० दिन से अधिक हो गयी है अतः सदन निश्चय करता है कि उनका स्थान रिक्त घोषित किया जाय, विवाद जारी रहेगा।

†श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती यदि इस आदरणीय विधान सभा को माननीय बाबूलाल जी मीतल की सेवा मिलती रहती। परन्तु बाबूलाल जी ने विधान सभा की सेवा के स्थान पर दूसरा मार्ग अपनाया और उन्होंने यह पसन्द किया कि विधान सभा की सेवा से अधिक उपयोगी सेवा वह सर्वोदय संघ में रह कर या विनोबा जी के भूदान आन्दोलन में रह कर के कर सकते हैं। इस उद्देश्य से उन्होंने इस विधान सभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। यह हमारे जैसे लोगों के लिये तो सम्भव है नहीं, भूदान से बहुत मुहब्बत रखते हुए भी भूदान के प्रति

---

*२२ मई, १९५६ की कार्यवाही से।

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदासिंह]

आदर का भाव रखते हुए भी हम विधान सभा को त्याग करना पसन्द नहीं कर सकते। तो मैं ऐसा समझता हूं कि अगर मित्तल जी ने विधान सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र दिया या त्याग-पत्र देने की इच्छा प्रकट की तो उनकी इच्छा की पूर्ति विधान सभा को करनी चाहिये। मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता हूं। लेकिन मैं उनकी इच्छा का पूरा आदर करना चाहता हूं।

मेरी भी अभी उनसे बात हुई थी इस सिलसिले में, लेकिन जो भावना उन्होंने व्यक्त की उससे मैं भी प्रभावित हुआ और एक मर्तबा मेरे ऊपर भी यह असर पड़ा कि शायद विधान सभा से बाहर रह कर भी सेवा की जा सकती है। लेकिन मेरी अपनी कमजोरी है कि जिसकी वजह से मैं विधान सभा की सदस्यता को त्याग नहीं सकता। तो मैं तो और कोई बात इस सम्बन्ध में कहना नहीं चाहता, चाहे उपनिर्वाचन हो या न हो, उपनिर्वाचन के लिये उपयुक्त समय हो या न हो। फिर भी बाबूलाल जी के संतोष के लिये उन्हें यदि सदस्य न कहा जाता तो हम लोगों के लिये वह बहुत अच्छा था। उनको विधान सभा के सदस्य होने का और कोई सम्मान होने की आवश्यकता नहीं है। हम अलबत्ता समझते हैं कि उनके रहने से हमारा सम्मान है। अब हमारी दिक्कत जो है वह यह हो सकती है कि अगर बाई इलेक्शन हुआ तो व्यर्थ में जब आम चुनाव होने वाले हैं। अभी थोड़े ही दिनों में तो पब्लिक का पैसा खर्च होगा, उसके अलावा शक्ति का अपव्यय होगा। यह सब बातें हैं, यह सोचने की बात है। लेकिन मैं समझता हूं कि उनको मुक्त करने में हमको यहां की सेवा से रोकना नहीं चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, इस सिलसिले में मैं एक बात अवश्य कह दूं कि हम बहुत ही आदर के भाव से सर्वोदय को, भूदान के कार्य को देखना चाहते हैं। उसमें जो हमसे बन पड़े करना भी चाहते हैं। सोलहो आने हम उसके फालोवर नहीं हो सकते। यह बात हो सकती है कि वह बहुत ऊंची बात हो, तो बहुत ऊंची बात में हम अपने को ले जाकर उसको धूमिल नहीं करना चाहते हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी को। पार्लियामेंट में प्रधान मंत्री पं० जवाहर लाल नेहरू जी ने यह घोषणा की थी कि यह आन्दोलन जो है शुद्ध जन-आन्दोलन है। इससे किसी सरकार का सम्बन्ध, किसी अधिकारी का सम्बन्ध नहीं होगा। मैं उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार यह आन्दोलन चल रहा है उस तरफ माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान जरूर दिलाना चाहूंगा। इस आन्दोलन को जन-आन्दोलन की शक्ल दी जाय, यह बात हमारे ध्यान में रहनी चाहिये। मैं किसी जगह का नाम नहीं लेना चाहता और न किसी विशेष जगह की परिस्थिति बताना चाहता हूं। अगर माननीय मुख्य मंत्री जी जानना चाहेंगे तो मैं उनकी सेवा में निवेदन कर दूंगा। सरकारी अधिकारियों का यह आन्दोलन अगर बन जाय तो इस आन्दोलन से नुकसान पहुंचेगा और जो उद्देश्य है विनोबा जी का, अहिंसात्मक और सत्य की पर्णतः परीक्षा करना और उस पर आचरण करना वह फिर उस तरह से सिद्ध हो नहीं पाता। तो इन बातों की तरफ मैं थोड़ा सा ध्यान दिलाते हुए, इसका थोड़ा सा सम्बन्ध इस सदस्यता से भी है तो मैं ऐसा सोचता हूं कि रामसुभग वर्मा जी का जो प्रस्ताव है वह उसका अर्थ कदापि यह नहीं है कि बाबूलाल जी मित्तल से कोई हमारा वैमनस्य है या हम उनके इस विधान सभा में रहने से दुखी हैं, हम तो सुखी हैं बाबूलाल जी के यहां रहने से। लेकिन अगर बाबूलाल जी मित्तल नहीं रहना चाहते हैं तो मैं यह जरूर चाहता हूं कि जनता को यह अधिकार मिलना चाहिए कि वह अपनी सेवा दूसरों से भी करा सके और इसी दृष्टि से माननीय रामसुभग जी का यह प्रस्ताव भी है और इसी दृष्टि से मैं माननीय सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव को देखा जाय। हरगिज दूसरी दृष्टि इसमें न लायी जाय और न यह समझा जाय कि बाबूलाल जी मित्तल का अपमान या उनके प्रति कोई अश्रद्धा प्रकट करने के लिए यह प्रस्ताव है। बिलकुल शुद्ध इसी भाव से यह प्रस्ताव लाया गया है और इसीलिये इसको मैं स्वीकार करने की प्रार्थना करता हूं।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)--अध्यक्ष महोदय, श्री बाबूलाल मीतल से मैं परिचित नहीं हूं किन्तु इतना जानता हूं कि वे हम और सदस्यगण सरीखे किसी एक क्षेत्र से निर्वाचित हो करके इस सदन में आये हैं। यदि किसी कारण श्री मित्तल जी इस सदन की सदस्यता में गर्व नहीं रखते हैं, या किसी और कार्य को वह इस सदन के कार्य से अधिक महत्वपूर्ण स्थान देते हैं तो यह उनके अपने विचार की बात है। यदि उनका यह विचार है कि इस सदन में बैठना समय को व्यर्थ नष्ट करना है तो संभवतः हममें से बहुत से और सदस्य भी ऐसे हैं जिनका यही विचार है किन्तु फिर भी हम बाकी सदस्य यह होते हुए भी यह समझते हैं कि यहां आने से हम अपना कुछ न कुछ कर्त्तव्य या फर्ज अदा करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, किन्तु यह संकल्प जो हमारे सामने है, मैं समझता हूं कि यह एक गलत संकल्प हमारे सामने आया हुआ है। जो जीवन देता है। वही उसका जीवन वापस ले सकता है। बाबूलाल जी एक क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं। वहां के कांस्टीट्युएंट्स ने उनको यहां भेजा है और मैं समझता हूं कि यह अधिकार हमारा नहीं है चाहे रूल्स में भले ही हमको यह अधिकार दिया गया हो किन्तु न्याय की दृष्टि से इस सदन के सदस्यों का यह कर्त्तव्य अथवा अधिकार नहीं हो सकता कि किन्हीं कारणों से वे एक सदस्य को इस सदन की सदस्यता से वंचित करें। यदि किन्हीं कारणों से यह सदन यह समझता है कि एक सदस्य अपना कर्त्तव्य पूरा नहीं कर रहा है तो मैं समझता हूं कि हमको अपने रूल्स में परिवर्तन करना चाहिए और कोई ऐसी प्रथा हम ले आवें जिससे कि हम उस क्षेत्र के निवासियों को यह अधिकार दे सकें कि आपने जो सदस्य पिछली बार भेजा था वह अपना कर्त्तव्य पूरी तरह पूरा नहीं कर रहा है। अब आपकी जो राय हो वह करें। मैं इन शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय, यह मानते हुए कि यह हमारा कर्त्तव्य है कि हम पूरी तरह से अपने क्षेत्र के निवासियों की आवाज यहां पहुंचायें और जो भी हमारे और कर्त्तव्य हैं उनका पूरी तरह से पालन करें, किन्तु मैं यह अपने लिए अपना कर्त्तव्य और अधिकार नहीं मान सकता कि किसी एक सदस्य की सदस्यता को छीनने के लिए कोई अधिकार मुझे है।

श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)--मान्यवर, जहां तक बाबूलाल जी मित्तल से सम्बन्धित इस प्रस्ताव का सम्बन्ध है और पिछले दिनों जो जानकारी प्राप्त हुई उससे यह मालूम हुआ है कि इस काम में जाने के बाद बाबूलाल जी मित्तल विधान सभा की मासिक सैलरी को वापस कर दिया करते हैं। शायद जहां तक मुझे याद है आप ही ने यह बताया था। मैं इन सारी परिस्थितियों पर विचार कर बाध्य होता हूं कि मैं बालेन्दु शाह जी के उस कथन या वक्तव्य का जो उन्होंने इस सदन में दिया, अभी श्रीमन्, आपके सामने दिया है समर्थन करूं। मैं यह समझता हूं कि किसी भी तरह से यह नैतिक कार्य नहीं होगा कि जब विधान सभा के किसी एक सदस्य को १० दिन तक अपने क्षेत्र में कचहरी में वकालत करने के बाद पैसा लेने का हक प्राप्त है और वह पैसा लेता भी है तो आर्थिक दृष्टिकोण से यह कभी नहीं कहा जा सकता और किसी भी तरह की कीचड़ नहीं उछाला जा सकता बाबूलाल जी पर कि उन्होंने किसी भी तरह से जनता के पैसे का अनुचित लाभ उठाया है, लिया है या हमें किसी तरह का घाटा हुआ है।

जहां तक आने वाले चुनाव और आने वाली सरकार का सम्बन्ध है वह भी बहुत नजदीक ही है और इस अवसर पर जब कि दो वर्ष से बाबूलाल जी की गैर हाजिरी का समय देखने को मिला है, वह चल रहा है, तो यह प्रस्ताव उपस्थित करना बड़ा असामयिक है। मैं समझता हूं कि सारा सदन एक मत से बाबूलाल जी के इस कार्य की भूरि-भूरि प्रशंसा करेगा और अन्य सदस्यों को प्रोत्साहित करेगा कि वह इसी तरह से देश हित में अपना समय लगावें और अपनी स्वार्थ की भावना को दूर कर इस तरह के त्याग की भावना और प्रवृत्ति पैदा करें।

*श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)---श्रीमन्, जहां तक बाबूलाल जी के काम का सवाल है कि उन्होंने ने इस विधान सभा का काम छोड़ कर भूदान का काम अख्तियार किया, उसके बारे में बहुत से लोगों ने अपनी राय सदन के सम्मुख प्रस्तुत की है। उसके बारे में कुछ ज्यादा न कह के मैं यह चाहूंगा कि अगर वे वह इस सदन का काम करना नहीं चाहते और अपनी सैलरी भी वापस दे देते हैं तो उनका नाम इस सदन में रखना एक तरह से कानून के साथ अन्याय है और इस सदन के साथ अन्याय है और जहां से वह चुन कर आते हैं वहां की जनता के साथ अन्याय है। सरकार की ओर से उस रोज यह कहा गया कि साहब, अब तो जनरल एलेक्शन आ रहे हैं, चुनाव इस वक्त इस सीट पर होगा नहीं, इसलिये इस सीट को हटाने से कोई फायदा नहीं। बहरहाल, यह काम हमारा नहीं, यह काम एलेक्शन कमीशन का है। वह अच्छी तरह से इसको समझेंगे वह अपने काम को करेंगे। हमारा जो काम है भारतीय संविधान की धारा १९० की उपधारा (४) के अनुसार वह यह है कि अगर कोई सदस्य ६० दिन से ज्यादा इस सदन में उपस्थित नहीं रहता है तो उसकी जगह यह विधान सभा रिक्त करे---और जहां तक मेरी जानकारी है बाबूलाल जी ने मुख्य मंत्री जी के यहां यह पहले ही इस्तीफा भी लिख कर भेज दिया और उन्होंने ठीक ही कहा था कि अगर किसी पार्टी का कोई सदस्य इस्तीफा देना चाहे तो वह उसे उसी पार्टी के नेता के पास भेजना चाहिये न कि डायरेक्टली अध्यक्ष के पास भेजे। इसलिए जो कुछ उन्होंने किया वह ठीक किया। मैं तो समझता हूं कि सरकार को इस पर विरोध नहीं होना चाहिये और यह जो प्रस्ताव रामसुभग जी का है वह इस सदन को पास कर देना चाहिये।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)---अध्यक्ष महोदय, बाबूलाल जी मित्तल को मैं बहुत ही निकट से जानता हूं और आगरा सेंट्रल जेल में उनके साथ रहने का मुझे मौका मिल चुका है। जिन उच्च आदर्शों के भाव से प्रेरित होकर वह एक ऊंचे कार्य में लगे हुए हैं वह हमारी प्रशंसा का विषय है। अध्यक्ष महोदय, आपने जयप्रकाश नारायण जी के उस भाषण को स्वयं सुना था---आप उस सभा के सभापति भी थे---जिसमें उन्होंने कहा था कि भूदान आन्दोलन का लक्ष्य है कि देश में एक ऐसी नैतिक सत्ता स्थापित की जाय या संगठित की जाय जिसकी सत्ता को राजसत्ता भी कबूल करे और माने। तो ऐसी सत्ता की स्थापना में जो व्यक्ति रत है उसकी जितनी प्रशंसा हम करें वह कम ही है। ऐसी स्थिति में उनको एक विधान सभा की एक फर्जी मेम्बरी में बनाये रखना हम सब के लिए भी उचित नहीं है। और वह स्वयं चाहते भी नहीं हैं अन्यथा वह इस प्रकार से अपना वेतन वापस नहीं करते या अपने को इस चीज से वंचित नहीं करते। मैं समझता हूं कि इसमें किसी तरह का मतभेद न पैदा होकर हम लोगों को एक राय से उनको मुक्त कर देना चाहिए, ताकि वह जिस काम में लगे हुए हैं उसमें पूरे मन से उसको सफल बनाने में अपना योगदान दे सकें।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गेंदा सिंह जी की इस बात से पूर्णतया सहमत हूं कि यह हमारे लिये सौभाग्य की बात होती यदि हम इन मित्तल जी की सेवाओं से वंचित न होते। एक बात खुशी की जरूर हुई कि माननीय गेंदासिंह जी ने यह कहा कि उनके मन में यह भाव आया था कि यदि वह सदन को छोड़ कर बाहर काम करें तो अच्छा होगा, लेकिन वह अपनी कमजोरी के कारण न जा सके। मुझे खुशी है कि उनकी यह कमजोरी है, क्योंकि अगर सब मजबूत बनकर सदन को छोड़कर बाहर चले जायं तो देश किस बुरी दशा में पड़ जायगा। अस्तु।

यह बिल्कुल सही है कि मित्तल जी ने मुझे इस बात से सूचित किया था कि वह अपना समय भूदान के काम में लगाना चाहते हैं। यह मेरी कमजोरी समझिये कि मैं समझता

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

था कि भूदान के काम को करते हुये शायद आगे पूरा समय नहीं तो कुछ समय वह सदन के काम में भी दे सकें। मैंने इस बात की कोशिश की लेकिन अभी तक मुझे सफलता नहीं मिली। यह मैं खूब जानता हूं कि इस प्रस्ताव को पेश करने में वर्मा जी का श्री मित्तल से कोई द्वेष नहीं है बल्कि सब लोग उनका आदर करते हैं।

इसके अतिरिक्त भी एक और बात है मैं समझता हूं कि शायद अब उपनिर्वाचन नहीं होंगे और जो कुछ हमारे पास इलेक्शन कमिश्नर के पास से सूचना आई है उससे ऐसा ही मालूम होता है। ऐसी दशा में वोटरों को दूसरा आदमी चुनने का अधिकार नहीं मिल सकता। इसलिये मैं समझता था, यह नहीं कि मित्तल जी की शोभा होती हमारे मेम्बरों की लिस्ट में नाम रहने से, लेकिन हमारी शोभा थी उनका नाम रहने से यदि माननीय सदस्य समझते हैं कि उनका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाय और ऐसी घोषणा करने से किसी विशेष उद्देश्य की सिद्धि होगी तो मैं इसका विरोध करना नहीं चाहता हूं। मैं इसको सदन के ऊपर छोड़ता हूं कि उनका नाम पड़े रहने से या स्थान रिक्त करने से सदन अपनी शोभा समझता है। मैं विरोध नहीं करता।

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)---माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता सदन और विरोधी दल के नेता तथा अन्य माननीय सदस्यों के भाषणों से यह स्पष्ट हो गया है और मुझे प्रकाश डालने की जरूरत नहीं मालूम होती है। श्रीमन्, मैं इस प्रस्ताव को कभी भी किसी ऐसी भावना से नहीं लाया था जैसा कि माननीय नेता सदन ने भी बतलाया है। मैंने स्वयं बतलाया था कि मित्तल जी शुद्ध भावना से पवित्र काम में संलग्न हैं और उन्होंने अपनी इस शुद्ध भावना से माननीय सदन के नेता के पास अपना एक प्रार्थना-पत्र भी भेजा था और माननीय सदन के नेता ने बतलाया कि उन्होंने प्रयत्न भी किया था लेकिन उन्होंने वापस नहीं लिया। मैं संविधान की उस धारा की रक्षा के लिये ही यह प्रस्ताव लाया था ताकि सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान उधर जाय और जिस भावना से उन्होंने त्याग-पत्र दिया था उसकी भी पूर्ति हो जाय। आज मैं सदन से यह प्रार्थना करूंगा कि माननीय मित्तल जी को इससे मुक्त कर दें।

श्री अध्यक्ष---अब मैं इस प्रस्ताव को सदन के सामने उपस्थित करता हूं और राय लेता हूं।

प्रश्न यह है कि श्री बाबूलाल मीतल, जो आगरा शहर (उत्तर) निर्वाचन क्षेत्र से विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुये थे, की अनुपस्थिति ६० दिन से अधिक हो गयी है अतः सदन निश्चय करता है कि उनका स्थान रिक्त घोषित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश तकावी विधेयक, १९५४

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश तकावी विधेयक, १९५४, को जो उत्तर प्रदेश विधान सभा की ७ सितम्बर, १९५४, की बैठक में पुरःस्थापित किया गया था, वापस लेने की अनुज्ञा दी जाय। इसका कारण यह है कि बहुत विचार करने पर यह मालूम हुआ है कि कोई बहुत लाभ उससे नहीं होता है केवल तकावी के दो कानून, ऐक्ट नम्बर १९, सन् १८९२ और ऐक्ट नम्बर १२ सन् १८८३, एक ऐक्ट हो जाते हैं। इसके अलावा उससे कोई विशेष लाभ होता नहीं। इसलिये मैं यह मुनासिब समझता हूं कि इस बिल को वापस ले लिया जाय। माल विभाग में अब भी विचार किया जा रहा है कि मौजूदा कानून किस प्रकार बेहतर बनाया जा सकता है। अगर आवश्यकता हुई तो फिर बाद में दूसरा बिल पेश किया जायगा। वैसे जितनी कठिनाइयां तकावी वसूल करने आदि के सिलसिले में थीं वे सब कठिनाइयां नियमों में संशोधन के जरिये से दूर की जा सकती हैं और संशोधन किये भी गये हैं। इसलिये मैं इसकी वापसी की इजाजत चाहता हूं।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय माल मंत्री जी ने कुछ कारण भी बतलाये इस विधेयक को वापस लेने के। मैं कुछ ऐसा समझता था कि इस विधेयक के पास होने से जो कर्जा मिलने की सुविधा है वह बढ़ जायगी और इसी उद्देश्य से यह विधेयक भी रखा गया था। माननीय मंत्री जी ने यह जरूर कहा कि नियमों में वे कुछ ऐसा प्रबन्ध करेंगे जिससे कि कर्जा मिलने में सुविधा प्रदान हो जाय। तो यह चीज बहुत पहले भी सोची जा सकती थी और अगर वे मेहरबानी करके यह बताये होते कि नियमों में फलां-फलां परिवर्तन कर दिये गये हैं जिनके मुताबिक जो इस विधेयक में हम सुविधा करना चाहते थे वह सुविधा लोगों को मिल चुकी है तो हमको स्वयं वह सुविधा मिली होती क्योंकि कर्जा लेने वाले आदमी को अगर वह सुविधा पहुंच गयी होती तो उसको इस बात की चिन्ता नहीं होती। मैं ऐसा समझता हूं कि कर्जा लेने की बड़ी सख्त जरूरत लोगों को है। और मैंने तो कुछ उसमें संशोधन कर रखे थे। अब मुझे ऐसा याद पड़ता है कि जो कुछ संशोधन मैंने कर रखे थे उसको सरकार ने पसन्द किया था और वे संशोधन स्वीकार हो जाते। जैसे जूट के किसानों को कुछ कर्जा देने की व्यवस्था की गयी थी क्योंकि जहां पर यह लिखा हुआ है कि किस-किस कार्य के लिये उनको कर्जा दिया जायगा उसमें जूट एक नई पैदावार है हमारे सूबे के लिये, वह इत्तिफाक से छूट गया था। तो उसके पैदावार के लिये, उसको धोने के लिये और अच्छा माल बनाने के लिये हमने कहा कि कर्जा देना जोड़ दिया जाय। सरकार ने भी इसको पसन्द किया था तो मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या माननीय मंत्री जी ने इन सारे सवालों पर गौर कर लिया है। यों तो सदन का समय बचे इसमें मुझे आपत्ति नहीं है, कर्जा लेने वालों को बगैर इस विधेयक के पास हुये भी कर्जा मिल जाय तो मुझे इसमें आपत्ति नहीं है लेकिन मुझे अब भी डर लगता है कि जिस उद्देश्य से यह विधेयक लाया गया था वह उद्देश्य शायद पूरा नहीं हो पायेगा। तो मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं राजस्व मंत्री जी से कि इन बातों को ध्यान में रख कर इस विधेयक को वापस लिया है तो ठीक है। अगर विधेयक का उद्देश्य ऐसे ही पूरा हो जाता है तो इस विधेयक को वापस कर लिया जाय। लेकिन अगर नहीं पूरा होता है तो जैसे और विधेयक पास करने में हमने जल्दी की इसमें भी वैसी ही जल्दी कर सकते थे। म समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इस प्रश्न पर फिर विचार करें और अगर उससे उद्देश्य पूरा नहीं होता है तो इस विधेयक को वापस न लें। लेकिन मुझे कोई जिद नहीं है। मुझे सिर्फ यह कहना है कि इस बात का ध्यान रखा जाय कि वह उद्देश्य पूरा होता है या नहीं।

श्री चरणसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय मित्र ने जो जूट के किसानों के सिलसिले में बात कही है वह सही ही होगी, लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता है। आज जैसा कानून है उसके मातहत भी पटसन बोने वाले किसानों को तकावी मिल सकती है लिहाजा कोई उसके लिये संशोधन करने की आवश्यकता हो यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मेरी मंशा दरअसल यह थी कि तकावी जो आदमी ले, वह तकावी तो दरअसल गवर्नमेंट का कर्जा होता है तो वह कर्जा जो प्राइवेट आदमियों से उसने ले रखा है ऐसे किसानों को उन सब कर्जों पर उसको प्रायरिटी मिले। इसलिये मैं चाहता था कि गवर्नमेंट रुपया जिस वक्त दे तो तहकीकात करने की जरूरत न पड़े कि किसका कर्जा इसके ऊपर अब है। वह जरूरत अब पड़ती है। शुरू में जब यह बिल ड्राफ्ट किया जा रहा था मैं चाहता था कि इस तरह का प्राविजन रख दिया जाय और इस तरह का प्राविजन मध्य प्रदेश के ऐक्ट में है। लेकिन हमें कानूनी मशविरा यह मिला कि ऐसा नहीं हो सकता तो इसलिये वह प्राविजन नहीं आ सका। बहरहाल, बिल तो पेश हो गया लेकिन मेरी असली मंशा जो थी वह पूरी नहीं होती थी। केवल एक मंशा कि

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दो तकावी ऐक्टों का एक ऐक्ट बन जाय वह ही इससे पूरा होता है। इसलिये मैंने सोचा कि इसको वापस लेना चाहिये और अगर जरूरत पड़े तो फिर गौर करने के बाद दोबारा दूसरा बिल लाया जाय।

जैसा मैंने अर्ज किया कि नियमों के संशोधन के जरिये लोगों की जो तकलीफ है वह दूर की जा सकती है और आपकी इजाजत से मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट की तकावी से ही किसानों की जरूरत पूरी होगी। ऐसा सोचना हमारी गलती है। किसानों को करोड़ों, अरबों रुपयों की जरूरत पड़ती है। हरसाल यह गवर्नमेंट उतनी तकावी दे ही नहीं सकती। इसके लिये हमको कोआपरेटिव सोसाइटीज का सहारा लेना होगा और जितने भी यह गैर-सरकारी जनसेवक हैं और सरकारी जनसेवक हैं उन सब को आगे को कोआपरेटिव मूवमेंट की तरफ निगाह रखनी पड़ेगी, कोआपरेटिव क्रेडिट ही लोगों की नीड्स को पूरा कर सकता है। फाइनेंसेज को देखते हुए गवर्नमेंट से ज्यादा आशा नहीं करनी चाहिये। माननीय गेंदासिंह जी का अंदाजा है कि इस बिल के पास हो जाने से किसानों को ज्यादा सहूलियत हो जायगी ऐसी बात नहीं है। कितना कर्जा दिया जा सकता है यह तो गवर्नमेंट के फाइनेंशल रिसोर्सेज पर है और गवर्नमेंट से सारा कर्जा लेना भी किसानों के ज्यादा हित में नहीं है। कोआपरेटिव मूवमेंट में भाग ले कर वह अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। उसकी तरफ हमको ज्यादा ध्यान देना होगा। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव को फिर प्रेस करूंगा कि मुझे बिल वापस लेने की इजाजत दे दी जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश तकावी विधेयक, १९५४ को जो उत्तर-प्रदेश विधान सभा को ७ सितम्बर, १९५४, की बैठक में पुरःस्थापित किया गया था, वापस लेने की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के १९५२-५३ तथा १९५३-४ के प्रतिवेदनों पर विवाद

श्री अध्यक्ष—अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन सन् १९५२-५३ तथा सन् १९५३-५४ पर विवाद होगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, आज लोक सेवा आयोग की सन् १९५२-५३ की रिपोर्ट हमारे सामने विचाराधीन है।

श्री अध्यक्ष—१९५३-५४ की भी।

*श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं पहले सन् १९५२-५३ की रिपोर्ट ही लूंगा। सब से पहले तो इस १९५२-५३ की इस रिपोर्ट को देख कर हमें आदरणीय अमरनाथ झा की याद आती है। हमें बड़ा दुःख है कि किन्हीं दूसरी उलझनों में पड़ जाने के कारण हम विधान सभा में उनकी स्मृति के प्रति श्रद्धांजली अर्पित संभवतः नहीं कर सके। उन्होंने इस राज्य में पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन रह कर और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर रह कर और भी अनेक उत्तरदायित्वपूर्ण पदों पर रह कर जो सेवा की उसको हम कभी नहीं भुला सकते और मैं समझता हूं कि आज इस राज्य की सेवाओं में उनके सैकड़ों और हजारों विद्यार्थी कार्य कर रहे हैं, उन सब पर डाक्टर अमरनाथ झा की एक अमर छाप बनी रहेगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

यह सन् १९५२–५३ की जो रिपोर्ट है यह उनकी चेयरमैनशिप में यानी उनकी अध्यक्षता में एक अन्तिम रिपोर्ट मानी जा सकती है और इस रिपोर्ट में थोड़ी बहुत उनके व्यक्तित्व की छाप हमें मिलती है। मैं इस बात को निःसंकोच रूप से कह सकता हूं कि पब्लिक सर्विस कमीशन को जितना स्वतन्त्र महत्व डाक्टर झा की चेयरमैनशिप में मिला उतना कभी मिलना संभव प्रतीत नहीं होता। मेरी किसी प्रकार किसी की योग्यता में या किसी भी निरपेक्षता में कोई आक्षेप करने की भावना नहीं है लेकिन डाक्टर झा का व्यक्तित्व ही ऐसा था कि वह सहज ही अपने दूसरे सहकर्मियों से ऊंचे उठ जाते थे और जब कभी भी वह कोई बात चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन की हैसियत से कहते थे तो सरकार को भी उनके तर्कों के सम्मुख झुकना पड़ता था और जब कभी सरकार उनके तर्कों से सहमत नहीं भी होती थी तब भी यह स्पष्ट प्रतीत होता था कि पब्लिक सर्विस कमीशन की राय अपने स्थान पर अत्यधिक सही है और सरकार का दृष्टिकोण कम से कम ९० प्रतिशत स्थानों पर अयुक्तिपूर्ण ही प्रतीत होता था।

इस सन् १९५२–५३ की रिपोर्ट से तो यह स्पष्ट होता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने जो पहले समस्यायें थीं वह इस वर्ष में करीब-करीब वैसी ही बनी रहीं और स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ। वही स्थान की कमी की समस्या, प्रत्येक वर्ष कमीशन सरकार से मांग करता आया था कि उसके पास परीक्षा हाल नहीं है जिससे परीक्षार्थियों को और कमीशन को परीक्षा लेने में और इन्टरव्यू करने में अधिक संकट का सामना करना पड़ता है। सरकार ने जो स्मृतिपत्र दिया है उसमें भी इतना कहा गया है कि इस सम्बन्ध में विचार हो रहा है। जब पिछली बार हमने सन् १९५०–५१ और १९५१–५२ की रिपोर्ट पर विवाद किया था तो उस समय माननीय मुख्य मंत्री ने कोई स्पष्ट कदम उठाये जाने का आश्वासन दिया था। मैं नहीं जानता कि इस बीच में कौन सी दिक्कत हुई जिसके कारण पब्लिक सर्विस कमीशन की इस छोटी सी मांग को पूरा नहीं किया जा सका कि एक हाल की व्यवस्था इलाहाबाद में की जा सके ताकि पब्लिक सर्विस कमीशन अपनी परीक्षाओं को ठीक प्रकार से ले सके।

दूसरी समस्या जो मेरे दृष्टिकोण से वहां की बनी हुई है वह पब्लिक सर्विस कमीशन के कार्य क्षेत्र को स्पष्ट करने के सम्बन्ध में है। जो कमी पहले व्यक्त की गयी थी वह वैसी ही बनी हुई है। श्रीमन्, संविधान की धारा ३२० के अनुसार गवर्नर महोदय को इस बात का अधिकार है कि पब्लिक सर्विस कमीशन को किन मसलों पर राय नहीं देगा। इसके सम्बन्ध में फन्कशन्स और रेगुलेशन्स बनाने का अधिकार है यानी जिन विषयों पर राज्य सरकार के लिये यह आवश्यक नहीं होगा कि वह पब्लिक सर्विस कमीशन की राय ले उन विषयों के सम्बन्ध में गवर्नर महोदय रेगुलेशन्स बनाते हैं। यह फन्कशन्स और रेगुलेशन्स जिसकी एक प्रति मेरे पास मौजूद है, इसका संशोधन अप्वाइन्टमेंट विभाग द्वारा जनवरी सन् ५४ में अन्तिम बार हुआ। मैंने पिछली बार भी जिक्र किया था कि फंक्शन्स और रेगुलेशन्स की और भी अधिक बरते जाने की आवश्यकता है। अगर हम चाहते हैं कि जो लोग सरकार की सेवा में काम करते हैं उनके हृदय में जलन न हो, अगर हम चाहते हैं कि संविधान की धारा ३११ और ३२० के अनुसार इस राज्य की सेवा में जो छोटे छोटे कर्मचारी हैं और जो बड़े-बड़े कर्मचारी हैं उनको इस प्रकार की भावना देना है कि उनके प्रमोशन में, उनकी तरक्की में, उनकी तब्दीली में, उनके ट्रान्सफर में और उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्यवाही के सम्बन्ध में न्याय हो रहा है या अन्याय हो रहा है, पक्षपात हो रहा है या नहीं हो रहा है तो इन फंक्शन्स और रेगुलेशन्स को और अधिक स्वस्थ स्वरूप देना पड़ेगा।

आज स्थिति क्या है ? आप इन रेगुलेशन्स को देखें। सबसे बड़ी बात जो भ्रान्त की सर्विसेज को परेशान कर रही है वह डिसिप्लीनरी इन्क्वायरी कमेटी की सिफारिशों

को लागू किया जाना है। जो पन्त कमेटी बैठी थी राज्य की सर्विसेज के अनुशासन के सम्बन्ध में विचार करने के लिये उस पन्त कमेटी की सिफारिशों को मान कर नये नियम बनाये गये जिनके आधार पर प्रमोशन मैरिट के आधार पर किये जाते हैं। सीनियारिटी का मामला खत्म कर दिया गया। केवल मैरिट के आधार पर प्रमोशन होंगे इस सिफारिश को स्वीकार किया गया है। श्रीमन्, आज प्रदेश में सैकड़ों ऐसे उदाहरण मिल सकते हैं जिनमें लोगों को शिकायत रहती है। लोगों की आज सबसे बड़ी शिकायत यह है कि जो प्रमोशन हो रहे हैं यह मैरिट के नाम पर तो होते हैं, लेकिन अधिकांश बड़े-बड़े अफसर पक्षपात करते हैं।

मुझे इस बात का सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि बहुत से सर्विसेज के एसोसियेशन के कर्मचारियों के पदाधिकारियों से बातचीत करूं। मुझे २, ४ सर्विसेज के एसोसियेशन का सभापति होने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है और शायद माननीय मुख्य मंत्री जी के सामने यह बात कई बार रखी गयी कि निरन्तर मैरिट के नाम पर और योग्यता के नाम पर जो पुराने अनुभवी कर्मचारी हैं उनके अधिकारों के प्रति कुठाराघात हो रहा है। जब पब्लिक सर्विस कमीशन से इस बारे में राय ली गयी तो पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपनी सहमति तो दी उसके साथ ही उन्होंने उक्त शर्त भी लगा दी, पेज २८ पर है कि "डिसिप्लिनरी प्रोसीडिन्गस इनक्वायरी कमेटी की संस्तुति पर शासन ने जनवरी, १९५३ में निश्चय किया कि किसी व्यक्ति की पदोन्नति के लिये योग्यता निर्धारित करने में केवल उसके गुणों को ही विचार में रखना चाहिये, उसकी ज्येष्ठता कुछ भी हो और इसलिये कि अनुभव बिल्कुल ही उपेक्षित न हो जाय, पदोन्नति के लिये योग्यता का क्षेत्र निर्धारित करने में सेवा में एक नियत न्यूनतम अवधि तक की स्थिति (स्टैन्डिन्ग) को पदोन्नति का एक प्रतिबन्ध निदेशित किया जाय। इस मामले में परामर्श होने पर कमीशन सहमत हुये कि जैसा प्रस्तावित था, केवल गुण ही सब पदोन्नतियों का आधार हो, परन्तु इस बात का सुरक्षण (सेफगार्ड) करने के लिये कि कोई ज्येष्ठ उपयुक्त पदाधिकारी बिना पर्याप्त औचित्य के छोड़ न दिया जाय, उन्होंने यानी कमीशन ने, सुझाव दिया कि उपर्युक्त विनियम ४ (डी) काट दिया जाय और कमीशन को पदोन्नति के लिये संस्तुत पदधारियों के साथ अवक्रमणित पदधारियों के मामलों पर भी विचार करने दिया जाय। शासन ने कमीशन से सहमत होकर विनियम ४ (डी) काट दिया और आदेश दिया कि पदोन्नति के लिये संस्तुतियों के साथ-साथ ऐसी पदोन्नति के लिये प्रस्तावित पदधारियों की आचरण तालिकाओं के अतिरिक्त उन सब पदधारियों की आचरण पालिकायें तथा निजी फाइलें भी कमीशन को भेजी जावें जो कि पदोन्नति के लिये छोड़ दिये गये हों।

इस उद्धरण से यह साफ होता है कि कमीशन केवल एक शर्त पर इस मामले में तैयार हुआ कि मैरिट एक सोल क्वालीफीकेशन प्रोमोशन के लिये मानी जाय जब कि संबंधित अफसरों की जितनी फाइलें हैं वे पर्सनल रैकार्ड कमीशन के पास भेजे जायेंगे। तो इससे दो बातें हमारे सामने आयीं। कमीशन ने इस शर्त पर अपनी राय दी जब कि सारी फाइलें उसके सामने आवें चाहे किसी अफसर का प्रोमोशन हो या न हो। लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि कमीशन के सामने सारी फाइलें नहीं जाती हैं। केवल उन्हीं सरकारी अफसरों के पर्सनल रेकार्ड जाते हैं जिनकी फाइलें फंकशन्स और रेग्यूलेशन्स के मातहत कमीशन के पास जा सकती हैं। इसके लिये मैं रेग्यूलेशन ६ की उपरेगूलेशन (बी) को पढ़ना चाहूंगा :—

"It shall not be necessary to consult the Commission on the principles to be followed in making promotions or on the suitability of candidates for promotion in the following cases, namely, promotion from a lower to a higher grade of post within the same service according to the rules of that service."

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

इसके अर्थ यह हैं कि अगर किसी सर्विस के नियम बने हुये हैं तो वहां लोअर ग्रेड से हायर ग्रेड में प्रोमोशन के लिये फाइलें कमीशन के पास नहीं जावेंगी। तो राज्य की दो तरह की सेवायें बन गई हैं, एक तो वे जिनके मामले कमीशन के पास जा सकते हैं और कमीशन सरकार की किसी गलती पर नुक्ताचीनी कर सकता है कि आपने फलां अफसर को ठीक ढंग से प्रोमोट नहीं किया या किसी आनेरिटी के नाम पर गलत प्रोमोट कर दिया। लेकिन एक बहुत बड़ा सेवाओं का हिस्सा, बहुत बड़ा बहुमत, राज्य की सेवाओं का ऐसा है जिसके मामले इस उपरेगूलेशन ६ (बी) के अनुसार कमीशन के पास नहीं जा सकते हैं।

मैं जानना चाहूंगा पब्लिक सर्विस कमीशन से और सरकार से कि ऐसे लोगों के लिये क्या उपाय है? कमीशन ने जिस सिद्धान्त को उच्च श्रेणी के कर्मचारियों के लिये मान लिया तो उसके मातहत निम्नश्रेणी के कर्मचारियों के मामले क्यों नहीं होना चाहिये? मैं दो एक मिसालें देना चाहता हूं। अभी कुछ फारेस्ट डिपार्टमेंट में प्रोमोशन्स हुये हैं। ऐसे फारेस्ट गार्डों को जिनकी २१ साल की सर्विस थी किसी को भी प्रोमोशन नहीं मिला और ऐसों को मिल गया जिनकी केवल ६ महीने की या २ साल की सर्विस है। मैरिट के नाम पर २१ साल की जिनकी सीनियारिटी है और जिनके रिकार्ड खराब नहीं हैं, उनको प्रोमोशन नहीं मिला है, इसका क्या उपाय है? कमीशन के सामने मामला आ नहीं सकता रेग्युलेशन ६ बी के अनुसार। इस समय ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर साहब विद्यमान नहीं हैं। रोडवेज में ऐसा चमत्कार हुआ कि ५-५ वर्ष के करेक्टर रोल एक ही बार में भरे गये। सन् ५५ में ५० तक की इंट्रीज हुईं। नियम यह है कि अगर किसी कर्मचारी की एडवर्स इंट्री की जाती है तो उसको सूचना दी जाती है लेकिन ऐसी कोई सूचना भी नहीं दी गयी और ५ साल की एंट्री एक दिन में करके प्रोमोशन रोक दिया गया। तो अब यह छोटे सर्विस वाले, जिनको मिडिल क्लास सर्विस वाले कहते हैं, वे कहां जायं? विधान में लिखा हुआ है कि पब्लिक सर्विस कमीशन उनके मामले में हाथ नहीं लगा सकती और यह भी लिखा हुआ है कि गवर्नर महोदय इस मामले में रेग्युलेशन बना सकते हैं। मैं सरकार से और माननीय मुख्य मंत्री जी से यह मांग करूंगा कि या तो पब्लिक सर्विस कमीशन स्वयं इस सम्बन्ध में ऊंची श्रेणी के लिये जो नियम बने हुए हैं उनके अनुसार इनके बारे में भी कार्यवाही करे या कोई डिपार्टमेंटल ट्रिब्युनल का तरीका निकाले अथवा पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और चीफ मिनिस्टर साहब इस सम्बन्ध में मिलें और कोई ऐसी पद्धति निकालें कि उनकी अपील का कोई प्रबन्ध हो सके। जो अफसर हुक्म देने वाला है उसी को अपील भी की जाती है यही सबसे बड़ा कारण हार्ट बर्निंग का है और इसके कारण सर्विसेज परेशान हैं।

तीसरी बात इस सम्बन्ध में यह है कि इसका जो शिडयूल बना हुआ है वह अपर्याप्त है। बहुत सी ऐसी सर्विसेज हैं कि जिनके नाम शिडयूल में होने चाहियें, लेकिन उसमें नहीं हैं। होता क्या है। जब कमीशन के पास सरकारी विभाग कोई रिफरेंस करता है तो कमीशन जवाब देता है कि यह रिफरेंस किस शिडयूल के मातहत किया गया है तो सरकार को चुप हो जाना पड़ता है। ऐसे मामले २-३ इस रिपोर्ट में मिलते हैं। हिन्दी की रिपोर्ट के पेज १० पर ऐसा एक मामला है। मैं उदाहरण के रूप में कहता हूं कि डायरेक्टर आफ ऐनीमल हसबेंडरी ने अगस्त, १९५२ में सेंट्रल डेरी फार्म, अलीगढ़ तथा भट्टक डेरी फार्म लखनऊ के लिये क्रमशः डेरी केमिस्ट्स के लिये दो अस्थायी पदों के लिये भर्ती करने के लिये कमीशन से प्रार्थना की परन्तु क्योंकि ये पद उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन कार्य सीमन सम्बन्धी विनियमनों के परिशिष्ट में सम्मिलित नहीं थे, कमीशन ने संचालक से पूछा कि किस आधार पर उनसे इन पदों के लिये भर्ती करने की प्रार्थना की गयी थी, क्योंकि शिडयूल में उस पद का नाम नहीं था इसलिये कमीशन को कोई अधिकार नहीं था। आज के युग में जब कि रोजाना नयी सेवायें बन रही हैं शिडयूल का हर साल

अमेंडमेंट होना चाहिये। पिछले साल भी यही हुआ। मैंने पिछले साल भी यहां पर तीन-चार मिसालें माननीय मुख्य मंत्री जी के सामने रखी थीं कि कमीशन टेक्निकल हिच के कारण रिक्रूटमेंट नहीं कर सका क्योंकि शेडयूल में नियम नहीं था सेवा का। तो यह दिक्कत आज भी नहीं होनी चाहिये।

सरकार ने जो अपना मेमोरेंडम पेश किया है उसमें भी यह नहीं बतलाया गया है कि क्यों नहीं इस पर विचार हुआ। मैं तो बड़े दुःख के साथ यह कहूंगा कि यह जो मेमोरेंडम है वह बिल्कुल अपर्याप्त है। बहुत जगह इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है जो बहुत ही सूक्ष्म है। और मैं तो माननीय सदन के जितने सदस्य यहां बैठे हुए हैं उनसे कहूंगा कि इसको पढ़ने से सरकार के निश्चय का ठीक-ठीक अन्दाजा नहीं लगता। बहुत सी मिसालें और भी हैं जिनमें सरकार का निश्चय क्या हुआ, इसका कोई पता नहीं लगता। जैसे मैं इसकी भी मिसाल देना चाहता हूं। इनफारमेशन डिपार्टमेंट के सुपीरियर स्टाफ का मामला था। डाइरेक्टर और डिप्टी डाइरेक्टर के लिये कमीशन यह कहता था कि इनका अप्वायंटमेंट कमीशन के रिकमेंडेशन पर होना चाहिये और सरकार कहती थी कि इस पर हम सोच रहे हैं। तीन-चार साल तक सोच-विचार सरकार का चलता रहा, कमीशन भी लिखा पढ़ी करता रहा और अन्त में उसका नतीजा क्या हुआ, अगर आप देखें कि इसका क्या अर्थ होगा, इसका कोई पता ही नहीं है। रिपोर्ट के पृष्ठ ७ में देखें कि कमीशन ने लिखा है कि डाइरेक्टर के बारे में सरकार ने क्या तय किया, उसका जवाब सरकार देती है। निर्धारित शर्तें पूरी करने के बाद सूचना विभाग और सूचना अधिकारी को स्थायी करने का सिद्धान्त सरकार ने स्वीकार कर लिया है। मैं स्पष्टीकरण के लिये सदन को बतलाना चाहता हूं कि आखिर इसका क्या अर्थ हुआ? न मालूम वे क्या शर्तें थीं इसका कोई पता इस सदन को नहीं है, क्या तय हुआ, क्या आवश्यक आदेश जारी किये गये इसका कुछ भी पता हमको नहीं है। कहा गया है कि जून ५३ में यह तय किया गया लेकिन जो तीन लाइनें इसमें लिखी गई हैं उनसे कोई अर्थ नहीं निकलता है। यह स्पष्टीकरण न होकर अस्पष्टीकरण हो गया है। स्पष्टीकरण के बजाय कन्फ्यूजन हो गया है, कुछ भी समझ में नहीं आता।

तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी की सेवा में यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो मेमोरेंडम है अच्छा होता कि सरकार हम लोगों को पहले ही देती और उसके लिये थोड़ा-थोड़ा पैसा ज्यादा भी खर्च करने की जरूरत हो तो वह भी करे ताकि इस सदन के सदस्यों को ज्यादा जानकारी हो जाय ताकि हम ज्यादा अच्छी तरह से बहस में हिस्सा ले सकें। कम से कम हमारी यह बात तो सरकार को मान ही लेनी चाहिये। ये कुछ उदाहरण हैं जो मैंने आपके सामने रखे। ज्यादा मिसालें रख कर मैं हाउस का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। इनफारमेशन डिपार्टमेंट का ऐसा महत्वपूर्ण विषय है जिसकी मिसालें मैंने आपके सामने रख दी।

इसी प्रकार बहुत सी सर्विसेज हैं जिनके नियम अभी तक फाइनल नहीं हो सके हैं। जैसा कि मैंने पिछले वर्ष भी निवेदन किया था कि ट्रांसपोर्ट सर्विस का नियम अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। जुडिशियल सर्विस, सबार्डिनेट जुडिशियल सर्विस, स्टेट प्लानिंग सर्विस के नियम अभी तक फाइनल नहीं हो सके हैं। बहुत सी ऐसी राज्य की सेवायें हैं जिनके बारे में पब्लिक सर्विस कमीशन भी अपनी राय दे चुकी है, लेकिन उनके नियम अभी तक फाइनल नहीं हुये हैं। उसका नतीजा यह होता है कि विभाग के बड़े-बड़े कर्मचारियों को प्रशासन करने में दिक्कत होती है। एडहाक नियम जितने भी बने हैं उनके आधार पर कोई निर्णय भी नहीं ले पाता है। पिछले साल भी मैंने सरकार का ध्यान इस सम्बन्ध में आकर्षित किया था और इस वर्ष भी आकर्षित किया है, लेकिन पता नहीं चलता कि नियमों के सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है? जिन सर्विसेज के नियम अभी

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

फाइनल नहीं हो सकें हैं उनके बारे में पब्लिक सर्विस कमीशन की राय लेनी पड़ेगी या उनके ऊपर क्या कार्यवाही होगी, इसके बारे में कुछ साफ नहीं है। इसके साथ ही साथ श्रीमन्, अंग्रेजी की रिपोर्ट का पृष्ठ १८ और हिन्दी की रिपोर्ट का पृष्ठ २५-२६ जो है उस पर आप देखें कि करीब १७ विभागों के लिए कमीशन से नियमों के बारे में राय ली गई और कमीशन ने उन पर अपनी राय दे दी। उन विभागों में से कुछ के नाम मैं पढ़े देता हूं। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग मे डिप्टी रेवेन्यू अफसरों की सेवा के संशोधित आलेख्य नियम, उत्तर प्रदेश सहायक कस्टोडियनों की सेवा के नियम, स्वायत्त शासन शाखा में इंजीनियरों की सेवा के संशोधित आलेख्य नियम, सिंचाई विभाग में सबार्डिनेट एलेक्ट्रिकल तथा मेकेनिकल इंजीनियरिंग सेवा के संशोधित आलेख्य नियम, प्रोबेशन अफसरों की सेवा के नियम आदि। फारेक्ट सर्विसेज रूल्स की एक मिसाल दूं कि इतनी महत्वपूर्ण सर्विसेज के बारे में, उनके नियमों के बारे में सरकार ने कमीशन से राय मांगी और कमीशन ने उस पर अपनी राय व्यक्त की लेकिन न तो रिपोर्ट से ही और न सरकार के मेमोरेन्डम से पता चलता है कि कमीशन की उन सिफारिशों का क्या हुआ। मिसाल के लिए मैं एक बात पूछना चाहता हूं य० पी० फारेस्ट सर्विस रूल्स के बारे में जो कमीशन ने राय दी वह मानी गई या नहीं, इसका इसमें कोई हवाला नहीं मालूम होता है। यह स्पष्ट होना चाहिए कि सर्विसेज रूल्स के बारे में सरकार ने क्या एक्शन लिया?

इसके साथ ही साथ एक बात और भी है कि जिसकी ओर कमीशन ने सरकार का ध्यान बार-बार दिलाया है, लेकिन उस सम्बन्ध में कोई निश्चित कार्यवाही नहीं हुई। कई बार ऐसा हुआ है कि कमीशन से कहा जाता है कि फलां-फलां सर्विसज के लिए एडवर्टाइजमेंट या विज्ञापन निकालो, कमीशन विज्ञापन कर देता है, विज्ञापन के बाद परीक्षा और इन्टरव्यू तक हो जाती है और उसके बाद ही कुछ दिन बाद पता लगता है और सरकार लिख देती है कि अब उन पदों की आवश्यकता नहीं है और इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही न की जाय, तो आप समझ सकते हैं कि कितना वेस्ट हुआ, एक तरफ तो उम्मीदवारों को कितनी हानि और दिक्कत हुई, दूसरी तरफ रुपया बेकार खर्च हुआ और तीसरी तरफ कमीशन इन्टरव्यू ले चुका, उसकी पोजीशन फाल्स हुई और वह भी असमंजस की स्थिति में पड़ा। चार बार कमीशन ने लगातार यह कहा है कि सरकारी विभाग अपनी इस नीति को बदलें कि जिस तरह से वह एक बार विज्ञापन कराते हैं और इन्टरव्यू के बाद कहते हैं कि अब पदों की आवश्यकता नहीं रही, इस नीति का बहिष्कार विभाग करें और ऐसा नहीं होना चाहिए। पुराने मुख्य मंत्री जी ने भी इस सम्बन्ध में सर्कुलर निकाला, यह लिखा है कि भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने सर्कुलर दो तीन बार निकाला, लेकिन फिर भी विभाग, न मालूम क्या बात है, मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर इस प्रकार के सर्कुलर को भंग करने वाले उच्च अधिकारी ही होते हैं नीचे के करें या न करें, लेकिन सब से अधिक उसको भंग करने वाले ऊपर के अधिकारी ही रहते हैं। पिछले साल डायरेक्टर आफ एग्रीकल्चर महोदय ने ४ बार इरेगुलेरिटी की और पब्लिक सर्विस कमीशन ने कृषि विभाग के डायरेक्टर का जवाब तलब किया, सरकार के नोटिस में भी बात आई और इस वर्ष की रिपोर्ट में भी उनका नाम दो तीन बार इरेगुलेरिटीज में लिखा हुआ है लेकिन सरकार ने उनसे एक्सप्लेनेशन मांग लिया होगा और एक आध बार रिग्रेट का शब्द भी लिख दिया जाता है। जहां तक छोटे कर्मचारियों का विषय होता है वहां तो सख्ती की बात आती है लेकिन कमीशन की सिफारिशों को बार-बार डायरेक्टर ठुकरायें और उस पर कोई एक्शन न लिया जाय तो पब्लिक सर्विस कमीशन की मर्यादा के वह अनुकूल न होगा और सरकार की मर्यादा के विपरीत तो है ही।

मैं जानता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी को पब्लिक सर्विस कमीशन की मर्यादा का बहुत ख्याल है। अभी हाल ही में नेता विरोधी दल ने एक बयान किसी अखबार में दे दिया

था तो उनको पब्लिक सर्विस कमीशन की मर्यादा का इतना खयाल हुआ कि दो महीने के बाद उनके जवाब देने पर जब गेंदा सिंह जी का उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने स्वयं अखबारों में बयान दिया। तो जहां एक ओर वे इतनी तत्परतापूर्वक पब्लिक सर्विस कमीशन के दायित्व व उत्तरदायित्व और उसकी महत्ता को ध्यान में रखते हैं वहां दूसरी ओर मुझे पूरा विश्वास है कि वे पब्लिक सर्विस कमीशन की दूसरी सिफारिशों को भी कम महत्व नहीं देंगे और यह देखेंगे कि किसी विशेष अफसर के बारे में पब्लिक सर्विस कमीशन ने कोई विशेष निर्देश दिया है तो उस पर कोई सख्त कदम उठाये बिना नहीं रहेंगे। ऐसा मेरा विश्वास है। इसी प्रकार और भी अनेक मिसालें मिलती हैं जिनमें कमीशन के पास कई वर्ष से कोई सिफारिश नहीं की गई जब कि कमीशन को सिफारिश की जानी चाहिये थी। मैं दो एक मिसालें देना चाहता हूं। सरकार ने उन लोगों पर क्या ऐक्शन लिया। पेज १३ में अंग्रेजी की रिपोर्ट में चीफ इंजीनियर एलेक्ट्रिसिटी के यहां जब दिसम्बर, १९५१ में वहां से रेफरेन्स आया एलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल सुपरवाइजर के एप्वाइंटमेंट के बारे में तो यह मालूम हुआ:—

> "The Commission then examined the case in detail and discovered that as many as 63 persons had been appointed since 1943 either by direct recruitment or by promotion without obtaining the approval of the Commission."

यानी सन् ४३ से लगातार एलेक्ट्रिसिटी विभाग गलतियां करता आ रहा था और ६३ आदमियों को बिना कमीशन की राय से प्रमोशन दिया जा चुका था या डायरेक्टली रेक्रूट किया जा चुका था। सन् ५१ में यह गलती मालूम होती है ८ साल के बाद। ऐसी ही दूसरी भूल देखिये श्रीमन्, पेज १४ में वही डायरेक्टर आफ एग्रिकल्चर के यहां सबार्डिनेट सर्विस के सम्बन्ध में। कमीशन लिखता है कि "दी केस वाज नाट रेफर्ड फार एट ईयर्स"। आठ साल तक उनका केस रेफर नहीं किया गया। इसी प्रकार चार, पांच मिसालें और इस रिपोर्ट में मिलती हैं। सरकार ने स्मृति पत्र में साफ नहीं किया है कि ऐसे मामलों में सरकार ने क्या ठोस कार्यवाही की।

इसके साथ ही साथ एक दिक्कत और है जो बहुत महत्वपूर्ण है और जिसके बारे में सरकार ने अपना निश्चय स्पष्ट नहीं किया है। वह यह है कि कमीशन ने और कमीशन की सिफारिश से सरकार ने यह आज्ञा दे दी है कि जिन उम्मीदवारों के बारे में कमीशन अपनी सिफारिश दे दें कि ये उम्मीदवार छांट लिये गये हैं उन उम्मीदवारों को सरकार को सूचना मिलने के दो महीने के अन्दर उनकी जगहों पर नियुक्ति कर देनी चाहिये यानी किसी हालत में परीक्षाफल घोषित होने के उपरान्त दो महीने से अधिक उम्मीदवार को नौकरी से वंचित नहीं रहना चाहिये लेकिन इसी रिपोर्ट में श्रीमन्, कमीशन ने बड़े दुःख के साथ यह बात कही है कि महीनों व सालों बीत जाते हैं कमीशन के द्वारा इंटरव्यू लिये और परिणाम घोषित किये हुए और उम्मीदवारों को स्थान नहीं दिया जाता। क्या कारण है इसका सरकार बतलाये? जब सरकार ने स्वयं कमीशन की आज्ञा और सिफारिश के अनुसार यह बात निश्चित कर दी है कि जिन व्यक्तियों को कमीशन ने छांट लिया है उनको दो महीने के अन्दर नौकरी मिल जानी चाहिये तो एक आध मामला ऐसा हो सकता है असाधारण स्थिति आ गई हो लेकिन कमीशन की अनेक मामलों में प्रत्येक वर्ष ऐसी शिकायत का होना यह सरकार के लिये शोभनीय नहीं है। तो मैं इस सम्बन्ध में मांग करूंगा कि सरकार अपनी स्थिति को स्पष्ट करे। इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे विषय भी हैं कि जिनकी ओर पब्लिक सर्विस कमीशन को भी ध्यान देना चाहिये। और राज्य सरकार को भी ध्यान देना चाहिये। जैसे प्रत्येक वर्ष यह शिकायत रहती है कि हरिजन और पिछड़ी जातियों के लोग जिनके लिए स्थान सुरक्षित है उनके लिए स्थान सुरक्षित तो हैं लेकिन उनमें योग्यता नहीं

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

पायी गयी कि वह स्थानों पर रखे जा सकें। इसके वास्ते केवल एक ही मिसाल दूंगा। १९५२-५३ की रिपोर्ट में लिखा है कि १८ स्थान परिगणित जातियों के लिए सुरक्षित थे। लेकिन उसमें केवल ५ उम्मीदवार पूर्त्त किये जा सके और १३ स्थान रिक्त रहे।

पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट मैंने भी चार साल से देखी हैं। लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन ने कभी हमको कृपा पूर्वक यह नहीं बतलाया कि इस कमी को दूर करने के क्या उपाय होने चाहिए। पब्लिक सर्विस कमीशन, हरिजन और पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों से मिलता-जुलता रहा, उनका इंटरव्यू होता रहा। लेकिन मेरे दृष्टिकोण से, मैं गलत हो सकता हूं, पब्लिक सर्विस कमीशन को, जहां पर उन्होंने आम टिप्पणियां दी हैं बतलाना चाहिए था क्योंकि आखिर पब्लिक सर्विस कमीशन का भी दायित्व है इस मामले में कि अगर समाज में कोई भी अंग पिछड़ा रहता है और अगर भर्ती के मामले में हमारे समाज का कोई अंग पिछड़ा रहता है तो कमीशन को विशेष निर्देश करना चाहिए कि संविधान की और इस देश की जनता की इच्छा किस प्रकार पूरी हो, यानी १८ प्रतिशत स्थान यदि हरिजन उम्मीदवारों के लिए सुरक्षित हैं तो किस प्रकार उनको ये स्थान दिये जा सकें, और किस प्रकार जो १३ स्थान रिक्त रहे हैं उनकी पूर्ति की जा सके? इसको कमीशन को सोचना चाहिए और सरकार को सोचना चाहिए और सरकार को कमीशन से ज्यादा सोचना चाहिए। मैं नहीं जानता किससे गलती हुई है, सरकार से हुई है या कमीशन से। ये तेरह स्थान जो हरिजनों के लिए सुरक्षित थे, और जो अनफिल्ड रहे इनके लिये कोई नया तरीका निकाला जाता, दूसरी बार इंटरव्यु हो जाता, कोई रिफ्रेशर कोर्स खोला जाता या इन तेरह स्थानों पर दूसरे लोगों को मौका दिया जाता इसमें लिखा है:—

"Eight vacancies reserved for them were therefore filled from amongst the general candidates."

यानी केवल हरिजन उम्मीदवारों के लिए यह जो आठ स्थान खाली थे वह जनरल कैंडीडेटस में से भर दिये गये, तो इससे क्या होता है? इससे तो समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है। एक तरफ हम कागज में इस बात को लिखते हैं कि १८ फीसदी स्थान हरिजनों के लिये सुरक्षित रहेंगे, वह चीज कागज पर ही लिखी रह जाती है, दूसरी यह विडम्बना है और समस्या वैसी ही बनी रहती है। मैं नहीं कहता कि कमीशन का ध्यान इस समस्या की ओर नहीं है। लेकिन रिपोर्ट में कोई बात नहीं है।

अधिष्ठाता मंडल के लिए मनोनीत सदस्यों के नामों की सूचना

श्री अध्यक्ष—अब आप बाद में जारी रखेंगे। मैं एक सूचना दे देना चाहता हूं। यह इस प्रकार है— प्रक्रिया नियमावली के नियम ७ (१) के अन्तर्गत मैंने इस सभा के लिए विधान सभा के निम्नलिखित सदस्यों को अधिष्ठाता मंडल का सदस्य मनोनीत किया है:—

१—श्री बेचनराम गुप्त,
२—श्रीमती प्रकाशवती सूद,
३—श्री सुल्तान आलम खां,
४—श्री सुरेश प्रकाश सिंह,
५—श्री मलखान सिंह,
६—श्री महीलाल,
७—श्री नेकराम शर्मा,
८—श्री ब्रजबिहारी मिश्र,
९—श्री नारायण दत्त तिवारी,
१०—श्री तेज प्रताप सिंह।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २२ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री बेचनराम गुप्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

उत्तर प्रदेश लोक-सेवा आयोग के १९५२-५३ तथा १९५३-५४ के प्रतिवेदनों पर विवाद (क्रमागत)

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, मैं निवेदन कर रहा था कि जो उम्मीदवार हरिजन एवं पिछड़ी जातियों के पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने उपस्थित होते हैं और पब्लिक सर्विस कमीशन उनको उपयुक्त नहीं समझता कि उनको किस प्रकार स्थान दिया जाय तो उनके लिये कोई विशेष योजना पब्लिक सर्विस कमीशन को बनानी चाहिये । जिसके कारण या जिसके प्रभाव से जो १८ प्रतिशत हरिजन भाइयों के लिये रिजर्वेशन का नियम है उसका ठीक-ठीक पालन हो सके । अभी तक इसकी कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई है । मैं यह अवश्य चाहूंगा कि निकट भविष्य में इसका पूरा-पूरा प्रयत्न होना चाहिये पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से भी और सरकार के द्वारा भी कि जिसके कारण हर साल हमें रिपोर्ट में यह पढ़ने को न मिले कि सूटेबिल कैंडीडेट नहीं मिल पाये, बहुत सी जगह खाली रह गईं । यह मुझे अगले साल देखने को न मिले ।

एक और भी महत्वपूर्ण बात १९५२-५३ की रिपोर्ट को पढ़ने से मिलती है । वह यह कि जो हमारा लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है, यानी असेम्बली सेक्रेटरियट है यह किनके मातहत रहे, यह भी एक बड़ा प्रश्न है । आप देखेंगे कि पेज १७ में लेजिस्लेटिव असेम्बली डिपार्टमेंट के एक असिस्टेंट को सुपरिन्टेन्डेन्ट बनाने का सवाल पेश था । तो पब्लिक सर्विस कमीशन ने उस पर एतराज किया और कहा कि इनको क्यों नहीं सुपरिंटेंडेंट बनाया गया तो सरकार ने उस पर यह आपत्ति की कि स्पीकर महोदय ने अरेंजमेंट किया है जिसको सरकार अपसेट नहीं करना चाहती । कमीशन ने इस सुझाव को नहीं माना और यह कहा कि उन असिस्टेंट महोदय को सुपरिन्टेंडेंट ही बनाना चाहिये था पहली पोस्ट पर । तो यह जो उदाहरण है, जो घटना घटित हुई है इससे हमारा ध्यान असेम्बली डिपार्टमेंट की ओर भी आकर्षित होता है कि आया एक तरफ तो यह आवश्यक है कि स्पीकर के मातहत यह बिलकुल रहे । दूसरी तरफ विधान के अनुसार जो कर्मचारियों के अधिकार हैं वे भी सुरक्षित रहें । तो असेम्बली डिपार्टमेंट के नियम इस प्रकार होने चाहिये जिनको देखते हुये एक तरफ स्पीकर के अधिकार भी सुरक्षित रहें और सरकार का नियंत्रण भी असेम्बली डिपार्टमेंट के कर्मचारियों की ओर सीधा न रहे और दूसरी तरफ जो विधान में उन कर्मचारियों के अधिकार सुरक्षित हैं वे भी मिलते रहें । इसका एक विधान होना चाहिये और असेम्बली डिपार्टमेन्ट का जो केस पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने गया है और जो उसने राय दी है उससे यह प्रश्न और महत्व का हमारे सामने होता है ।

एक विषय जो मेरे सामने बहुत महत्वपूर्ण है और मैं समझता हूं इस पर सदन को विचार करना चाहिये वह कमीशन का विचार हिन्दी और अंग्रेजी के संबंध में है । सन् १९५२-५३ की रिपोर्ट में कमीशन ने दो बार अपनी इस राय को व्यक्त किया है कि अंग्रेजी भाषा का महत्व किसी प्रकार कम नहीं होना चाहिये और सरकार का और पब्लिक सर्विस कमीशन का इस हिन्दी और अंग्रेजी के सवाल पर मतभेद भी रहा है । कमीशन ने बराबर सरकार से यह कहा है कि अंग्रेजी में इम्तहान देने की प्रणाली अभी चलनी चाहिये । लेकिन मुझे निश्चित रूप से इस रिपोर्ट से पता नहीं चलता कि अन्ततोगत्वा कमीशन और सरकार के बीच में अंग्रेजी और हिन्दी वाले मसले में क्या बात तय हुई । कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट में बात दी है वह साफ नहीं है और सरकार ने भी जो कमीशन को इस संबंध में टिप्पणी दी वह भी साफ नहीं है । मैं यह जानना चाहूंगा कि इसमें अंतिम स्थिति क्या है । पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट्स के जो जनरल कमेंट्स हैं उनमें आखिर में कहा है कि हिन्दी में परीक्षा देने से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

स्टैन्डर्ड नीचे गिरता है और अभी बहुत काल तक अंग्रेजी में परीक्षायें लेने की और अंग्रेजी में पढ़ाई होने का आवश्यकता है। तो मैं जानना चाहूंगा कि कमीशन का जो इस प्रकार का निश्चित विचार कई वर्षों से चला आ रहा है इसके संबंध में सरकार ने, परीक्षाओं के स्टैंडर्ड के संबंध में क्या निश्चित किया है, यह जरा स्पष्ट होना चाहिये। यह सही है कि हिन्दी यहां की राजभाषा है लेकिन फिर भी जो कमीशन का विचार है उसको हम कम महत्व नहीं दे सकते हैं। तो इस संबंध में, परीक्षाओं के संबंध में क्या नीति होनी चाहिये, पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने जो कम्पटीशन होते हैं इनकी क्या नीति होनी चाहिये, यह स्पष्ट नहीं होता। उसमें केवल इतना ही लिखा है कि जो हिन्दी में देना चाहें वह हिन्दी में दे सकते हैं और जो अंग्रेजी में देना चाहें वह अंग्रेजी में दे सकते हैं। यह ठीक है लेकिन यह भी बात स्पष्ट है कि व्यावहारिक रूप से यह जो आज्ञा लिख दी गई है कि जो हिन्दी में देना चाहें वह हिन्दी में दे सकते हैं और जो अंग्रेजी में देना चाहें वह अंग्रेजी में दे सकते हैं, व्यावहारिक रूप से कहां तक इसका प्रयुक्ति हो सकता है यह हमें देखना है। तो इसके संबंध में कमीशन को भी अपना राय स्पष्ट करनी चाहिये और सरकार और कमीशन दोनों को मिलकर कम्पटीटिव एग्जामिनेशन के बारे में जहां कमीशन यह कह रहा है कि स्टैंडर्ड हमारा गिर रहा है परीक्षाओं का उसके संबंध में कोई निश्चित नीति अपनानी चाहिये।

अब मैं उन दो सुझावों की तरफ आऊंगा जो कि कमीशन की रिपोर्ट में तो स्पष्ट किये गये हैं लेकिन सरकार ने उनको नहीं माना है। वह दो सुझाव कमीशन द्वारा दिये गये हैं। सन् १९५२-५३ की रिपोर्ट को देखें तो उसमें लिखा है कि पहला मतभेद सरकार और कमीशन का जुडिशल आफिसर्स के पदों पर नियुक्तियों के संबंध में रहा है। स्मृतिपत्र का पहला पेज और रिपोर्ट का पेज, चार, पांच पैराग्राफ सात। तो जुडिशल आफिसरों के पद पर जो नियुक्तियां हुईं इसमें कमीशन की राय थी कि ३ वर्ष की निर्धारित अवधि न रखी जाय। तीन वर्ष तक वकालत किये होने का प्रतिबन्ध न लगाया जाय। क्यों न लगाया जाय, इस पर कमीशन की राय यह थी कि चूंकि मुंसिफों के इम्तहान के संबंध में जो मुंसिफ रखे गये थे और जो दूसरे जुडिशल आफिसर्स रखे गये थे उनके लिये यह तीन वर्ष की वकालत करने की शर्त नहीं लागू थी लेकिन जूडिशल आफिसर्स के लिये यह शर्त अब रखना जो कि पहले नहीं थी इम्तहान के समय, यह उचित नहीं होगा। सरकार ने इस राय को ठुकरा दिया और यही निश्चित किया कि तीन वर्ष की वकालत की अवधि जिन जूडिशल आफिसर्स की हो और जिनको ५० प्रतिशत नम्बर मिले हों उनको हम जूडिशल आफिसर्स नियुक्त कर दें यह सरकार की नीति रही। मैं समझता हूं कि सरकार ने इस संबंध में जो फैसला किया वह उचित नहीं था। मैं यह नहीं कहता कि जूडिशल आफिसर ऐसे लोग होने चाहिये जिनको वकालत का तजुर्बा न हो। सरकार का दृष्टिकोण तो सही है कि जुडिशल आफिसर वहां लोग होने चाहिये जिनको कि वकालत का अनुभव हो, जो कुछ दिन वकालत किये हों। लेकिन इस केस में, मैं दूसरे केसेज की बात नहीं करता, भविष्य के लिये ऐडवर्टाइज करते समय इसको किया जा सकता है, लेकिन इस केस में मेरे विचार से कमीशन की राय सही थी। कमीशन का केवल कहना यही था कि चूंकि दो प्रकार की श्रेणियां इससे बन जाती हैं, इम्तहान एक ही हुआ, सन् १९५०-५१ के इम्तहान में तीन वर्ष के वकालत की अवधि नहीं रखी गई, चाहे वकालत की हो या न की हो, की एग्जामिनेशन हुआ, उसमें कुछ लोग जिनके ज्यादा नम्बर आये वह मुंसिफ बना दिये गये या रेवेन्यू आफिसर बना दिये गये, कुछ तो फेल हुये, उन फेल हुये उम्मीदवारों में से सरकार ने बाद को यह कहकर जुडिशल आफिसरों की नियुक्तियां कीं कि जिन्होंने तीन साल वकालत कर ली हो उनको रख लिया जाय। यह उचित नहीं है। शायद मेरे खयाल से इसके लिये और अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता है।

दूसरी बात और महत्वपूर्ण है। स्मृतिपत्र के पेज २ में देखें। ५३-५४ की पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट में आप पाते हैं, और यह बहुत महत्व की बात है, श्रीमन्, आप भी इस पर विचार करें। जो दूसरा मतभेद था, नुक्ता था कमीशन और सरकार के बीच में वह वही डिलिमिटेशन आफ फंक्शंस और रेगुलेशंस के मूल-तत्व के बारे में था। कमीशन का कहना तो यह है कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी को दंडित करने के नाते उसकी तरक्की रोकी जा कर, तरक्की के स्थान में उसका डिमोशन किया जाता है तो इसके बारे में भी कमीशन से राय लेनी चाहिये, क्योंकि यह दंड है, पेनाल्टी है। सरकार का कहना यह है कि यह बात नहीं है, हम अपने साधारण प्रकृति के नियम के अनुसार ऐसा करते हैं। कमीशन का कहना यह है कि सरकार ने इस प्रकार के रेगुलेशंस बना कर संविधान की धारा ३११ की अवहेलना की है और यहां तक यह मामला बढ़ गया है कि यह मामला इस समय सुप्रीम कोर्ट में है, वहां इस संबंध में सरकार ने अपील की है। यानी हाईकोर्ट में गया तो हाईकोर्ट ने पब्लिक सर्विस कमीशन की बात को सही बताया और इसके बाद सरकार ने इसको इतना अधिक महत्व दे दिया कि सरकार अब सुप्रीम कोर्ट गयी हुई है। मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस संबंध में पुनर्विचार करें। लिमिटेशंस आफ फंक्शंस के रेगुलेशन ८ में इसके उदाहरण भी दिये हुए हैं। श्रीमन्, अगर आप रेगुलेशंस को स्वयं उठा कर देखें तो उसमें इस प्रकार बाल की खाल निकाली गयी है कि यह स्पष्ट नहीं होता कि कहां पर दंड है और कहां पर साधारण नियमों के अनुसार काम किया गया है। एक जगह, जो उदाहरण नम्बर २ दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि अगर किसी तहसीलदार को आफिशिएटिंग चांस दिया जाय कार्यवाहक डिप्टी कलेक्टर होने का, और उसका काम ठीक नहीं है तो कमीशन से सिफारिश प्राप्त करने की जरूरत नहीं होगी, उसको रिवर्ट किया जा सकेगा, लेकिन अगर उसी तहसीलदार के खिलाफ कुछ खास आरोप हैं और गवर्नर उस मामले में उनको दंड देना चाहते हैं तो फिर कमीशन से राय लेना भी आवश्यक होगा। यानी कोई सूक्ष्म रेखा बीच में इस प्रकार की डाल दी गयी है कि जिसकी कोई परिधि नहीं है, जिससे स्पष्ट नहीं होता कि कौन दंड है और कौन नहीं है। इसमें एक उदाहरण दिया हुआ है कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के टेम्पोरेरी असिस्टेंट इंजीनियर जो कि आफिशिएटिंग इंजीनियर होते हैं अगर बिल्डिंग के काम में उनके खिलाफ चार्ज लगाया जाता है और उनको रिवर्ट किया जाता है तो कहा जाता है कि कमीशन से राय नहीं ली जायगी। तो अगर सरकार स्वयं समझती है चार्ज लगाने के बाद और उसका एक्सप्लेनेशन प्राप्त करने के बाद कि उसे दंड दिया जाय और उसे दंड दिया जाता है तो उसे दंड न मानना और कमीशन से राय न लेना, यह किसी हालत में उचित नहीं है और मेरी राय में कमीशन का दृष्टिकोण बिलकुल सही है। ऐसे सारे मामले चाहे वह आफिशिएटिंग कैपेसिटी में क्यों न रिवर्ट किया गया हो, अगर सरकार चार्जशीट लगाती है तो वह धारा ३११ के अनुसार दिया जाने वाला दंड है और कमीशन से अवश्य राय ली जानी चाहिये।

सन् ५३-५४ की रिपोर्ट में देखेंगे श्रीमन्, कमीशन ने साफ कहा है कि तीन चार उदाहरणों को फंक्शंस और रेगुलेशंस से काट दिया जाय, लेकिन सरकार ने अभी तक ऐसा नहीं किया। मैं पहले भी कह चुका हूं इस बात को कि फंक्शंस और रेगुलेशंस के आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। फंक्शंस और रेगुलेशंस को ठीक-ठीक बनाने के लिये इस आदरणीय सदन के सदस्यों की एक कमेटी बैठाई जाय, या अगर सरकार इसको उचित नहीं समझती तो जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की स्टैंडिंग कमेटी है उसकी सब-कमेटी कम से कम बन जाय और उसके सामने फंक्शंस और रेगुलेशंस रखे जायं कि ये न्यायपूर्ण हैं या नहीं और इसके शेड्यूल में परिवर्तनों की आवश्यकता है या नहीं। सदन की एक कमेटी जांच करे और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर सदन की कमेटी जांच करेगी तो इसमें अवश्य परिवर्तन होंगे। इसके तमाम उदाहरण हमें मिलते जा रहे हैं, कमीशन का दृष्टिकोण भी इसमें बिलकुल स्पष्ट है कि रेगुलेशंस मेल नहीं खाते हैं बल्कि वह विधान की मर्यादा के विपरीत जाते हैं और इनका परिवर्तन होना भी

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

आवश्यक है। इसके साथ ही साथ १९५३-५४ की रिपोर्ट में पृष्ठ ४९ पर सर्विस मैनुअल का जिक्र किया गया है। मैं इस संबंध में पहले भी निवेदन कर चुका हूं कि बहुत से विभाग ऐसे हैं कि जिनके नियम कम्पलीट नहीं हैं। यह बात सही है कि नियमों के पूरे होने में फाइनेंस आदि बहुत से विभागों में जाना पड़ता है और उसमें समय भी काफी लगता है। लेकिन इसके यह अर्थ नहीं हैं कि किसी विभाग को ८-१० साल बीत जायं और उसके नियम पूरे न हो पायें। पब्लिक सर्विस कमीशन ने भी अत्यन्त खेद पूर्वक सरकार का ध्यान आकर्षित किया है।

इस रिपोर्ट के पृष्ठ ४४ में मेरे इसी डर की पुष्टि की गई है। करेक्टर रोल्स के बारे में मैं आपकी आज्ञा से एक लाइन पढ़ देना चाहता हूं। कमीशन ने कहा है कि :—

"Inspite of the above directions noted there.....

श्री अधिष्ठाता—आपके पास हिन्दी की रिपोर्ट नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—इस समय नहीं है। मैं हिन्दी में अनुवाद कर दूंगा।

श्री अधिष्ठाता—मैं हिन्दी की कापी आपके पास भिजवाये देता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—इसके पृष्ठ ५६ में दिया हुआ है कि:—

"चरित्र तालिकाओं को नियमित तथा आधुनिकतम रूप में रखना।"

१९४८ में कमीशन कहने पर शासन ने चरित्र तालिकाओं को अग्रेषित करने वाले सभी अधिकारियों को निर्देश किया कि वे स्वयं देख लिया करें कि जो चरित्र तालिकायें कमीशन के पास भेजी जाती हैं उनमें आधुनिकतम प्रविष्टियां हुई हैं या नहीं। उपर्युक्त निर्देशों के होते हुये भी पदोन्नति, नियमितकरण आदि के जो मामले कमीशन के परामर्श के लिये आये उन पर विचार करते समय कमीशन ने देखा कि कुछ चरित्र तालिकाओं में कई वर्ष तक की प्रविष्टियां ही नहीं हैं और कुछ तालिकाओं में एक ही तिथि में प्रविष्टियां कर दी गई हैं।

श्रीमन्, मैं समझता हूं कि यह अत्यन्त गम्भीर अनियमितता है और कर्मचारियों के साथ बड़ा अन्याय है। जैसे कि मैंने रोडवेज की मिसाल दी थी और उसकी जांच कराई जा सकती है। मैं चाहूंगा कि सरकार इस संबंध में सख्त कार्यवाही करे और इस प्रकार के सभी विभागाध्यक्षों को उचित दंड दिया जाय।

इसके साथ ही साथ एक बड़ी भारी दिक्कत एज ऐक्जेम्पशन के बारे में है। इसके संबंध में कमीशन कई वर्षों से सरकार का ध्यान आकर्षित करता चला आया है। किसी पद के लिये इंटरव्यू वगैरा होने लगा तो उस तारीख तक और बाद को भी सरकार की ओर से सर्टीफिकेट्स पब्लिक सर्विस कमीशन के पास पहुंचते हैं। नतीजा यह होता है कि उनका सारा शिड्यूल अपसेट हो जाता है। इस संबंध में सरकार की ओर से निश्चित आदेश जाने चाहिये कि छूट देने के क्या नियम होंगे और डिपार्टमेंटल हेड्स कब तक छूट दे सकते हैं। मैं मानता हूं और शायद ऐसे अवसर आ जाते हैं कि जब किसी विशेष परिस्थिति में या किसी विशेष योग्यता के अनुसार एज ऐक्जेम्पशन देना आवश्यक हो जाता है। लेकिन यदि हम इस चीज को समय से नहीं करेंगे तो कैसे होगा और कमीशन का कार्य नहीं हो सकता है। पब्लिक सर्विस कमीशन अपना इंटरव्यू वगैरा का काम सुचारु रूप से नहीं चला सकता है। पिछले वर्ष से या कई वर्षों से कमीशन सरकार का ध्यान आकर्षित करता चला आया है और सरकार लिख देती है कि हमने सरक्यूलर जारी कर दिया है। तो यह गोरखधंधा दोनों तरफ से चलता चला आ रहा है। मैं समझता हूं कि इस संबंध में कोई निश्चित कदम उठाये जाने चाहिये जिससे इस संबंध में भी कोई पुनरावृत्ति न हो।

एक विशेष घटना की ओर मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो कि अभी हाल ही में घटित हुई है और शायद पी० सी० एस० से संबंध रखती है। इस संबंध में समाचार-पत्रों में पूरे ब्योरे तो नहीं आये हैं लेकिन जितने आये है वे मेरे उदाहरण देने के लिये पर्याप्त हैं। तीन या चार दिन पहले "नेशनल हेराल्ड" में मैंने एक समाचार पढ़ा कि सिविल सप्लाइज डिपार्टमेंट के कुछ पुराने कर्मचारियों को--उसमें २१ संख्या लिखी हुई थी--पी० सी० एस० में स्थान दे दिया गया है और कुछ लोग पी० सी० एस० बना दिये गये हैं। इसके लिये नियम बदले गये और पी० एस० सी० के द्वारा इंटरव्यू हुआ। इस वर्ष की रिपोर्ट से तो इसका संबंध नहीं है लेकिन चूंकि हाल की बात है और एक ऐसे समाचार-पत्र में निकली है जिसके समाचार को साधारणतया हम गलत नहीं मान सकते इसलिये अवश्य ही माननीय मुख्य मंत्री का इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैं यह नहीं कहता कि सिविल सप्लाइज डिपार्टमेंट में जो पुराने कर्मचारी हैं उनमें ऐसे योग्य व्यक्ति नहीं होंगे जो पी० सी० एस० के काडर में लिये जाने चाहिये लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इस प्रकार केवल सिविल सप्लाइज विभाग के पुराने कर्मचारियों को लेकर आप पी० सी० एस० का इमर्जेंसी रेक्रूटमेंट कर डालें यह कहां तक उचित है। आप देखें कि आई० ए० एस० का इमर्जेंसी रेक्रूटमेंट हो रहा है। वह केवल एक विभाग को लेकर नहीं हो रहा है। उसके कुछ नियम निश्चित हुये हैं, एक इमर्जेंसी कमीशन बना है और एक निश्चित तारीख तक उसकी एप्लीकेशंस मांगी गयी हैं। लेकिन यहां पी० सी० एस० जैसे काडर के लिये स्पेशल रेक्रूटमेंट हो और उसका किसी को पता भी न हो। बहरहाल मैंने तो कोई एडवर्टिजमेंट देखा नहीं और न उसके नियमों का पता चला और न दूसरे विभागों के लिये ओपेन था। जैसे सिविल सप्लाइज विभाग के लोग हैं वैसे ही दूसरे विभाग में भी हो सकते हैं, जैसे रिलीफ ऐंड रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट के लोग हैं या कंसालिडेशन आफ होल्डिंग्स का काम चल रहा है जो कुछ ही दिन तक रहेगा। तो ऐसे ही सारे विभागों के कर्मचारियों को मौका देना चाहिये, एडवर्टिजमेंट होना चाहिये जिससे उनको भी मौका मिल सके। आप जरा अन्दाजा लगाइये कि कोई भी कर्मचारी एक अच्छी सुबह पढ़ता है कि आज पी० सी० एस० में २१ आदमी ले लिये गये और कुछ लोग प्रोमोट भी हो गये तो इससे कितना असर उसके मोरेल पर पड़ता है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--डिपार्टमेंटल सेलेक्शन था।

श्री नारायणदत्त तिवारी--डिपार्टमेंटल सेलेक्शन इस तरीके से नहीं होता। अगर ऐसा हो तो फिर पी० सी० एस० के काडर में कितने लोग रहेंगे मैं नहीं जानता। इतना तो माननीय शर्मा जी को मालूम होना चाहिये कि पी० सी० एस० के काडर में जब आदमी भर्ती किये जायंगे तो कुछ न कुछ तो उसके नियम होने चाहिये। पी० सी० एस० का सेलेक्शन केवल पी० एस० सी० करता है। मैं यह नहीं कह सकता, मुझे ऐसी कोई शंका भी नहीं है और मैं कोई आक्षेप भी नहीं करना चाहता लेकिन मैं समझता हूं कि पी० एस० सी० को इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण अवश्य देना चाहिये और सरकार को भी देना चाहिये कि किन हालत के अन्दर २१ आदमियों को लिया गया और क्यों दूसरे विभागों के आदमियों को मौका नहीं दिया गया।

मैंने सदन का बहुत समय लिया और शायद मैं बहुत कुछ ब्योरे में भी गया। बहुत से हमारे माननीय सदस्य कहेंगे कि इतने ब्योरे में जाने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन यह आज का विषय जो है वह इतने विशिष्ट प्रकार का विषय है कि इसमें ब्योरे में जाना आवश्यक हो गया। जो सरकार का स्मृति-पत्र है और जो कमीशन की रिपोर्ट है उन सब में ब्योरे की ही बातों पर निर्देश किया गया है। इसलिये सदन के आदरणीय सदस्य क्षमा

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

करेंगे कि मुझे इस प्रकार ब्योरे में जाना पड़ा जिसमें शायद बहुत से सदस्यों को दिलचस्पी नहीं होगी। लेकिन चूंकि इस ब्योरे के प्रश्न में कुछ सिद्धान्त निहित हैं इसीलिये मुझे इसका निर्देश करना पड़ा।

मैं तो यही आशा करूंगा कि पब्लिक सर्विस कमीशन और अधिक स्वच्छ परम्परायें स्थापित कर सके और सरकार का भी यह दृष्टिकोण हो कि पब्लिक सर्विस कमीशन में ऐसे सदस्य जायें जो इसकी मर्यादा को अधिक से अधिक वृद्धि कर सकें। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि पब्लिक सर्विस कमीशन में ऐसे लोग न जायं, वैसे तो आज के प्रजातांत्रिक युग में कोई व्यक्ति छूट नहीं सकता, सबको कुछ न कुछ सुनना ही पड़ता है, सबको आलोचनाओं का शिकार होना ही पड़ता है लेकिन फिर भी हमें ऐसे व्यक्तियों को पब्लिक सर्विस कमीशन का सदस्य बनाना पड़ेगा जिनके बारे में कम से कम यह कहा जा सके कि यह सरकार के प्रभाव में है, या किन्हीं व्यक्ति के प्रभाव में है या किसी विशेष गुट के प्रभाव में है। ऐसा आरोप कम से कम लगाया जा सके इसलिये यह देखना होगा। किसी भी पार्टी की सरकार आये लेकिन हमें पब्लिक सर्विस कमीशन के मेम्बरों की, उसके चेयरमैन महोदय की जिनकी मर्यादा बनानी होगी रक्षा तो करनी होगी और इसीलिये विधान की धारा जो इस सम्बन्ध में है उसकी भी यही आकांक्षा है। तो अगर पब्लिक सर्विस कमीशन और सरकार का सम्बन्ध ठीक रहे और सरकार, पब्लिक सर्विस कमीशन और इस सदन के बीच में सामंजस्य की भावना रहे तो सरकार और पब्लिक सर्विस कमीशन में इस प्रकार का रिश्ता बनाना होगा जिससे राज्य की जो सेवायें हैं, जो सर्विसेज हैं, उनमें विश्वास हो कि हमारे नियंत्रण में, हमारी अनुशासनात्मक कार्यवाहियों में, हमारी तरक्की के मामलों में कोई पक्षपात नहीं हो रहा है तभी इस प्रदेश की सर्विसेज इस प्रकार की हो सकेंगी जैसी इस प्रकार की इस समय हैं।

माननीय मुख्य मंत्री जी कई बार फ्रांस का उदाहरण हमारे सामने दे चुके हैं कि वहां कई बार सरकारें बन चुकीं, बिगड़ चुकीं, मिलीजुली सरकारें बन चुकीं लेकिन इससे फ्रांस की राज्य-व्यवस्था में कोई अस्तव्यस्तता नहीं है और फ्रांस की राज्यव्यवस्था वहां के कर्मचारियों के संगठन पर निर्भर है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश में प्रजातंत्र सुरक्षित रहे, अगर हम चाहते हैं कि जो हमारे यहां की सेवायें हैं वह दृढ़ आधारस्तम्भ के रूप में कार्य कर सकें तो इसकी अत्यन्त आवश्यकता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के नियमों में जो पुराने या नौकरशाही के नियम हैं उनमें आमूल चूल परिवर्तन हो तभी मैं समझता हूं कि आज की स्थिति जो बुनियादी रूप से बिगड़ी हुई है, सर्विसेज के अन्दर आज विश्वास नहीं रह गया है, आज जातिवाद की जो भावना सारे देश में फैली हुई है और जिसके कारण वैभागिक प्रतिस्पर्द्धा बढ़ी हुई है जब तक यह नहीं होता तब तक मैं समझता हूं कि हमारा प्रदेश परिपुष्ट नहीं हो सकता। मुझे इस बात का भरोसा है कि वर्तमान प्रशासन इन कठिनाइयों के प्रति सचेत होगा। अगर यह पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट प्रतिवर्ष आती जाय, सरकार के स्मृति-पत्र आते जायं और उस पर हम लोग यहां प्रति वर्ष बहस करते रहें, उसका कोई ठोस नतीजा निकले नहीं और हम व्यवस्था में कोई बुनियादी परिवर्तन न करें तो फिर हमारा सारा वादविवाद ही बेकार होगा। मुझे आशा है कि भविष्य में जो इस प्रकार की बुनियादी गलतियां हैं उनकी पुनरावृत्ति नहीं होगी और हम एक ऐसा ढांचा अपनी सर्विसेज का बनायेंगे पब्लिक सर्विस कमीशन के नियंत्रण में जो इस देश में समाजवादी प्रकार के, समाजवादी ढंग के या समाजवाद को किसी भी नाम से कह लीजिये उसको परिपुष्ट बनाने में सहायक होगा।

*श्री वीरेंद्रपति यादव (जिला मैनपुरी)—अधिष्ठाता महोदय, आज इस सदन में १९५२-५३, की पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट पर वादविवाद हो रहा है और साथ

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ही साथ सरकार की तरफ से जो स्मृतिपत्र इस भवन में प्रस्तुत किया जा रहा है उस पर विचार हो रहा है। मुझे इस सम्बन्ध में एक बात यह कहनी है कि पिछले सालों में भी यह बात दोहराई गई थी जिसे आज कह रहे हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट सरकार के पास शीघ्र से शीघ्र आनी चाहिये और सरकार के द्वारा वह रिपोर्ट इस हाउस के सामने आनी चाहिये। हम १९५२-५३ और १९५३-५४ में से १९५२-५३ की रिपोर्ट को लेते हैं। वह सदन में आज तीन चार साल के बाद है और उस पर आज हम वादविवाद कर रहे हैं। यह नहीं कहा जा सकता है कि इसमें सरकार की तरफ से कोई खामी है। लेकिन मैं तो यह भी कह देने के लिये तैयार हूं कि इसमें खामी या लापरवाही पब्लिक सर्विस कमीशन की भी है। जब १९५२-५३ का साल मार्च की ३१ तारीख को समाप्त हो जाता है तो उसके बाद एक समय निर्धारित होना चाहिये कि जिसके अन्दर यह पब्लिक सर्विस कमीशन अपनी रिपोर्ट सरकार के पास भेज दे। जहां तक मेरा ख्याल है कि सन् १९५४ के सितम्बर में कमीशन द्वारा इस रिपोर्ट को सरकार के पास भेजा गया। इतनी देर के बाद रिपोर्ट का सरकार के पास आना ही उसकी लापरवाही जाहिर करता है और फिर सरकार को उस रिपोर्ट पर अध्ययन करना पड़ता है। जो कमीशन की तरफ से आपत्तियां हैं उन पर विचार करना पड़ता है और इस काम में सरकार को भी ६, ७ या १० महीने लग सकते हैं।

आप देखते हैं कि आज १९५२-५३ की रिपोर्ट पर ३, ४ साल के बाद यहां विचार हो रहा है, जो अच्छा नहीं मालूम पड़ता। यह अच्छा नहीं मालूम पड़ता कि ३ या ४ साल के बाद कमीशन की आपत्तियों अथवा उनके ऊपर किये गये सरकार द्वारा स्पष्टीकरण के ऊपर हम विचार करें। जो कुछ उस रिपोर्ट का महत्व होता है या सरकार का जो डिफेंस है, जो स्पष्टीकरण है उसका सारा महत्व समाप्त हो जाता है और यहां विधान सभा में यह अच्छा नहीं मालूम होता कि इतनी पुरानी बात पर हम आलोचना करें। तो मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से कह देना चाहता हूं कि पब्लिक सर्विस कमीशन से अनुरोध किया जाय कि एक रीजनेबिल समय के अन्दर जो कमीशन की रिपोर्ट हो वह सरकार के पास आये। उसके बाद सरकार का भी कर्तव्य हो जाता है कि इस हाउस में एक उचित समय के अन्दर वह इस रिपोर्ट को रखे ताकि उसमें देर न हो। वैसे तो संविधान में यह है कि सरकार के सामने उसकी वार्षिक रिपोर्ट रखी जायगी। वार्षिक रिपोर्ट से आम तौर पर मतलब यह होता है कि जिस साल की रिपोर्ट हो उसके दूसरे साल में वह आ जानी चाहिये और उसी के दूसरे साल में उस पर वादविवाद होना चाहिये।

दूसरी बात, अध्यक्ष महोदय, मुझे आपके सामने यह भी कहना है कि हम लोग यह चाहते हैं कि कमीशन की रिपोर्ट विवरण के साथ होनी चाहिये, कुछ तफसील में होनी चाहिये ताकि मालूम हो सके कि किस कदर हमारा प्रदेश जो है वह प्रगति की ओर जा रहा है। कमीशन ने कुछ चर्चा इस बात का किया है सन् १९५२-५३ की रिपोर्ट में कि सरकार ने हरिजनों को कुछ सर्विसेज में संरक्षण दिया, १० प्रतिशत से १८ प्रतिशत दिया, लेकिन जहां कमीशन इस बात का चर्चा करता है वहां कमीशन का फर्ज यह भी हो जाता है कि हम लोगों के लाभ के लिये, हम लोगों की सूचनार्थ कम से कम उस रिपोर्ट में वह यदि इस बात का भी विवरण दे कि हरिजनों की तरफ से कितने प्रार्थना-पत्र गये और उसमें कितने योग्य साबित हुए और कितने उसमें लिये गये और कितने नहीं तो अच्छा हो। आम तौर पर ऐसा होता है, कभी-कभी तो होता ही है कि पर्याप्त मात्रा में हरिजन उम्मीदवार नहीं मिलते। तो इसलिये रिपोर्ट में यह होना चाहिये कि कितने लोगों की दरख्वास्तें आईं और कितने उसमें से लिये गये।

यह भी चर्चा किया गया है कि सरकार की तरफ से हरिजनों के अलावा कुछ और जातियां हैं, जिनके नाम मैं नहीं लेना चाहता, जिनके लिये सरकार ने आयु संबंधी योग्यता कुछ ढीली कर दी है। तीन साल का एक्जेम्प्शन उनके लिये भी है। कमीशन की तरफ से यह

[श्री वीरेन्द्रपति यादव]

भी होना चाहिये कि सरकार ने ऐसे लोगों को जो छूट दी है उस के आधार पर कमीशन के पास कितने प्रार्थना पत्र आये और प्रार्थना पत्र आने के बाद उनमें से कितने लोग लिये जाते हैं। मैं समझता हूं कि यह कुछ भी इस रिपोर्ट में नहीं है। लेकिन मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि इस सूबे में इन तीन-चार जातियों में से एक भी सदस्य, एक भी उम्मीदवार ऐसा नहीं होगा कि जिसने प्रार्थना पत्र दिया होगा और उस छूट का लाभ उठाया होगा। क्योंकि जो जातियां सरकार ने रखी हैं और जिनको आप कुछ छूट देना चाहते हैं वह तमाम सूबे भर में इस कदर स्कैटर्ड वे में फैली हुई हैं कि मालूम ही नहीं पड़ता कि वह जातियां हैं कहां हैं ? मालूम नहीं पड़ता कि वह जातियां कहां पर हैं। यह ठीक है कि कमजोरों को आप सहायता दें और वह जाति भी सरकार की कृतज्ञ रहेगी कि सरकार ने उसकी सहायता की लेकिन वह जाति शिक्षा न होने से या इधर-उधर फैले हुये होने से अपने को इस योग्य नहीं पाती है कि सरकार के सामने प्रार्थना पत्र भेजे। मैं सरकार से आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं कि यदि मेरे कहने का कुछ असर हो तो आप यह कीजिये कि इन जातियों के प्रार्थना-पत्र नाम के लिये आते हैं और सम्भव है मैं ठीक हूं कि नहीं भी आये होंगे तो यह फायदा जो आप इन जातियों को देना चाहते हैं वह संविधान की स्प्रिट के मुताबिक तो ठीक है आप जरूर दें लेकिन साथ ही साथ जब इन लोगों की तरफ से ऐसे प्रार्थना-पत्र नहीं आते हैं तो कम से कम उनके आगे जो और बैकवर्ड जातियां हैं उनको आप वह फायदा देने की कोशिश करें ताकि हमारा जो यह उद्देश्य है कि जातिविहीन और वर्ग विहीन समाज की स्थापना करें वह सफल हो सकें। मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार की तरफ यह आदेश कमीशन के पास जाय और वह सब आंकड़े सरकार के पास आने चाहिये ताकि सरकार को उसकी स्पष्ट संख्या मालूम हो और सरकार जिस उद्देश्य के लिये चेष्टा करती है उसमें और उसको सफलता मिल सके। इससे हम और अपने उद्देश्य में आगे जाते हैं जिस उद्देश्य के लिये हम अपने यहां वर्गविहीन समाज की स्थापना के लिये कार्य करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं २, ३ बातें और इस कमीशन की रिपोर्ट के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। यहां पर एक जगह कमीशन ने आपत्ति की जब कि सरकार ने यहां कुछ जुडिशियल अफसर बनाये जो कि पहले मुन्सिफ का काम कर रहे थे। जुडिशियल अफसरों को कुछ नियुक्त किया। कमीशन नहीं चाहता था कि उसके आधार पर लोगों की नियुक्ति हो। कमीशन ने आपत्ति की कमीशन की आपत्ति ठीक थी वह इसलिये कि मुन्सिफ या जुडिशियल की जो परीक्षा होती है उसका नेचर भिन्न है। जुडिशियल अफसरों का कार्य भी एक नये प्रकार से चला आया है तो उससे भिन्न है। हम देखते हैं कि यू० पी० में जो नये मुन्सिफ होते हैं उनको १० साल तक क्रिमिनल कार्य नहीं करना पड़ता है और जुडिशियल आफिसर्स को जिस दिन से वह कुर्सी पर बैठते हैं उसी दिन से फ़ौजदारी के मुकदमे करने पड़ते हैं। वह एक मुनासिब आधार था जिसके लिये कमीशन ने आपत्ति की थी। जुडिशियल आफिसर्स के लिये एक इम्तहान होना चाहिये था और खासतौर से क्रिमिनल वर्क के लिये जिससे यह मालूम हो सके कि यह योग्य हैं या नहीं।

दूसरी बात कमीशन की तरफ से एक्साइज इन्सपेक्टरों के बारे में कही गयी और उनकी आपत्ति बहुत माकूल आपत्ति है। पिछले कुछ सालों में एक्साइज इन्स्पेक्टरों की भर्ती की गयी और उन लोगों ने कुछ दिनों तक काम किया। फिर उस के बाद जो उनकी शैक्षिक योग्यता थी या आयु की योग्यता थी उनको उससे सरकार ने मुक्त कर दिया और कमीशन को लिख दिया गया कि इनको इससे बरी कर दिया जाय। इसके लिये पब्लिक सर्विस कमीशन ने आपत्ति की कि हमारे सामने कुछ इनके लिये प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन है तो उसके मुताबिक इनको लिया जाना चाहिये तो इनको कैसे मुक्त कर दिया। सरकार ने जवाब दिया कि इसकी सूचना बाद में दी जायगी। रिपोर्ट आये काफी समय हो गया लेकिन अभी तक सूचना नहीं दी गयी। कम से कम सरकार को डिपार्टमेंट

के हेड को तो इसकी सूचना देनी चाहिये थी जो कि एक्साइज कमिश्नर हों या कोई और हों इस प्रकार से शिक्षा की योग्यता या आयु के आम बंधन को ढीला करना कुछ अच्छा नहीं मालूम पड़ता है । इसका असर जनता में अच्छा नहीं होता । आम तौर से लोग कह दिया करते हैं कि यह कुछ पक्षपात की बात है । इसलिये जो कुछ हुआ ठीक नहीं हुआ और कमीशन की बात उचित थी ।

कमीशन ने हरिजन सहायक विभाग के बारे में आपत्ति की । बौरिया कालोनी मुजफ्फरनगर में एक मैनेजर की नियुक्ति सरकार ने कर दी और ऐसे लड़के को रखा जो माइनर था । कमीशन ने सरकार को लिखा कि उसकी सर्विस टरमिनेट कर दी जाय । सरकार को देखना चाहिये कि उसके डिपार्टमेंट के हेड्स योग्यता इत्यादि के आम बंधनों को ठीक से काम में लाते हैं या नहीं । कमीशन को एक स्वतंत्र बाडी समझा जाता है कि जो कुछ वह कहेगा ईमानदारी के साथ कहेगा । उसकी बात को जहां तक हो सके मानना चाहिये । एक बहुत ही अजीबगरीब बात जो मेरे दोस्त नारायणदत्त जी ने कही वह थी कि एग्रीकल्चर विभाग में १९४५ में एक व्यक्ति की ग्रुप ३ में नियुक्ति की गई और दूसरे साल ही उसे ग्रुप २ में उन्नति कर दी गई । समय आया जबकि वह मामला कमीशन के पास गया। उस समय ६ वर्ष तक की इन्क्रीज एक साथ विभागीय अधिकारी ने कर दी । यह बड़ी ही आपत्ति जनक बात थी, मैं तो यहां तक कहूंगा कि उस कृषि के अधिकारी का ६ वर्ष की प्रविष्टियां एक ही साथकर देना अनुचित ही नहीं था बल्कि ऐसे अफसर को सरकारी नौकरी में रखना ही उचित नहीं है । जब कमीशन की रिपोर्ट सरकार के पास आई तो कृषि विभाग का यह कर्तव्य था कि सख्त से सख्त दंड उस अधिकारी को देती । मैं अधिक नहीं कहना चाहता हूं । ऐसे उदाहरण बहुत से हैं उनको दोहराने से कोई खास लाभ नहीं होगा। सरकार की ओर से जो योग्यतायें निर्धारित हों उनको अमल में लाना चाहिये ।

श्री जगन्नाथमल्ल (जिला देवरिया)--सदन में कोरम नहीं है ।

(घंटी बजाई गई और कोरम पूरा होने पर कार्य पुनः आरम्भ हुआ ।)

श्री वीरेन्द्रपति यादव--अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से जो भी योग्यतायें निर्धारित हों उनको पूरी तरह से अमल में लाना चाहिये। कमीशन की रिपोर्ट देखने के बाद या अन्य तरीकों से अगर यह बात साबित हो कि किसी विशेष अधिकारी की तरफ से कुछ गड़ बड़ी की गयी है तो उसको दंड दिया जाना चाहिये । अगर दंड नहीं दिया जाता है तो जनता में एक विशेष प्रकार की भावना पैदा होती है । मैं अन्त में यह कह देना चाहता हूं कि कायदे और नियमों को पूरे तौर से अमल में लाना सरकार का कर्तव्य है ।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, इस समय लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट ५२-५३ और ५३-५४ इस सदन के सम्मुख विचारार्थ उपस्थित हैं । लोक सेवा आयोग के द्वारा सरकार जिन जगहों की पूर्ति करती है उनके संबंध में जनता को पूर्ण रूप से यह विश्वास होता है कि लोक सेवा आयोग द्वारा उचित रूप में और योग्यतम उम्मीदवारों का चुनाव किया गया है । इसलिये लोक सेवा आयोग पर पूर्ण विश्वास होने के नाते किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का संदेह इस बात का नहीं होगा कि किसी तरह के चुनाव में पक्षपात किया गया होगा । लेकिन रिपोर्ट को देखने से यह पता चलता है कि कभी-कभी सरकार की तरफ से सरकार के बड़े अधिकारी बिना लोक सेवा आयोग की स्वीकृति के ही जगहों पर खास लोगों की भर्ती कर लेते हैं और बरसों तक वह भर्ती कायम रहती है और लोग सेवा आयोग की आपत्तियों पर बरसों तक कोई जबाव नहीं दिया जाता । सरकार ने अपने कर्मचारियों का ध्यान पिछली बार भी जब रिपोर्ट पर बहस हुई थी, आकर्षित किया था, लेकिन पूर्ण रूप से उनकी ओर से जैसा ध्यान दिया जाना चाहिये था

[श्री द्वारका प्रसाद मौर्य]

नहीं दिया जाता है । ५३-५४ की रिपोर्ट को देखने से पता चलता है कि भर्ती ऐसे व्यक्तियों की कर दी गयी कि जिनके बारे में लोक सेवा आयोग से स्वीकृति ली जानी चाहिये थी । जब लोक सेवा आयोग ने इस बात पर एतराज़ किया फिर भी ध्यान नहीं दिया गया । कभी-कभी इस बात की भी शिकायत हुई है कि लोक सेवा आयोग की तरफ से भर्ती के लिये विज्ञापन निकला, दरख्वास्तें ली गयीं, लेकिन बाद में विज्ञापन रद्द कर दिया गया । जो परीक्षार्थी उसमें आना चाहते थे उनका शुल्क वापिस किया गया । इस संबंध में सरकार ने ध्यान दिया है और सरकारी अधिकारियों को इस बात के आदेश दिये हैं, जैसा कि रिपोर्ट को देखने से पता चलता है कि २८ जनवरी, सन् ५४ को कड़े आदेश निकाले गये हैं कि जब पूर्णरूप से आवश्यकता न हो तब तक इस प्रकार से विज्ञापन न निकाले जाने चाहियें । अब यह देखने की बात है कि भविष्य में इसका पालन कहां तक होता है ।

मैं खास तौर से अधिष्ठाता महोदय, आपका ध्यान पब्लिक सर्विस कमीशन की ५३-५४ की रिपोर्ट के पृष्ठ ५० पर जो टिप्पणी दी हुई है उसकी ओर दिलाना चाहता हूं । उसमें लिखा है कि विभिन्न सेवाओं तथा पदों के लिये कमीशन के सामने आने वाले अभ्यर्थियों की योग्यता के गिरते हुए स्तर के बिषय में बहुत कुछ कहा जा चुका है । कमीशन द्वारा संचालित भिन्न-भिन्न परीक्षाओं के परीक्षकों की रिपोर्टों से मालूम पड़ता है कि इस दिशा में अब भी कोई उन्नति नहीं हुई है । किन्तु इस प्रकार की आलोचना में अभ्यर्थियों को ही "बलि की बकरी" बनाना कदाचित अनुचित होगा और हमारे विश्वविद्यालयों की शिक्षा तथा परीक्षा की पद्धतियों को भी कुछ अंश तक दोष भागी बनाना असंगत न होगा । यह कहा जा सकता है कि वर्तमान पद्धतियों के कारण विवश होकर विद्यार्थियों को उन महत्वशून्य पुस्तकों तक ही अपना अध्ययन सीमित रखना पड़ता है जो परीक्षा में उत्तीर्ण होने में उनकी सहायता मात्र करती हैं ? अधिष्ठाता महोदय, यहां पर विशेष शब्द "महत्वशून्य पुस्तकों" पर ध्यान देने की जरूरत है । "उन पुस्तकों के अध्ययन से विद्यार्थियों में अध्ययन के लिये ही अध्ययन करने की आदत नहीं पड़ती और न उस विषय में पांडित्य प्राप्त करने या शोध करने की प्रवृत्ति ही पैदा होती है । जब तक शिक्षा तथा परीक्षाओं की वर्तमान पद्धति चालू है तब तक न तो यह सम्भव ही है और न आवश्यक ही कि मौलिक अध्ययन का वातावरण पैदा किया जाय तथा विद्यार्थियों की बौद्धिक उत्सुकता में वृद्धि की जाय । अतः गिरते हुए स्तर यह संकेत करते हैं कि शिक्षा तथा परीक्षाओं के विद्यमान ढंगों का निरीक्षण करना तथा सही दिशा में उनका सुधार करना अत्यन्त आवश्यक है ।"

माननीय अधिष्ठाता महोदय, लोक सेवा आयोग का यह कहना और इस प्रकार का संकेत करना हमारे लिये बहुत ही महत्वपूर्ण है । आज इसमें सन्देह नहीं कि विद्यार्थियों का स्तर और उनकी योग्यता का स्तर बहुत ही गिरता जा रहा है । लोक सेवा आयोग के रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा हुआ है कि न तो उनके अध्ययन का कोई उद्देश्य दिखलायी पड़ता है और न पुस्तकें जो विश्वविद्यालयों में उनके पढ़ने के लिये रखी गयी हैं वे ही कोई विशेष महत्व की हैं । इससे यह पता चलता है कि हमारे विद्यार्थी जो आज कल के विश्वविद्यालयों में पढ़ाये जा रहे हैं उनका स्तर भविष्य में कोई सुन्दर न होगा । इसलिये अपने प्रदेश को , अपने देश को सुन्दर बनाने के लिये आवश्यक है कि विद्यार्थियों के अन्दर कर्मठता हो, उनमें चारित्रिक बल हो, उनमें कार्य करने की क्षमता हो । इन सब का उनके अन्दर समावेश हो इसके लिये आवश्यक है कि इसकी तरफ हमारी सरकार को और विशेष रूप से शिक्षा विभाग को ध्यान देना चाहिये । केवल एक लीक पर हमारे विद्यार्थी चलते रहें और जो त्रुटियां उनकी पढ़ाई में हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो हमारे लिये यह एक बड़े कलंक की बात होगी । मैं इस सम्बन्ध में विशेष ज्यादा समय सदन का नहीं लेना चाहता । लेकिन आम तरीके से यह लोक सेवा आयोग की धारणा है, यही नहीं आम तरीके से यह धारणा है और सब लोग इस बात को

महसूस करते हैं कि आज जो पढ़ाई विश्वविद्यालयों में या नीचे के क्लासों में होती है वह पढ़ाई सन्तोषजनक नहीं है। कोर्सेज, किताबें तो जरूर हमेशा बदलती रहती हैं, नये-नये पब्लिशर्स बनते रहते हैं। किताबें छपती रहती हैं और अधिक से अधिक विद्यार्थियों के ऊपर किताबों का बोझ डाला जाता है, लेकिन बावजूद इसके अधिक से अधिक होते हुए भी और अधिक से अधिक अभिभावकों पर किताबों की संख्या तथा और पाठ्य सामान की कीमतों का व्यय भार बढ़ते हुए भी आज विद्यार्थियों की शिक्षा का स्तर काफी गिरता जा रहा है। यह बहुत ही खेदजनक बात है। इसलिये जो मूल चीज है जिस पर हमारा समाज और हमारा शासन अवलम्बित है उसकी तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और हमें आशा है कि हमारे मुख्य मंत्री जी जो शिक्षा के विषय के बहुत ही निपुण और जानकार हैं और इस मामले में उनकी सूझ भी है कोई विचार करेंगे कि किस तरह से शिक्षा के गिरते हुए स्तर को ऊंचा किया जा सकता है।

इसी रिपोर्ट के पृष्ठ ४९ पर एक वाक्य यह आया है कि "गत २ वर्षों में विभिन्न पदों और सेवाओं के लिये प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सम्भवतः यह बढ़ती हुई बेकारी की परिचायक अनुक्रमणिका है।"

यह इस बात की तरफ संकेत करता है कि हमारे शिक्षित नवयुवक किस प्रकार से सरकारी नौकरियों की तरफ दौड़ते हैं और दिन पर दिन प्रार्थना-पत्रों की संख्या बढ़ती जाती है और जब उनको सरकारी नौकरियां प्राप्त नहीं होती हैं तो उनके सामने एक भीषण समस्या आ जाती है और एक तरह से उनका संसार ही सूना बन जाता है और वह प्रदेश, देश और सारे समाज पर एक बोझ बन जाते हैं और एक असन्तोष का वातावरण पैदा करते हैं जो कि हमारे लिए कुछ शुभ लक्षण नहीं है। यह ठीक है कि बेकारी को दूर करने के लिये सरकार व्यग्र है, लेकिन हम देखते हैं कि विद्यार्थियों का रुझान सिवा इसके कि सरकारी नौकरियों की ओर ही रहता है और उसके अलावा किसी और तरफ नहीं जाता है हालांकि सरकार ने नए-नए उद्योग-धंधे खोलने का या टेक्निकल स्कूल खोल कर उनको दूसरी तरह की शिक्षा देने का काफी प्रयास किया है और कर रही है, लेकिन यह रुझान उनमें कैसे पैदा हो कि वह क्लर्क बनने की अपेक्षा स्वतन्त्र उद्योग धन्धों में लगकर जीवनोपार्जन कर सकें। यह जो हमारी शिक्षा है और हमारे विश्वविद्यालयों से जो लड़के निकलते हैं उनकी जो नौकरियों की मांग है और जो उनका रुझान है उसको किस तरह से बदला जाय यह हमारे सामने बहुत बड़ा प्रश्न है और सरकार को इस मसले पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। जो हमारे विश्वविद्यालय हैं उनकी शिक्षा में किस प्रकार का परिवर्तन हो ताकि विद्यार्थियों की इस धारणा में परिवर्तन हो जिसकी ओर कमीशन ने हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। जो छोटे-छोटे हमारे स्कूल हैं या कालेजेज हैं उनमें जरूर यह चीज हो गई है कि टेक्निकल शिक्षा की ओर सरकार का ध्यान गया है, लेकिन जो कालेजेज में और विश्वविद्यालयों में जो बड़ी संख्या में हमारे विद्यार्थी जाते हैं उनकी धारा को किस तरह से मोड़ दिया जाय, जिससे कालेजेज से जो बड़ी तादाद विद्यार्थियों की निकलती है और जिसके सामने पढ़ने के बाद कोई नक्शा नहीं होता और जो नौकरियों के पीछे दौड़ती है, यह सोचने की बात है और विशेष तौर से इधर सरकार का ध्यान जाना चाहिए।

शिक्षा के स्तर की ओर भी हमें ध्यान देना है। इसमें यह भी लिखा है कि हरिजन या हमारे अनुसूचित जाति के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिये १८ प्रतिशत स्थान सुरक्षित कर दिए गए हैं। मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारा संविधान है उसमें पिछड़ी जातियों के लिये भी इस बात की तरफ इशारा किया गया है उनके लिये भी स्थान का संरक्षण प्रदेशीय सरकारें कर सकती हैं। वैसे भी इस सरकार ने कुछ सुविधायें देने के आदेश जारी किये हैं। विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिये स्कालर शिप्स

[श्री द्वारका प्रसाद मौर्य]

दिये जाते हैं नीचे क्लासेज में और ऊंचे क्लासेज में भी लेकिन जहां तक सरकारी नौकरियों का प्रश्न है पिछड़ी जातियों के लिये उससे सरकार ने कोई संरक्षण नहीं दिया है। जो एक आश्वासन इस बात का दिया उनका लिहाज किया जाय मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह बिल्कुल बेकार सी चीज है। उसके किसी भी लिहाज के लिये सरकारी कर्मचारी न तो ख्याल करते हैं और न उनकी मनोवृत्ति ही इस तरफ है कि कोई इसका लिहाज करे। इसलिये अगर कुछ करना है सरकार का जैसा इरादा मालूम होता है--अगर इरादा न होता तो सरकार ऐसा आदेश जारी न करती--तो उनका लिहाज किया जाय। इरादा होते हुए अगर कोई फल न निकला तो वह बिल्कुल बेकार सी चीज होती है। इसलिये उस इरादे को पूरा करने के लिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि संरक्षण अगर नहीं दिया जाता है तो फिर उसका कोई लाभ पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों को नहीं मिलता है। जब स्कालरशिप्स देकर इतना रुपया खर्च करके पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है तो फिर अगर यह कह कर संतोष कर लिया जाय कि पढ़ाना ही उद्देश्य है--पढ़ा दिया, विद्वान् बना दिया और कोई उद्योग व धन्धा या रोजगार वे ढूंढ़ें, क्यों नौकरी की तरफ दौड़ते हैं तो यह तो सभी के लिये कहा जा सकता है, लेकिन जो पिछड़ी जाति के विद्यार्थी हैं वे ज्यादातर ऐसे हैं जो गांवों में रहने वाले लोगों के बच्चे हैं और बहुत मुसीबत से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। उनकी आशा पर एक बड़ा भारी तुषारपात हो जाता है जब कि एफ० ए० या बी० ए० पढ़ने के बाद वे अपने को बिल्कुल बेकार महसूस करते हैं। आखिर में जब उनके पास खेती करने के लिये भी कोई साधन नहीं रहते तो और भी उनको मायूसी होती है। इसलिये जिनको सरकार रुपया देकर अपने खर्चे से शिक्षा देती है कम से कम ऐसे विद्यार्थियों की तो सूची होनी चाहिये सरकार और हरिजन सहायक विभाग के पास, जिनको उसने अपने पैसे से खर्चा देकर पढ़ाया हो और जब कभी नौकरी की मांग हो तो आम शिकायत यह रहती है कि अनुसूचित जाति वालों को पिछड़ी जाति वालों का पता नहीं चलता। ज्यादातर देहात के लोग होते हैं। उनको विज्ञापन वगैरह का पता नहीं चलता। अगर हरिजन सहायक विभाग से यह मांग कर ली जाय और हरिजन सहायक विभाग द्वारा उन विद्यार्थियों को सूचना दी जाया करे तो पढ़ लिख कर घर पर बैठे रहते हैं और जो नौकरी करना चाहते हैं तो बड़ी आसानी होगी और इससे जो सरकार ने उन पर पैसा खर्च किया हुआ है उससे भी सन्तोषजनक परिणाम निकलेगा।

मैं फिर एक बात की तरफ जरूर ध्यान दिलाना चाहता हूं। इसी रिपोर्ट में पृष्ठ १९ के पैरा ७ में दिया हुआ है जिसके सम्बन्ध में सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया है जैसे और बहुत से विषयों के सम्बन्ध में एक जवाब की सूची सरकार की तरफ से मिली है। इसलिये मैं खास तौर से माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें यह कहा गया है "अगस्त, १९५२ में मुख्य एग्रीकल्चरल इंजीनियर, उत्तर प्रदेश ने अधीनस्थ कृषि सेवा के द्वितीय ग्रुप में सात कर्मचारियों की पदोन्नति के लिये कमीशन का अनुमोदन मांगा और कहा कि उसने उन्हें तृतीय ग्रुप के पदों के लिये पहले ही अनुमोदित कर दिया था। इन कर्मचारियों में से ५ की सेवापुस्तिकाओं को देखने से कमीशन को ज्ञात हुआ कि वास्तव में वे द्वितीय ग्रुप के पदों पर ही सीधे नियुक्त किये गये थे न कि तृतीय ग्रुप के पदों पर जैसा कि मुख्य एग्रीकल्चरल इंजीनियर ने कहा था।" वैसे तृतीय ग्रुप में रखने के बाद ही फिर द्वितीय ग्रुप में प्रोमोशन हो सकता है। लेकिन यहां सीधे मुख्य ऐग्रीकल्चरल इंजीनियर ने द्वितीय ग्रुप में रख लिया और लोक सेवा आयोग ने जब पूछा तो यह कहा कि वह तो तृतीय ग्रुप में रखे गये थे।

"अतः सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर से, जो उस समय मामले में पत्र-व्यवहार कर रहा था, पूछा गया कि मुख्य एग्रीकल्चरल इंजीनियर ने बिना कमीशन से परामर्श किये ही विचाराधीन

कर्मचारियों को सीधे द्वितीय ग्रुप में क्यों नियुक्त कर दिया था और यह भ्रान्त कथन कि ये कर्मचारी पहले तृतीय ग्रुप में भर्ती किये गये थे कैसे किया गया। पदों को विज्ञापित करने के लिए उनसे आलेख्य विज्ञापन भी मांगा गया और उसे सूचित किया गया कि विचाराधीन कर्मचारी भी अन्य अभ्यर्थियों के साथ अवसर का उपयोग कर सकते हैं, यदि विज्ञापन की शर्तों के अनुसार वे योग्य हों। उन्होंने इस अनियमितता पर खेद प्रकट किया....."

तो अब यह लिख दिया गया कि उन्होंने इस अनियमितता पर खेद प्रगट किया। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह से अनियमितता करके पांच कर्मचारियों को द्वितीय ग्रुप में सीधे भर्ती कर लेना यह खेद प्रकट होने से खत्म नहीं होता। दूसरे कर्मचारियों के अन्दर इससे कितना असन्तोष पैदा होता है और इससे यह पता चलता है, उनको यह मालूम होता है कि स्पष्टतया उन्होंने पक्षपात के भाव से चाहे ऐसा न किया हो, लेकिन स्पष्ट ऐसा होता है कि इन कर्मचारियों के साथ पक्षपात किया गया और उनकी भर्ती सीधे ग्रुप २ में कर ली गयी और आयोग को इसकी इत्तला भी नहीं हो पायी। इस तरह से एक अनियमितता तो सामने आयी लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट में। लेकिन जहां लोक सेवा आयोग का कार्यक्षेत्र नहीं है, वहां इससे अन्दाजा लगाया जा सकता है कि जहां साधारण भर्तियां होती हैं और जहां उनकी देखरेख करने वाला भी कोई नहीं है, जिनका सरकार को पता भी नहीं चल पाता, वहां इस प्रकार की कितनी अनियमितता हो सकती है और होती रहती है जिससे जनता में बेचैनी होती है। उसका अन्दाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। इस तरह की बातें होती हैं इसमें जरा भी कोई सन्देह नहीं है कि जो शिकायतें होती हैं उनमें बहुत सी निराधार भी होती हैं, लेकिन इस तरह की शिकायतें सही भी हैं जो शिकायतें इस तरह लोगों को पदोन्नत करने के सम्बन्ध में होती हैं। यही चीज जब लोक सेवा आयोग के समक्ष आती है तो उसका रूप जरा दूसरा बन जाता है। ऊंचे अफसर अगर ऐसी चीजें करेंगे तो छोटे अफसर तो आप समझ सकते हैं कि कहां तक कर सकते हैं।

इसी तरह से एक मिसाल और मैं देना चाहता हूं। यह पृष्ठ २४ पर पैरा आठ में है, जिसके संबंध में भी सरकार से कोई जवाब नहीं मिला है। मैं उन पैराज को छोड़ देता हूं जिनके संबंध में सरकार ने ध्यान दिया है और उस पर कुछ जवाब भी स्मृति-पत्र पर लिखा है। लेकिन जो पृष्ठ २४ के पैरा ८ में है "लेबोरेटरी असिस्टेंट के पद पर नियुक्ति के लिये एक अभ्यर्थी की उपयुक्तता के संबंध में शासन के ग्लास टेक्नोलोजिस्ट से एक निर्देश आने पर कमीशन को ज्ञात हुआ कि अभ्यर्थी अगस्त सन् १९४८ में उसको निर्देश किये बिना पद पर नियुक्त कर दिया गया था और पुनः फरवरी, १९५२ में उससे परामर्श किये बिना ही एनालिस्ट के पद पर पदोन्नत भी कर दिया गया था।" तो इन मिसालों से पता चलता है कि जो नियम है लोक सेवा आयोग के द्वारा भेजे जाने का वह नियम भंग किया जाता है और उससे नियम के भंग कर देने से शासन पर कुछ लोगों को शिकायत करने का मौका मिलता है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक सरकारी नियम हैं उनका अधिकारियों को अक्षरशः पालन करना चाहिये। नियम में कोई भी अगर जरा भी कहीं से कोई गड़बड़ी हो जाती है तो फिर उसका रूप बढ़-चढ़ करके और दूसरा धारण कर लेता है और लोगों को कहने का मौका मिलता है। मैं अधिक नहीं कहना चाहता। मेरे पास सन् १९५२-५३ की रिपोर्ट है भी नहीं, जल्दी में उसे देख भी नहीं सका। १९५३-५४ की है। तो मैं इन्हीं के आधार पर यह कहना चाहता हूं कि जो लोक सेवा आयोग ने शिकायतें अपनी रिपोर्ट में की हैं उन शिकायतों का बहुत ही महत्व है और उनको दूर करने का यथा शक्ति प्रयत्न करना चाहिये।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज हम लोग जिस रिपोर्ट पर विचार कर रहे हैं निश्चय ही जनतांत्रिक प्रणाली के लिये बहुत ही आवश्यक है। जब हम पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट को देखते हैं तो हमको कुछ ऐसा भान होता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन की बराबर कोशिश के बावजूद भी जो फल प्राप्त करने की आशा कमीशन करता है उस फल की प्राप्ति उसे नहीं हो पा रही है। सरकार की ओर से जो स्पष्टीकरण, स्मृति-पत्र भी दिया जाता है यदि उसका भी अध्ययन किया जाय तो एक प्रकार से पब्लिक सर्विस कमीशन की जो आपत्तियां होती हैं उनकी पुष्टि ही होती है। श्रीमन्, इसके पूर्व भी पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रस्तुत एक रिपोर्ट पर कुछ विचार विनिमय हुआ था। उस समय की जो पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट थी और आज इस समय जो पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट हमारे सामने है हम इन दोनों रिपोर्टों में भी बहुत कुछ आलोचना करने के ढंग पर अन्तर पाते हैं। उसका भी कारण है कि पब्लिक सर्विस कमीशन में भी जैसे व्यक्ति हों और जितनी दूर की जो उनकी क्षमता हो उस ढंग ही से अपनी रिपोर्ट भी लिखते रहते हैं। कमीशन सरकार के सामने कहां तक झुकता है, सरकार की बात को कहां तक बाध्य होकर मान लिया करता है और उसका अनुमोदन करता रहता है यह भी कमीशन, की बनावट ही पर मुनहसिर करता है।

श्रीमन्, आप देखते होंगे कि जहां भी पब्लिक सर्विस कमीशन की आवश्यकता होती है आखिर हमको इस वस्तु स्थिति पर भी तो आना चाहिये कि यह पब्लिक सर्विस कमीशन ही क्यों? इसीलिये न कि सरकार पक्षपातपूर्ण ढंग से तमाम सरकार सेवाओं की जगहों पर अपने आदमियों को भर्ती न कर दे या अपने को गद्दी पर सुरक्षित रखने के लिये ऐसे अनुपयुक्त व्यक्तियों की नियुक्ति न कर दे जो कि समुचित रूप से अपने कर्तव्य का पालन न कर सकें केवल सरकार की चाटुकारिता ही में लगे रहें। निष्पक्ष सर्विस का होना जनतंत्र के लिये एक बहुत ही आवश्यक बात है। मगर मैं क्या आज इस सदन से पूछ सकता हूं कि जिस तरह की सर्विस आज हमारे प्रदेश में है क्या कहीं भी यह कहा जा सकता है आसानी से कि आज सर्विस में निष्पक्ष रूप से नियुक्तियां हो रही है, पदों की उन्नति हो रही है, एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में लोग ले जाये जा रहे हैं मैं समझता हूं कि यदि इसको सदन के सम्मानित सदस्य कहने का साहस करेंगे तो अपने कर्तव्य की अवहेलना ही करेंगे। श्रीमन्, यों तो एक एक करके एक एक पन्ने पर रिपोर्ट पढ़ते जाइये, इस समय जिन बातों को मैं आपकी सेवा में और आपके द्वारा सदन की सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूं, उन सबकी पुष्टि होती चली जायगी।

दो चार ही बात को लेकर माननीय नारायणदत्त जी ने भी इस सदन में कुछ कहा, माननीय द्वारका प्रसाद जी मौर्य ने भी कुछ कहा और हमारे सम्मानित सदस्य जो ट्रेजरी बेंच के थे उन्होंने भी कुछ कहा। कुछ सदस्यों ने तो हरिजन की १८ फीसदी की जो नियुक्ति की बात है की शिकायत की कि उनकी नियुक्ति नहीं होती। मेरी समझ में उनकी यह शिकायत बजा है, जायज शिकायत है। इसके पूर्व जब कमीशन की रिपोर्ट पर बहस हुई थी मैंने शिक्षा विभाग के बारे में निश्चित रूप से हरिजनों की ओर की एक शिकायत पेश की थी और मैंने बतलाया था कि हरिजनों के लिये यहां पर इतने स्थान सुरक्षित हैं और उतने हरिजन वहां पर जाकर के परीक्षा में शामिल भी हुये, बुलाये भी गये, बुलाये जाने के बावजूद भी हरिजनों को स्थान नहीं दिया गया। दूसरे लोगों को स्थान दे दिया गया। उस समय शायद माननीय मुख्य मंत्री जी सदन में उपस्थित नहीं थे। मुझे याद है तब हुआ जब उन बातों की जानकारी शिक्षा मंत्री को हुई और शिक्षा मंत्री ने इस सदन में यहां तक कहने का साहस किया था कि मैं समझ रहा हूं कि राजनारायण को किसने यह रपट दी है, मैं उसको देख लूंगा और जिसने यह शिकायत की है, मैं देखूंगा कि वह हमारी सर्विस में कैसे रह सकता है। श्रीमन्, सदन इससे अवगत होगा। मैं आज पुनः कहना चाहता हूं कि हमारी कथनी और करनी में एकता होनी चाहिये। माननीय द्वारका प्रसाद जी मौर्य ने जिस मत का उद्घाटन किया, मैं चाहते हुये भी उनका साथ नहीं दे पा रहा हूं। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि १८ फीसदी

हरिजनों को सरकारी सेवा में रखा जाय। यदि सरकार न चाहती तो इस तरह की विज्ञप्तियां सरकारी आदेश निकालने की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है। माननीय द्वारका प्रसाद जी का यह मत है, मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि मैं भी यही समझता हूं कि सरकार चाहती होगी। मगर यदि सरकार चाहती है ऐसे ऐसे प्रमाण हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन की बातों और सिफारिशों के विरुद्ध सरकार ने काम किया है या इस के कर्मचारियों ने काम किया है बड़े बड़े पदाधिकारियों ने काम किया है, तो क्या कारण है, हरिजनों के अन्दर ऐसे लोग मिलते हुये भी न रखे जायं। कोई उत्तर होना चाहिये।

उत्तर तो यों हर बात का दिया जा सकता है, सफाई हर बात की दी जा सकती है मगर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं सरकार के लिये भी और दूसरे लोगों के लिये भी कि अब अपने देश को बनाने और बिगाड़ने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। चाहेंगे तो देश बना पायेंगे और चाहेंगे तो नाश कर देंगे, सत्यानाश कर देंगे। तो क्या नौ वर्ष तक स्वतंत्र वातावरण में विदेशी हुकूमत के खात्मे के बाद भी आज हम अपने को इस स्थान में ले आ पाये हैं कि कोई व्यक्ति यह समझ सके हम जो कहते हैं वही करेंगे। हमारी घोषणायें होती हैं अच्छी-अच्छी, हमारे शब्द लच्छेदार अच्छे-अच्छे निकलते हैं, मगर उनको मूर्तमान स्वरूप देने के लिये हम क्या करते हैं। चाहे कमीशन एक नहीं दस रिपोर्ट पेश करे, इस सदन के सम्मानित सदस्य एक बार नहीं दस बार कहें कि इस समय स्तर नीचे गिरता जा रहा है, स्तर नीचे गिरता जा रहा है, उनके मूलभूत कारणों पर नहीं जायेंगे, क्यों स्तर नीचे गिरता जा रहा है, क्या कारण है? यह कोई नहीं कह सकता कि माननीय मुख्य मंत्री जी या इस प्रदेश के कुछ मंत्री पढ़े लिखे नहीं हैं, योग्य नहीं है, इनको जानकारी नहीं है, अनुभव नहीं है। अच्छी जानकारी है, अच्छा अनुभव है, अच्छे लेखक हैं, बढ़िया-बढ़िया बातों को पुस्तकों में लिख सकते हैं, अच्छे सिद्धांतों का निरूपण कर सकते हैं, मगर क्या करते हैं कि इन तमाम बातों के बावजूद भी हमारा पतन होता जा रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ता चला जा रहा है, रिश्वतखोरी बढ़ती चली जा रही है। कौन सा ऐसा विभाग है जहां भ्रष्टाचार की, रिश्वतखोरी की शिकायतें न आती हों? चाहे वह शिक्षा का विभाग है, चाहे वह सिंचाई का विभाग हो, अब तो लोग यहां तक कहने की हिम्मत करते हैं कि सप्लाई विभाग में जितनी गड़बड़ी पहले थी सिंचाई विभाग उससे भी बाजी मार ले गया और खुले आम सरकारी कर्मचारियों के मुंह से भी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। तो मैं आज जब इस रिपोर्ट पर चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी को सुनूं तो इन मूलभूत कारणों की ओर कुछ प्रकाश होना चाहिये। कहीं न कहीं दोष है, कहीं न कहीं खामी है और हमारे सामने खामी और दोष यह है कि पुस्तकों में योग्यतायें रखी जा रही हैं। हमारे सुन्दर शब्द और जो मधुर वाणियां निकलती हैं पिछड़ी जाति के संबध में हरिजनों के संबंध में, समाजोत्थान के संबंध में महिला समाज के विकास करने के संबंध में और अब तो यहां सभी लोग कहने लगे कि समाजवादी ढांचा बनेगा, यह तो आप भी जानते होंगे अधिष्ठाता महोदय। आज यहां जितनी पार्टियां हैं करीब-करीब सभी समाजवाद की दुहाई देने लगीं।

तो यह बड़ा जटिल विषय होगा कि क्या अर्थ समाजवाद का कांग्रेस पार्टी करती है क्या प्रजा सोशलिस्ट पार्टी करती है, क्या अर्थ सोशलिस्ट पार्टी करती है और क्या अर्थ दूसरे लोग करते हैं? इसलिये मैं बहुत ही सूक्ष्म निवेदन करना चाहता हूं कि अब हमें तो अपनी कथनी में जो करना है उसको निभाना पड़ेगा। अपनी कथनी में मतलब लाना पड़ेगा। अगर हम कहें कि १८ फीसदी हरिजनों को सरकारी सेवाओं में काम मिले तो निश्चित रूप में १८ फीसदी हरिजनों को सरकारी सेवाओं में काम मिलना चाहिये। जब हरिजन न मिलें तो उस परिस्थिति विशेष में हम समझ सकते हैं, मगर हरिजन मिलता है और येन-केन-प्रकारेण किसी न किसी प्रकार से इस बात को हटा करके दूसरे की नियुक्ति कर दी जाती है, मैं समझता हूं कि ऐसी बातों पर इस पब्लिक सर्विस कमीशन को भी ध्यान देना चाहिये और सरकार को भी ध्यान देना चाहिये। क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना

[श्री राजनारायण]

ही इसलिये हुई है कि हम स्वतंत्र सर्विस को रखें। सरकारी इशारों पर सर्विस के लोग नाचें नहीं और सरकार के इशारे पर वह मान्य नियमों को तोड़ कर अपने कार्य को संचालित न करें। सरकारी कर्मचारियों के अन्दर सुरक्षा का भाव पैदा करने के लिये कि वह ईमानदारी के साथ अपने कर्त्तव्य पथ पर चले जायेंगे और यदि कोई मंत्री, पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी या कोई और प्रतिभा-सम्पन्न पार्टी का व्यक्ति गलत काम करने के लिये उसे दबाता है तब भी वह नहीं करेगा और उसकी सर्विस सुरक्षित रहेगी, इस भावना के लिये और इससे ढंग से काम करने के लिये मैं समझता हूं कि पब्लिक सर्विस कमीशन की आवश्यकता है। मगर आज मैं देखता हूं कि यह भावनायें काम नहीं कर रही हैं। चाहे जिस विभाग में चले जाइये, ऐसा एक डर बना हुआ है, ऐसी एक भावना है कि हर सरकारी कर्मचारी आज यह कह रहा है कि क्या करूं, नौकरी करनी है और अगर नौकरी करनी है तो हम को जिस तरह से शासक पार्टी के लोग चाहते हैं अपनी भावनाओं पर ठेस डालकर भी करना पड़ता है। यह भाव सरकारी कर्मचारियों के दिमाग से कब निकलेगा, इसकी गारंटी होनी चाहिये। रिपोर्ट पर तो बहस एक दो करके हो ही रही है सारी बातें सामने आ ही रही हैं। मगर मैं चाहता हूं कि जब तक हम इन बातों पर अच्छी तरह से विचार करके आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक हमारा काम बनने वाला नहीं है। यों तो कुछ न कुछ काम होता ही है अंग्रेजी हुकूमत में भी होता था। रेल, तार, डाक तथा नलकूप वगैरा लगते थे और कांग्रेसी सरकार के जमाने में भी कुछ न कुछ काम होता ही है मगर कैसा काम हो रहा है और कितने पैसों से हो रहा है, उचित हो रहा है या अनुचित, हमारा इन बातों की ओर भी ध्यान जाना चाहिये। लेकिन इधर हमारा ध्यान नहीं जा रहा है।

श्रीमन्, मुझे बहुत अफसोस हुआ और मैं इस बात को मानता हूं और मुझे प्रसन्नता भी होती है यदि मुख्य मंत्री जी के मुखारबिन्द से यह निकले कि राजनारायण हठी है, जिद करता हुआ चला जाता है वह बेवकूफ है। यदि यहां तक वह कह दें तब भी मैं कुछ नहीं समझता और कभी कभी सदन में उन्होंने इन भावों को व्यक्त भी किया है अपने शब्दों में तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जिस क्षण मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि राजनारायण जी झूठ बोलते हैं, उस समय हमें ठेस लगती है। मैंने समाचार-पत्रों में उनका बयान पढ़ा। उन्होंने विरोधी दल के नेता माननीय गेंदा सिंह जी के ऊपर दोषारोपण किया है।

श्री अधिष्ठाता—मैं यह कहना चाहता हूं कि आप विषय के बाहर जा रहे हैं।

श्री राजनारायण—अधिष्ठाता महोदय, यदि थोड़ा बहुत इधर उधर हटकर मैं मूलभूत चीज पाने की कोशिश करूं तो मैं समझता हूं कि आप मेरी सहायता अवश्य करेंगे। सम्मानित सदस्य के ऊपर मुख्य मंत्री जी का कथन है कि गेंदा सिंह जी ने जो आक्षेप किये हैं वह असत्य तथा झूठे हैं और बनारस से निकलने वाले समाचार-पत्र-आज में, जो समाचार पढ़ा है उसमें यहां तक मिला कि गेंदा सिंह जी ने पूरे बयान का खंडन करने का मुख्य मंत्री जी को आश्वासन दिया था लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और उनका जो बयान आया है उसमें यह भी है कि उन्हें अफसोस है और दुःख है कि विरोधी पक्ष के नेता का ऐसा आचरण हो।

श्री अधिष्ठाता—मैं राजनारायण जी से एक निवेदन करूंगा कि जो सदन के बाहर बातें कही गई हैं या समाचार-पत्रों में लिखी गई हैं उनका वर्णन न हो तो ज्यादा अच्छा है।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं भी इससे बचना चाहता हूं और मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि बाहर भीतर एक सा होना चाहिये। अब हमें चेत जाना चाहिये। अब लौं नसानी अब न नसैहौं-बार-बार हम यही कह रहे हैं और झूठ बोलते

चले जायं और एक दूसरे पर मिथ्यारोपण करते जायं और इस सदन में विचार के लिये पी० एस० सी० की रिपोर्ट रख दी जाय तो हमारी राय यह है कि इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। हम सत्य के आचरण के लिये हैं झूठ के लिये नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे सदन के नेता और विरोधी पक्ष के नेता में परस्पर इतना विरोध हो तो फिर कैसे काम चल सकता है। अब श्रीमन्, यही बात आती है कि एक आदमी कौन हो मगर सरकार की पार्टी के किसी आदमी को लाभ होने वाला हो तो आगामी चुनाव में उस आदमी के लिये सरकारी आदमी की ओर से सतत प्रयत्न होगा और पी० एस० सी० में ऐसे लोग होंगे जो उसको तरजीह देंगे।

आज जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं, स्तर गिरने के आरोप हैं इन सबका मूलभूत कारण यही है कि हम प्रचार के लिये कुछ कहते हैं और बार-बार सदन में यही कहते हैं कि हम साफ हैं, दूध के धोये हैं और हम जो लिख देते हैं उसी के अनुसार कार्यवाही होती है और हम बराबर डकैतों को शरण दें, उनके डकैतों को यहां लाकर रखें तो इससे क्या होगा। श्रीमन्, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि महात्मा गांधी ने जो कुछ भी अपनी ईमानदारी और सिद्धांतानुयायी होने का देश और विदेश को पता दिया था और उनकी ईमानदारी में यकीन करके हमने जो कुछ लाभ उठाया था आज वे सारी इच्छायें और सारी मान्यतायें हमसे दूर हो रही हैं। हम बहस कर लें रिपोर्ट पर, हम कह दें कि यह क्यों लिखा गया और माननीय मुख्य मंत्री जी का स्मृति-पत्र भी पढ़ लें लेकिन उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। अब आप पेज १४ निकालें सन् ५२-५३ की रिपोर्ट का। उसमें लिखा हुआ है:

> "सहकारी समितियों के एक स्थानापन्न सहायक रजिस्ट्रार के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के संबंध में सन् १९५१ ई० में शासन के निर्देश करने पर कमीशन को ज्ञात हुआ है कि वह नवम्बर, १९४८ ई० से बिना कमीशन की अनुमति के ही उस पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहा था।"

सन् १९४८ से वह काम कर रहा था, याद रखिये। ५१ में शासन निर्देश करता है और ५२-५३ की रिपोर्ट आती है और ५६ में हम बहस करते हैं। यह है क्या? अब इसको आप सब लोग सोचें। फिर हुआ क्या?

> "पूछने पर शासन ने कहा कि इस प्रकार के कई अन्य मामले और थे, और उनके संबंध में पृथक निर्देश करने का वायदा किया। दिसम्बर, १९५२ ई० में उन मामलों को निर्देशित करते हुये शासन ने कहा कि सहायक रजिस्ट्रार के नव निर्मित पद आकस्मिक परिस्थितियों से संबंध रखते थे, अतः उन्हें शीघ्रता से इन्सपेक्टरों की पदोन्नति द्वारा भर दिया गया था और कमीशन से परामर्श पहले इसलिये न हो सका था कि ग्राम सुधार विभाग में बिलीन होने पर विलीनीकृत विभाग के बहुत से कर्मचरियों की ज्येष्ठता सहकारी विभाग के कर्मचारियों के समक्ष तय नहीं हो पायी थी। कमीशन को ज्ञात हुआ कि एक दर्जन से अधिक आफिसर्स बिना कमीशन के परामर्श के पांच वर्ष से भी अधिक समय से स्थानपन्न रूप से कार्य कर रहे थे इस पर कमीशन ने फिर आपत्ति प्रकट की और मामले की रिपोर्ट शासन के मुख्य सचिव को यह बताते हुये की कि यद्यपि पांच वर्ष से भी अधिक समय व्यतीत हो गया था, सहकारी विभाग को अपने विभाग के कर्मचारियों के साथ ग्राम सुधार विभाग के कर्मचारियों की सापेक्ष ज्येष्ठता तय करने का अवकाश न मिल सका और न वह विभागीय चुनाव समिति की बैठक ही बुला सका।"

[श्री राजनारायण]

कमीशन ने मुख्य सचिव से ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिये उचित कार्यवाही करने की प्रार्थना की। वर्ष के अन्त तक मुख्य सचिव का उत्तर न मिल सका। अब इसके और आगे घटनाओं का विश्लेषण सम्मानित सदस्य न करें। मैं उनकी सेवा में एक घटना रख कर पूछना चाहता हूं कि क्या इस शासन में इस तरह की घटनायें होती हैं कि सन् ४८ की नियुक्ति, सन् ५१ में निर्देशन और ५२-५३ की रिपोर्ट और ५६ में बहस ? कितने वर्ष हुये जरा हिसाब लगा लीजिये। ८ वर्ष तो हो ही गये। वर्ष के अन्त में कमीशन लिखता है मुख्य सचिव जी को तो वर्ष का अन्त भी व्यतीत हो जाता है मगर मुख्य सचिव उसका कोई उत्तर नहीं देते। श्रीमन्, दिल फट जाता है और तब मैं कहता हूं कि क्या ऐसे ही शासन के लिये अंग्रजी हुकूमत को हमने हटाया था। तब यह कहने की आवश्यकता पड़ती है। बार-बार मैं इसको रिपीट नहीं करना चाहता। मगर मैं देख रहा हूं "का दिखाय पुनि काह दिखावा"। जब मैं यह सब देखता हूं तब मुझे गुस्सा आता है और मैं कहना चाहता हूं कि अगर कोई इंसान है तो उसके दिल में बुरे कामों के प्रति गुस्सा आना ही चाहिये। हमें गुस्सा आता है इस सरकार के दोषों को देख कर। और अगर कोई निजी ढंग से उनके दोष हों जो केवल उन्हीं को व्यक्तिगत आघात पहुंचायें तो हम कभी कभी दब भी जाया करते हैं। मगर जब ऐसा दोष हो जिसका सम्बन्ध सारे प्रदेश की जनता से हो, सारे प्रदेश की सर्विसेज से हो, तब मुझे कर्तव्य से प्रेरित हो कर इन बातों को आपके द्वारा सदन की सेवा में कहना पड़ता है। इसलिये आपकी मैं सेवा में कहना चाहता हूं कि आज जो पब्लिक सर्विस कमीशन बना हुआ है यह एक तरीके से कहिये एक स्टेशन बना हुआ है जिसमें सरकार की ओर से कुछ पत्र आवें, कमीशन की ओर से कुछ पत्र जावें और अन्ततोगत्वा सरकार जो चाहती है जिसको जिस पद पर रखना चाहती है सरकार उसको उसी पद पर रख लिया करती है, कमीशन आपत्ति करता रहे, रिपोर्ट मांगता रहे, रिपोर्ट आती जाती रहे और कहीं कहीं सरकार अगर समझती है कि कमीशन की इस बात से हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है या उस व्यक्ति का कुछ बिगड़ता नहीं है और उस व्यक्ति को दूसरे तरीके से खपा सकते हैं तो कहीं उनकी सिफारिशों को भी मान लेती है।

श्रीमन्, आगे देखा जाय, माननीय नारायणदत्त जी ने हमें एक बात बताई कि २१ कर्मचारियों को पी० सी० एस० की श्रेणी में मान लिया गया है जो कि अभी तक सिविल सप्लाई विभाग में थ। कैसे मान लिया गया, क्यों मान लिया गया इसकी रिपोर्ट अभी तक हमारे पास नहीं है मगर उत्तर तो होगा ही। अब हमारा यह कहना है कि हम जनतांत्रिक प्रणाली पर विश्वास करते हुए चल रहे हैं, जनतंत्र को उकसाना चाहते हैं मगर आज सरकार की ओर से जो आदेश जाते हैं सरकारी कर्मचारियों की तरक्की के बारे में उसमें मैं यह देख रहा हूं कि जितनी पाबन्दियां अंग्रेजी शासन में नहीं थीं उससे ज्यादा पाबन्दियां आज यह हुकूमत लगा रही है। उनके ऊपर और उनके डिपेंडेंट्स के ऊपर जो उनके ऊपर आश्रित हैं उनके ऊपर कि अगर वे भी सरकार की नीतियों की आलोचना करें तो उसके लिये भी वेही जिम्मेदार बनाये जा रहे हैं और उनको परेशान किया जाता है। मैं व्यक्तिगत मामलों को इस समय नहीं रखना चाहता वरना तो ऐसे-ऐसे मामलों की मुझे जानकारी है कि बहुत समय तक एक मंत्री विशेष और किसी जिले के विशेष जिलाधीश में कुछ समस्याओं पर झगड़ा चलता रहा है मगर बाद में उसे झुकना पड़ा और मजबूर होना पड़ा।

मैं शिक्षा विभाग के बारे में तो कुछ कहना नहीं चाहता, समय आयेगा। लेकिन जो रिपोर्ट है उसमें खुद ही आप देखेंगे मगर मैं एक बात आपके द्वारा कहना चाहता हूं यद्यपि कुछ का वर्णन हमारे दूसरे वक्ता महोदय ने कर दिया है। तीन चार बातें हमें खास तौर से देखनी हैं नियुक्ति पदोन्नति, कमीशन को जिनकी नियुक्ति करने का अधिकार है उस श्रेणी तक के लोगों की नियुक्तियां जो अधिकारी विशेष कर दिया करते हैं बिना उनको पूर्व सूचना दिये हुये, बिना उनकी अनुमति लिये हुये और उनका जबाव तलब करने पर भी यदि उसमें आवश्यकता

से अधिक बिलम्ब होता है तो इस बात की जांच पड़ताल कैसे होगी, कब होगी और क्या होगा। आज कौन सी मशीनरी है जो इस बात को तय करे कि कमीशन ने जिन बातों को लिखा और शासन ने जिन बातों की उपेक्षा की या शासन के अधिकारियों ने मातहत कर्मचारियों को जो नियम और आदेश भेजे उनकी उपेक्षा की। मैं कह नहीं सकता कि कितनों को दंडित किया गया और उनके ऊपर क्या कार्यवाही की गयी। मैं निवेदन के रूप में यह अवश्य इसलिये कहना चाहता हूं कि एक समिति कोई न कोई ऐसी होनी चाहिये चाहे छोटी सी ही बने।

(इस समय ४ बजकर १ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

मेरा सुझाव यह है कि जब इन तमाम रिपोर्टों का अवलोकन किया जाता है जिसमें कमीशन और सरकार का वादविवाद रहता है कि हमारा कहना यह नहीं हुआ और सरकार कहती है कि इन परिस्थितियों में हमने यह नहीं किया तो उसमें और गहराई के साथ जाने के लिये मैं चाहता हूं कि इस सदन की कोई एक समिति बनाई जाय और वह केवल दिखावा समिति ही न हो, उसमें सरकार के पक्ष के ही लोग न हों बल्कि उसमें माननीय गेंदा सिंह जी को रखा जाय, पुराने लोगों में पालीवाल जी हैं, उनको रखा जाय और यह देखा जाय कि कमीशन की क्या दिक्कतें हैं। आज शासन के कर्मचारियों के अन्दर स्वतंत्र वातावरण पैदा करने के लिये, उनके दिल में एक सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिये, वह नियमों का समुचित रूप से आदर करें, पालन करें, यह सारी बातें उनके अन्दर लाने के लिये, कमीशन जो चाहता है और सरकार जो चाहती है, उसमें कितना काम हो रहा है और कितना नहीं हो रहा है, कितना उचित हो रहा है और कितना अनुचित हो रहा है, यह सब देखने के लिये आज इस की आवश्यकता है। क्यों कि अब हम इतनी दूर चले आये हैं कि महज एक दिन बहस करके और सरकार की ओर से जो स्मृतिपत्र आता है उसकी दो चार लाइनें पढ़ कर के काम चलने वाला नहीं है। मैं चाहता हूं कि हमारे देश में जनतंत्र विकसित हो, मैं चाहता हूं कि सरकारी कर्मचारी स्वतंत्र हों और वह उनके जो नियम हों, कानून कायदे हों उनका वह ईमानदारी से पालन करें। वह किसी के प्रभाव में न आयें, चाहे कोई कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों न हो, चाहे वह मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर हो या कोई साधारण आदमी हो, जो नियम उसके लिये बना है अबाधि गति से, आजादी के साथ उन नियमों पर चलने की भावना उस सरकारी कर्मचारी के दिल में पैदा हो। और जब तक यह भावना उस सरकारी कर्मचारी के दिल में पैदा न होगी निश्चित रूप से, श्रीमन्, हम भले ही इस रिपोर्ट पर बहस करते करते वर्षों ही क्यों न बिता दें हमारा काम बन नहीं सकता, जो फल हम चाहते हैं उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिये मैं निवेदन करूंगा इस सरकार से और इस सदन से कि एक कोई ऐसी छोटी सी समिति बनाई जाय जो इन कार्यों को और उनमें हुई बातों के कारणों का अच्छी तरीके से से विशलेषण करे और कमीशन जो चाहता हो, सरकार जो चाहती हो, उनकी दोनों की चाहों को लेकर एक समुचित चाह दें जिससे कि शासन शुद्ध हो, स्तर हमारा न गिरे और हमारा स्तर ऊंचा होता चला जाय।

एक बात मैं इस आधार पर और कहना चाहता हूं। क्योंकि हमारे कुछ सम्मानित सदस्यों ने हिन्दी और अंग्रेजी का सवाल उठाया है, मैं इस सिलसिले में कह देना चाहता हूं कि अगर हिन्दी माने हिन्दुस्तानी के सवाल को लेकर हमारा स्तर नीचे गिरने की बात कही जाती है तो यह गलत है। इसलिये अगर सदन के किसी सम्मानित सदस्य के मस्तिष्क में यह बात हो कि चूंकि हिन्दी को कुछ स्थान विशेष देने की बात हो रही है इसलिये हमारा स्तर उसके कारण नीचे गिरता चला जा रहा है, तो वह अपनी उस धारणा को हटा दें, उसको भुला दें। मैं तो यहां तक कहना चाहता हूं कि आज पढ़े लिखे लोगों के मुकाबले में चाहे हिन्दी के पढ़ने वाले हों या अंग्रेजी के, ऐसे कितने ही लोग मिलेंगे जो साक्षर तो नहीं है लेकिन वह ज्यादा ईमानदार हैं, उनकी ज्यादा सेवायें हैं, उनकी ज्यादा कुर्बानियां हैं। तो इसलिये

[श्री राजनारायण]

यह कहना कि अंग्रेजी को मुख्य रूप से न रखने के कारण स्तर गिर रहा है, भ्रष्टाचारिता बढ़ रही है, रिश्वत खोरी बढ़ रही है, योग्य कैंडीडेट नहीं मिल रहे हैं, सही नहीं है। मैं समझता हूं कि हिन्दी की काफी उन्नति हुई है। आज हिन्दी में भी ऐसी पुस्तकें प्राप्त हैं कि जो आज की सर्विसेज के लिये आवश्यक हैं। अंग्रेजी की पुस्तकों की पूर्ति उन हिन्दी की पुस्तकों के द्वारा हो सकती है और यदि कहीं कमी हो तो उस कमी को पूरा करना सरकार का कर्त्तव्य है। सरकार उस कमी को पूरा करे। तो कहीं ऐसा भ्रम न आना चाहिये कि अंग्रेजी को गौण स्थान देने का फल है कि हमारा स्तर गिर रहा है। ऐसी धारणा भ्रामक है और यदि किसी के दिमाग में इस तरह की धारणा है तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह अपनी इस धारणा को निकालें, जोखिम उठाना पड़े तो उठायें। आज तो व्यर्थ ही हिन्दी और अंग्रेजी का वादविवाद आ गया, लेकिन चूंकि आ गया इसलिये इस सिलसिले में मुझे यह कहना पड़ा। मैं तो मानता हूं कि हमारे देश में जो रूसी नेता आये, उन्होंने हिन्दुस्तानी में गांव को सबक दिया कि वह अपने देश की भाषा में पहले लिखना पढ़ना सीखें। और उस समय हिन्दी में वह मस्विदा लिखा गया जिस पर रूसी नेताओं के और श्री जवाहरलाल जी के दस्तखत हुये। उसके बाद अंग्रेजी का अनुवाद उसमें लगा है। यह पहला काम हुआ है। इसलिये हमको किसी मायने में ऐसा काम नहीं करना चाहिये जिससे यह भावना प्रकट हो कि अगर हिन्दी में कार्य होने लगेगा तो स्तर नीचे गिरने लगेगा। यह भ्रामक धारणा है। इसको निकाल देना चाहिये।

मैं श्रीमन्, आपकी इजाजत से यह कहना चाहता हूं कि किसी व्यक्ति विशेष पर आक्षेप करने का हमारा इरादा नहीं है और हम व्यक्ति विशेष पर आक्षेप करना भी नहीं चाहते हैं। हम तो नीति को उनके सामने रखना चाहते हैं। यदि उस नीति के सम्बन्ध में किसी सरकारी पदाधिकारी का सम्बन्ध आ जाता है तो मुझे बाध्य होकर उसका जिकर लाना पड़ता है यों हम उसको लाना नहीं चाहते हैं। इसलिये मैं आपके द्वारा सरकार से यह कहूंगा कि आज जो रिपोर्ट पर बहस हो रही है और इसके समाधान में उत्तर दे दिया इससे ही हमारा कर्त्तव्य पूरा नहीं होना चाहिये। हमारे सामने कोई चित्र आना चाहिये जिस चित्र को लेकर हम भ्रष्टाचार को दूर कर सकें। हो सकता है कि मेरे बाद कोई कांग्रेसी सदस्य उठें और यह कहें कि राजनारायण तो सारे कर्मचारियों को भ्रष्टाचारी कहते हैं। इसका आप साहबान लाभ उठा रहे हैं लेकिन मैं इसके बारे में आपके द्वारा यह बता देना चाहता हूं कि मैं सभी सरकारी कर्मचारियों को भ्रष्टाचारी नहीं कहता हूं। मैं जानता हूं कि बहुत से ऐसे सरकारी कर्मचारी हैं जो कि बहुत आदर्श चरित्र रखते हैं। ऐसे बहुतों की जानकारी मेरे पास है और मैं ऐसे लोगों की खोज में भी रहता हूं। ऐसे सरकारी कर्मकारी कुछ हैं जो कि अपने चरित्र के बल पर मन्त्री जी की परवाह नहीं करते हैं। नियम के मुताबिक जो उनके पास काम हैं उसको करते रहते हैं। हमारे पास ऐसे लोगों की जानकारी है और मैं यहां तक कहने की हिम्मत रखता हूं कि जब उनसे मन्त्री लोग गलत काम कराने की हिम्मत करते हैं तो वह मन्त्री नीचे चरित्र के हो जाते हैं और वह सरकारी कर्मचारी ऊंचे चरित्र के हो जाते हैं। इसलिये सभी कर्मचारियों को भ्रष्टाचारी कहना गलत है। अच्छे चरित्र के भी कुछ लोग हैं। अध्यक्ष महोदय, सरकार के भय और डर से नौकरी पाने की अभिलाषा से कुछ लोग गलत काम कर जाते हैं और सरकार का जो हर क्षेत्र में हस्तक्षेप हो रहा है यही कारण है इस स्तर के नीचे गिरने का। इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करता हूं कि सरकार मेरी बात पर विचार करे।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—अध्यक्ष महोदय, पब्लिक सर्विस कमीशन की १९५२-५३ और ५३-५४ की रिपोर्ट पर विचार करने से पहले हमको यह विचार करना

पड़ेगा कि पब्लिक सर्विस कमीशन की आवश्यकता इस देश और प्रदेश में क्यों हुई। जब हम यह विचार करते हैं तो विचार करने के बाद हम इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन की आवश्यकता इसलिये पड़ी कि इस आयोग के द्वारा ऐसे अफसरों का चुनाव हो जो अपने काम में निष्पक्ष, दक्ष और प्रवीण प्रमाणित हों और इसी नीति को लेकर इसकी उपयोगिता सिद्ध तथा असिद्ध हुई है। अब हमको यह देखना है कि पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट जो सदन के सामने प्रस्तुत है और जिसके ऊपर विचार चल रहा है क्या इस पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट को पढ़ने के बाद यह साबित हो सकता है कि सरकार के द्वारा बनाये गये पब्लिक सर्विस कमीशन ने निष्पक्ष भाव से काम किया है और क्या सरकार ने उसके लिये निष्पक्ष रास्ता अख्तियार करने को भी अवसर दिया है। अगर हम इन दोनों पहलुओं पर विचार करते हैं। और इस कसौटी पर इसको कसते हैं कि सरकार ने पब्लिक सर्विस कमीशन की हर राय की पाबन्दी की है तो कहने के लिये हम यह कह सकते हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन की उपयोगिता है और सरकार का निष्पक्ष हो कर ऐसे अफसरों की नियुक्ति करने में कमीशन ने सहायता की है। किन्तु इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन की उपयोगिता इस सरकार के लिये कुछ नहीं है। इस रिपोर्ट में एक नहीं बीसों जगह बतलाया जा सकेगा कि कमीशन की राय की सरकार ने उपेक्षा की है। हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी को मैं समझता हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय पद्धति में ज्यादा ज्ञान है और कहा जाता है कि फ्रांस में सरकारें रोजाना बदलती हैं। पर उसका असर वहां के सरकारी कर्मचारियों पर नहीं पड़ता है। क्या आज हमारे माननीय मुख्य मंत्री यह दावा कर सकते हैं कि नेतृत्व में चलने वाली सरकार के अनुयायी पब्लिक सर्विस कमीशन को ऐसा रूप देने में समर्थ हो सकेंगे कि उसके द्वारा चुने हुये सरकारी कर्मचारियों को फ्रांस की तरह रास्ता चलने की स्वतंत्रता हो ? मैं समझता हूं कि यह बिलकुल हो नहीं सकता है। इस सरकार के रहते हुये नामुमकिन सा है कि कमीशन निष्पक्ष होकर चुनाव करे जब हम देखते हैं कि हमारे प्रदेश से कमीशन में ऐसे सदस्य भेजे जाते हैं जो किसी पार्टी विशेष से सम्बन्ध रखते हैं तो कहना अनुपयुक्त नहीं होगा कि जो व्यक्ति दलबन्दी में है वह पब्लिक सर्विस कमीशन में जाकर उस पार्टीबन्दी से अछूता रहे यह नामुमकिन है। माननीय मुख्य मंत्री जी कह सकते हैं कि फिर आदमी कहां से लावें। मैं यह कहने का दावा तो नहीं कर सकता हूं कि इस प्रदेश में ऐसे व्यक्तियों की कमी नहीं है, लेकिन ऐसी बात जरूर है कि निष्पक्ष व्यक्ति हजारों की तादाद में मिल सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—रिपोर्ट पर ही बहस होनी चाहिये। खाली कमीशन के कान्स्टीट्यूशन पर बहस नहीं हो सकती। आयोग के बारे में जो रिपोर्ट में है उसी पर विवाद होना चाहिये। मैं विष्यान्तर नहीं होने दूंगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—रिपोर्ट में कांस्टीट्यूशन का जिक्र है।

श्री अध्यक्ष—आप मुझसे बहस नहीं कर सकते कि नाम रिपोर्ट में लिखे हुये हैं इसलिये हर नाम पर आप बहस करना शुरू करदें। आप कृपा कर संगठन के बारे में टीका-टिप्पणी न करें।

श्री रामसुन्दर पांडेय—तो श्रीमान्, सन्देह होता है और वह दूर भी नहीं होता है। ५२-५३ की रिपोर्ट के सफे ४-५ को आप देखें उसमें जुडिशल आफीसर्स के बारे में साफ लिखा है कि सन् ५० में अनिर्वाचित जो व्यक्ति थे उनके लिये सरकार का आदेश हुआ कि ५ प्रतिशत जो नम्बर पाये थे वे आदमी खाली जगहों के लिये निर्वाचित घोषित किये जावें। उसके साथ-साथ सरकार के कुछ प्रतिबन्ध जारी हुये कि लगातार जिनको ३ साल की वकालत का तजुर्बा हो वही आदमी रखे जा सकते हैं।

श्रीमत् विज्ञापन हुआ और उसके अनुसार आवेदन-पत्र आये और उसमें ऐसी चर्चा नहीं थी कि वही लोग रक्खे जायेंगे कि जिनका तीन साल की वकालत का तजुरबा हो, लेकिन निर्वाचन

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

होने के बाद स्थान रिक्त होने पर ३ साल का प्रतिबन्ध लगाना आयोग के हाथों को बांधना है। आयोग ने इसको नामंजूर भी किया, लेकिन सरकार ने बेहयायी के साथ उसको न माना और ३ वर्ष के अनुभव के हो लोगों को रक्खा। मैं पूछना चाहूंगा कि जब ऐसे मौके आते हैं तो कैसे आयोग से कहा जाता है कि योग्य उम्मीदवारों को चुना जाय।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक शब्द "बेहयाई" का प्रयोग किया है। क्या यह शब्द पार्लियामेंटरी है?

श्री अध्यक्ष---वह किसी व्यक्ति के बारे में नहीं होना चाहिये। मैं उसको ठीक तरह से सुन नहीं पाया।

श्री रामसुन्दर पांडेय---श्रीमन्, हमने सरकार के लिये कहा था, व्यक्ति के लिये नहीं कहा।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं यह किसी व्यक्ति के बारे में नहीं कहा गया है इसलिये अनपार्लियामेंटरी नहीं है, लेकिन उसका प्रयोग न होता तो अच्छा था। कम से कम वह शब्द अच्छा तो नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---श्रीमन्, विज्ञापन के बाद आयोग के ऊपर कोई प्रतिबन्ध लगाना अनुचित है। जब आयोग ने उसको अस्वीकार कर दिया था तो तीन साल के तजुर्बेकार आदमियों को रखना सरकार के लिये अनुचित था। श्रीमन्, कानपुर में ग्रुप इंजीनियरों के चुनाव का सवाल था। यह आप पेज ६ पर देखेंगे, आयोग ने ग्रुप इंजीनियरों का चुनाव किया और सरकार के पास नियुक्त करने के लिये निवेदन किया लेकिन श्रीमन्, आप देखेंगे कि इस रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि सरकार ने उस चुनाव को नहीं माना। सरकार ने आयोग के चुने हुए आदमी को हटाकर दूसरे व्यक्ति को चुना। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार आयोग की सिफारिशों को कितना मानती है।

एक और चीज पेज नम्बर ७ पर है। एक सैनिक शिक्षा संचालक की नियुक्ति का प्रश्न था। १९५२ में सरकार की ओर से सैनिक शिक्षा संचालक के पद के लिये चुनाव करने के लिये कहा गया और चुनाव के बाद कोई नियुक्ति नहीं हुई और कहा गया कि अब उस पद की कोई जरूरत न होगी।

पेज नम्बर १० पर शिक्षा विभाग में कहा गया है कि २०० रुपये से ज्यादा तनख्वाह पाने वाले व्यक्ति थे उनके सम्बन्ध में कमीशन और सरकार में मतभेद था। इसी प्रकार से सचिवालय में अपर और लोअर डिवीजन में ५-५ और ६-६ साल तक कर्मचारीगण अस्थायी बने रहते हैं। उनकी परीक्षायें होती हैं और परीक्षा का रिजल्ट दो-दो साल तक आउट नहीं होता। अगर रिजल्ट भी आउट हो जाता है तो नियुक्ति नहीं की जाती है। इस प्रकार की बेकायदा बातों के बीसों उदाहरण हैं। सचिवालय में हिन्दी शार्टहैंड रिपोर्टर होने चाहिये। उसके बारे में सरकार क्या कर रही है। लेकिन इस सचिवालय में सरकार के मंत्रियों के पास कितने ऐसे शार्टहैंड रिपोर्टर्स हैं जो हिन्दी बिल्कुल नहीं जानते जिनकी जगह स्थायी है और दूसरे बाहर के आदमी जो हिन्दी अंग्रेजी जानते हैं, चुनाव में आते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो स्थायी जगह पर अस्थायी तौर से काम कर रहे हैं। श्रीमन्, अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार को पब्लिक सर्विस कमीशन का हाथ मजबूत करना चाहिये, उसको स्वच्छन्द छोड़ देना चाहिये। उसके ऊपर अंकुश लगाना ठीक नहीं है। उसके नियमों में सरकार परिवर्तन करे, यह बात तो समझ में आती है, उसके लिये ऐसी योग्यता के आदमी रखे जायं यह बात तो समझ में आती है, लेकिन योग्यता के रखते हुए आयोग की सिफारिश से जो आदमी चुने जायं उस चुने हुए व्यक्ति को स्थान भी दे देना चाहिये। सरकार

की यह हठवादिता ठीक नहीं है और अगर सरकार यह चाहती है कि उसके अफसर निष्पक्ष हों, लगनशील हों, ईमानदार हों तो श्रीमन्, इस प्रकार के व्यवहार को खत्म करना पड़ेगा।

श्रीमन्, एक बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो पब्लिक सर्विस कमीशन में और सरकार के कामों में हमारे अच्छे से अच्छे ईमानदार अफसर हैं वे भी सरकार की निगाह में बुरे माने जाते हैं। श्रीमन्, आप देखेंगे कि अखबारों में हमारी कांग्रेस की ओर से एक फरमान जारी हुआ कि आप लोग पदयात्रा करें। श्रीमन्, आपने पदयात्रा नहीं की, लेकिन बहुत से कांग्रेस के लोगों ने पदयात्रा की, सरकार के मंत्रियों ने पदयात्रा की और उनके पीछे, सरकारी अफसर लोग घूमे। श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि मेम्बर लोग तो अपने-अपने पीछे क्षेत्रों में घूमते हैं। हम लोग भी अपने क्षेत्र में घूमते हैं और अपनी पार्टी की ओर से घूमते हैं, लेकिन ये सरकारी अफसर लोग जो पीछे-पीछे घूमते हैं क्या वे ईमानदार रह सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष---इस समय यह विषय सामने नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब सरकार के मंत्री लोग सरकारी अफसरों के कारनामों में इस तरह से हस्तक्षेप नहीं करेंगे, इस तरह से उनको नहीं रोकेंगे तो वे अफसर ईमानदार नहीं रह सकते हैं।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि इस प्रश्न का आयोग से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडय---आयोग से सम्बन्ध नहीं है लेकिन चूंकि माननीय मुख्य मंत्री जी का यह विभाग है और वे निष्पक्ष हैं और उनके मंत्रिमंडल के लोग ऐसा कर रहे हैं, इसलिये मैं चाहता हूं कि ऐसे मौके पर वे अपने मंत्रिगण के कार्यों पर विचार करेंगे। सरकार के मंत्रिगण जब भी किसी काम में जाते हैं, विवाह या शादी में जाते हैं तो सरकारी अफसर लोग उनके पीछे होते हैं। जब मंत्रिमंडल के बड़े-बड़े लोग ऐसा काम करते हैं तो फिर वे अफसर लोग कैसे ईमानदार रह सकते हैं। वे ईमानदारी से जनता की सेवा भी नहीं कर सकते। एक और निवेदन माननीय मुख्य मंत्री जी से करना चाहता हूं कि सूचना विभाग और शिक्षा विभाग में ऐसे जो बड़े-बड़े विभाग हैं उन विभागों में दो सौ रुपये से ज्यादा तनख्वाह पाने वाले अधिकारियों की नियुक्ति होती है। इस प्रदेश के दूसरे विभाग में २०० रु० से ज्यादा तनख्वाह पाने वालों की नियुक्ति आयोग के द्वारा होती है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि १५० रु० से ज्यादा तनख्वाह पाने वालों की नियुक्ति कमीशन के जरिये ही होनी चाहिये। मंत्रिमंडल की ओर से जो कमेटी बनायी है उस कमेटी में ऐसे लोग हैं, जिनके बारे में यह कहना मुश्किल है कि वे सन्देह से परे हैं। ऐसी कमेटी के द्वारा जो दो सौ रुपये से ज्यादा तनख्वाह वाले अफसर चुने जायेंगे उनका निष्पक्ष होना नामुमकिन है। इसलिये मैं चाहता हूं कि पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिये ही ऐसे लोग चुने जायं, जिससे उनके ऊपर कोई उंगली भी नहीं उठा सके। ऐसे लोगों की नियुक्ति आयोग की सिफारिश पर ही करनी चाहिये।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ:—

पक्ष में—७८,

विपक्ष में—१५।)

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—अध्यक्ष महोदय, हम लोग इस ख्याल में थे कि प्रोग्राम के मुताबिक इसके लिए २ दिन रखे गये हैं और हम समझते थे कि ५२-५३ की रिपोर्ट पर आज और ५३-५४ की रिपोर्ट पर कल विवाद होगा, लेकिन अब हमें पता लगा कि इन दोनों के डिबेट का क्लोजर हो गया। मुझे मालूम हुआ है कि हमारे विरोधी दल के नेता भी इस पर बोलना चाहते थे, हमने अभी मुख्य मंत्री जी से भी प्रार्थना की थी कि अब अगर आप इजाजत दें और माननीय मुख्य मंत्री जी को एतराज न हो तो नेता विरोधी दल को और बोलने का अवसर दे दें वैसे क्लोजर तो अब हो ही चुका है।

श्री अध्यक्ष—अगर एक भी मेम्बर इसके विरोध में न हो और सर्वसम्मति से यह बात सब को स्वीकार हो तो मैं इजाजत दे सकता हूं, क्योंकि सर्वसम्मति से कोई भी निश्चय उल्टा जा सकता है। मैं जानना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी क्या चाहते हैं।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि इसमें किसी को आपत्ति नहीं है और केवल एक ही भाषण के लिए यह सर्वसम्मति है।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं इस धर्म संकट में हूं कि मुझे आप यह आज्ञा दे दें कि कितनी देर में मैं अपने भाषण को समाप्त कर दूं।

श्री अध्यक्ष—मैंने इस बहस में किसी के लिए समय निश्चित नहीं किया है, इसलिए वह तो मैं आपके लिए भी नहीं करूंगा, वह आप स्वयं सोच लें, जितना सदन का समय बचा सकें वह बचायें और अपनी बात भी पूरी कह लें।

*श्री गेंदा सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा अनुगृहीत हूं कि आपने इतने बड़े महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं जरूर चाहता था कि इस विषय पर जो मेरी राय है वह मैं व्यक्त करूं। मैं ऐसा समझता हूं कि जैसी डेमोक्रेसी हमारे देश में प्रचलित है उसमें जुडीशियरी, पब्लिक सर्विस कमीशन इन दोनों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। लेजिस्लेचर में हम उसके ऊपर विचार कर रहे हैं। अगर ये दोनों हमारे अंग ठीक रहें तो हमारा ऐसा ख्याल है कि फ्री और फेयर इलेक्शंस हो सकते हैं और अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो सकते हैं तो प्रजातन्त्र पर आस्था सारे देश के लोगों की बढ़ सकती है। जितनी ही प्रजातन्त्र के ऊपर सारे देश की आस्था बढ़े, उससे लोग न्याय पाने की आशा करें, उसके ऊपर विश्वास करें उतना ही शान्तिपूर्ण परिवर्तन देश में संभव हो सकता है। हम सफलतापूर्वक परिवर्तन के पुजारी हैं और हम इस बात के इसलिये इच्छुक हैं कि फ्री और फेयर इलेक्शन्स हों और अगर फ्री और फेयर इलेक्शंस की बात जब हम सोचते हैं तो हम यह भी सोचते हैं कि सर्विसेज जो हैं सरकार की वे ईमानदार हों, एफिशियेंट हों और इसी के साथ-साथ ईमानदार और एफिशियेंट होने के लिये यह भी आवश्यक है कि वे भय से भी मुक्त हों। अनावश्यक रूप से उनके ऊपर कोई भय न हो। अपनी ड्यूटी करने में उनको स्वतन्त्रता हो। तो इन्हीं सब बातों

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को ध्यान में जब हम रखते हैं तो फिर यह समझ में बात आती है कि पब्लिक सर्विस कमीशन बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण अंग प्रजातन्त्र का है।

कोई हमारे ही देश में नहीं, दूसरे देशों में भी पब्लिक सर्विज कमीशन्स हैं और उससे नियुक्तियां सरकारी अधिकारियों की हुआ करती हैं। हमारे देश में पब्लिक सर्विस कमीशन केन्द्र में भी है और भारतवर्ष का जो सब से बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है उसमें भी है। मैं पब्लिक सर्विस कमीशन को इज्जत की दृष्टि से देखना चाहता हूं और मैं इस अवसर पर उस सिलसिले में केवल यही कहूंगा कि हमारे सामने उसके कांस्टिट्यूशन का कोई प्रश्न आज नहीं है, लेकिन वह हमारे आदर का पात्र बना रहे इस बात के लिये अगर कुछ लोगों को हमें छोड़ भी देना पड़े और आदर का पात्र वह बना रहे तो उसके लिये हमें तैयार रहना चाहिये, सरकार को तैयार रहना चाहिये। अगर हम उस पब्लिक सर्विस कमीशन को जुडीशियरी को भी लेजिस्लेचर में घसीटने वाली बात करेंगे तो मैं समझता हूं कि वह अपनी ड्यूटी उचित ढंग से नहीं कर पायेंगे। तो मैं समझता हूं कि जिस वक्त नियुक्तियां उनकी हों उस वक्त ध्यान इस बात पर अवश्य रखना चाहिये जिसमें कि चारों तरफ बैठने वाले लोग कम से कम सन्देह की दृष्टि से उसको देख सकें। अगर बिल्कुल सन्देह की दृष्टि से न देखें तो और भी उत्तम है। वह होना चाहिये लेकिन अगर ऐसी बात हो तो कम से कम सन्देह उठ सके। ऐसा बन्दोबस्त करना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, पब्लिक सर्विस कमीशन ने कुछ महत्वपूर्ण बातों की तरफ हम लोगों का ध्यान दिलाया है। मुझे बहुत अच्छी लगी उसकी यह बात कि उसने कुछ शिक्षा की प्रणाली की तरफ और कुछ बेरोजगारी की तरफ ध्यान दिलाया है। सभी इस बात को मानते हैं कि हमारे देश में बेकारी बढ़ रही है। पब्लिक सर्विस कमीशन एक ऐसा अधिकार लिये हुए एक संस्था बैठी हुई है कि जिसके कहने पर सरकार का ध्यान अवश्य उस तरफ आकर्षित होगा और विधान सभा का भी ध्यान उस तरफ आकर्षित होना चाहिए। सन् १९५२-५३ की जो रिपोर्ट है, १९५३-५४ में भी उसका जिक्र है कि हमारे देश में जो नौकरी करने वालों की संख्या, अभ्यर्थियों की, दरख्वास्त देने वालों की हुई उससे उसने यह समझा कि हमारे देश में बेकारी बढ़ रही है। तो यह कोई आज का प्रश्न नहीं है कि हम उसमें यह कहें कि आज पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करते हुए उस बेकारी के निवारण का भी उपाय ढूंढ़ा जाना चाहिए। लेकिन मैं अपनी उन दलीलों के पक्ष में कि सारे देश में जो बेकारी बढ़ रही है उसके लिए सरकार को प्रयत्नशील होना चाहिये और सरकार का वजूद मैं समझता हूं कि देश के बसने वालों को रोजी-रोटी देने के लिए है। अगर सरकार रोजी-रोटी नहीं दे सकती तो मैं नहीं समझता हूं कि उसकी कोई जरूरत है। पब्लिक सर्विस कमीशन की इस रिपोर्ट के बाद सरकार को इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए कि हम इस बेकारी और बेरोजगारी को कैसे हल कर सकते हैं।

मैं इस बहस को जबरदस्ती योजना की बहस में नहीं बदलना चाहता। लेकिन इतनी बात मैं जरूर याद दिलाऊं कि हमारी पंचवर्षीय योजना पूरी होने पर भी, उसमें भी जो हमारा हिसाब-किताब है, वह हिसाब-किताब बतलाता है कि हम आज जहां हैं उससे आगे नहीं जायेंगे बल्कि उससे कुछ पीछे चले जायेंगे। यह बड़ी गम्भीर समस्या है और डेमोक्रेसी को खतरे में डालने वाली है। इसलिए मैं समझता हूं कि उसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की तरफ ध्यान दिलाया है और हमारा ध्यान उस ओर जाना चाहिए। दूसरी बात जो शिक्षा की उन्होंने कही, अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के सम्बन्ध में आप तो जानते ही हैं, मैं शिक्षा जगत से जिस वक्त लोग शिक्षा पाते हैं, उस समय में उससे दूर रहा। मैं पढ़ नहीं पाया किसी यूनिवर्सिटी में, किसी स्कूल में भी। इसलिए मैं डरा करता था पहले कि उस पर कोई रायजनी न किया करूं। अब मुझे ऐसा लगता

[श्री गेंदा सिंह]

है कि अगर मैं कुछ न कहूंगा तो मैं कर्तव्य से विमुख हो जाऊंगा। कहना चाहिए मुझे। मुझे स्वयं ऐसा लगता है कि हम बड़ी भूल कर रहे हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन यह कहता है कि हमारे सामने जो अभ्यर्थी आये उनसे जो मैंने पूछा तो वह कहते हैं कि इनका ज्ञान कोरा ज्ञान है। बेचारे ऐसे अभ्यर्थी हमारे सामने आये हैं, जिन्होंने केवल टेक्स्ट बुक रखी है। और उसको रट करके परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने का काम उन्होंने किया। लेकिन योग्यता प्राप्त करने का काम उन्होंने कतई नहीं किया और मैं भी कुछ समझने लगा कि योग्यता प्राप्त करना कोई और चीज है और परीक्षा में उत्तीर्ण होना कोई और चीज है। दोनों में अन्तर है। अगर वे योग्य नहीं हैं तो हम चाहे ४८ अरब रुपये खर्च कर लें, चाहे २३ अरब रुपये जो पीछे खर्च कर चुके हैं वह खर्च कर लें, सारे देश के साधन इकट्ठा करके सब खर्च कर लें, लेकिन अगर योग्यता नहीं है तो उस खर्च से देश की बेकारी और तकलीफ दूर होने वाली नहीं है।

मैं माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान दिलाऊं, मेरे दिमाग से खुद ही उतर गया। एक कमेटी गवर्नमेंट आफ इंडिया ने बैठायी थी। उन्होंने सरकारी नौकरी के लिए कहा था कि नियम बनाये जायं कि किस तरह से उनकी भर्ती की जाय। उस पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, उस रिपोर्ट का कुछ हिस्सा मुझे पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने पढ़ा और उन्होंने भी कुछ सुझाव दिये। अध्यक्ष महोदय, प्लानिंग किसी हालत में चल नहीं सकती। अगर सोलहो आने हमारी सर्विसेज ईमानदार न हों, १६ आने ईमानदार में मैं ४ आने छोड़ता हूं, इतनी गड़बड़ भी हो तो २५ प्रतिशत डिसकाउन्ट देने को तैयार हूं। तो अगर वह नहीं ईमानदार हैं तो फिर हमारा काम नहीं चल सकता। इसलिये फिर योग्यता चाहिये। तो अगर पब्लिक सर्विस कमीशन की इस बात पर हम गौर करेंगे तो फिर इस पर हमको गौर करना पड़ेगा कि हम किस तरह से शिक्षित करें लोगों को कि वह इम्तहान भी पास करें और योग्यता की प्राप्ति उनको हो जाय। योग्यता प्राप्त होने के माने मैं ऐसा समझता हूं कि देश की क्या आवश्यकता है और उस आवश्यकता को वह पूरा करता हो, तो योग्यता प्राप्त हो गई और देश की आवश्यकता को न पूरा करता हो तो अयोग्य है। अब देश की आवश्यकता को कौन समझेगा। इस माननीय विधान सभा से अधिक देश की आवश्यकता को समझने की ताकत शायद किसी को नहीं है और सारे देश के पवित्र अधिकार को ले करके और कीमती थाथी लेकर सरकार बैठी हुई है। तो अगर सारे देश की जनता की आवश्यकता को सरकार नहीं समझ सकती तो फिर मैं समझता हूं कि और कोई समझने में समर्थ नहीं हो सकता। अच्छा, अगर सरकार आवश्यकता समझती है तो अपनी शिक्षा प्रणाली उस ढंग पर बदलती क्यों नहीं। फिर पब्लिक सर्विस कमीशन को वहां पर बिठा कर रोना रोने के लिये क्यों मजबूर करती है।

सन् १९५२-५३, १९५३-५४ की ही रिपोर्ट में नहीं, और मैं उसका चर्चा भी नहीं करना चाहता। यह बात तो काफी पहले से भी आ रही है और रोज हम यह बात सोचते हैं कि शिक्षा प्रणाली को हम बदलें जो देश की आवश्यकता को पूरा करे। जो खामियां हैं उन पर हमें विचार करना चाहिये और विचार करके मैं समझता हूं कि ऐसा बन्दोबस्त करना चाहिये कि जिसमें देश की आवश्यकता के मुताबिक हम लोगों की शिक्षा-दीक्षा करा पायें। कभी-कभी पंडित नेहरू जी भी इस बात की घोषणा करते हैं कि हमें बी० ए० नहीं चाहिये। हमें इंजीनियर्स चाहिये। मुझे उनसे शिकायत होती है। असल में पंडित जी को तो मैं ऐसा सोचता हूं कि उनको बोलना ही नहीं चाहिये। जो आदमी कुंजी लिये हुए हैं सारी एक्जीक्यूटिव की उसको भाषण देने की आवश्यकता नहीं है। मैं उनकी आलोचना यहां क्या करूं। मेरे मन में यह बात

उठा करती है बराबर कि एक चिट्ठी काफी होगी पंडित जी की और मैं समझता हूं कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब के पास एक चिट्ठी भी आ जाय कि मैं यह सोच रहा हूं कि शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिये तो किसकी ताकत ऐसी है, मैं ताकत की बात तो नहीं कहता, लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि बुद्धि अपील करेगी और उनकी बात सुन ली जाय। आखिर हम ओवरसियर पैदा कर सकते हैं, हम इंजीनियर पैदा कर सकते हैं, हम टेक्नीकल एक्सपर्ट पैदा कर सकते हैं। हम क्यों नहीं अपनी शिक्षा ऐसी बनाते कि जिससे टेक्नीकल एक्सपर्ट निकलें। इन दो किताबों में इस बात का पूरी तरह से रोना है कि हमने दर्जनों लोगों को बुलाया, दर्जनों स्थानों के लिये हमने एडवरटिजमेंट निकाला, लेकिन उम्मीदवार नहीं मिल सके टेक्नीकल स्थानों के लिये। अब यह मैं नहीं कहता कि एक-एक टेक्नीकल एक्सपर्ट के लिये एक-एक स्कूल खोला जाय। लेकिन ऐसे स्कूल कालेज हो सकते हैं जिनमें कुछ मिलते-जुलते टेक्नीकल ज्ञान कराये जायं। उस टेक्नीकल ज्ञान के होने के बाद हमारे जो योजना के काम हैं उनमें सफलता प्राप्त हो।

अध्यक्ष महोदय, जरा बात है आप विचार करेंगे। इस वक्त ओवरसीयरों की इतनी कमी है कि ओवरसीयर अगर हमारी नाक भी काट लें तो हम यह सोचते हैं कि ओवरसीयर से झगड़ा मत करो। सरकार स्वयं इस बात के लिये मजबूर है। अभी चर्चा की माननीय राजनारायण जी ने कि सिंचिल सप्लाई की नाक काट ली इरीगेशन डिपार्टमेंट ने। वजह क्या है, ओवरसीयर की कमी। एक ओवरसीयर को बरखास्त करते समय हमको यह सोचना है कि हम दूसरा कहां से लावें। हम तो अध्यक्ष महोदय, कहते हैं कि हजारों ओवरसियर हमको एक वर्ष या दो वर्ष के भीतर पैदा करने चाहिये। हजारों ओवरसियर अगर हम पैदा करें और जिस तरह से बी० ए० और एम० ए० अपने को सस्ता समझ रहे हैं उस तरह से ये ओवरसियर भी अपने को सस्ता समझने लगें तो ओवरसियर जो अपना वह काम आज कर रहे हैं उस काम से वह कुछ बाज आवेंगे। वह समझते हैं कि हमारा स्थान लेने वाले कहां हैं? जिसकी नौकरी नहीं लगती है वह तो नौकरी के चक्कर में जरूर है, लेकिन जिसकी नौकरी लग गई है वह तो कहता है कि हमारे स्थान को ग्रहण करने वाले लोग नहीं हैं लिहाजा जो इच्छा में आवे सो करो। ज्यादा कुछ चर्चा मैं नहीं करना चाहता।

कभी यह जरूर चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी को अगर फुरसत हो तो मैंने एक डेढ़ महीने में काफी घूमफिर कर समझने की कोशिश की है और मैं बताऊंगा। इत्तफाक से कमलापति जी नहीं हैं इस वक्त उनसे भी मैं बैठकर बताऊंगा कि हो क्या रहा है। तो फिर टेक्निकल लोगों के लिये मेरा यह कहना है कि अगर हमारे करोड़ों रुपये टेक्निकल लोगों की कमी की वजह से अयोग्य लोगों के हाथ बरबाद हो रहे हैं तो हम लाखों रुपया खर्च कर सकते हैं और योग्य लोगों को पैदा करके करोड़ों रुपये को बचा सकते हैं। हम यह नहीं चाहते कि बेकार लोग हो जावें, लेकिन हम यह जरूर चाहते हैं कि जो देश की स्केयरसिटी है वह स्केयरसिटी न रहे। स्केयरसिटी की इकोनामी जो है वह स्वयं एक ऐसी चीज है कि उससे बुराई पैदा होती है। किसी व्यक्ति को दोष देने की मेरी इच्छा नहीं है। लेकिन स्केयरसिटी की इकोनामी ही ऐसी है कि जो देश में भ्रष्टाचार पैदा करती है तो उस स्केयरसिटी की इकोनामी को अगर हम टेक्निकल लोगों की शिक्षा देकर मिटा सकते हैं तो इस पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करते समय हमें उस ओर भी जाना चाहिये और हमें यह फैसला करना चाहिये कि हम अगले दो एक वर्षों में इतने लोगों को ओवरसियर बनायेंगे, इतने लोगों को इंजीनियर बनायेंगे, इतने लोगों को वर्कशाप मैनेजर बनायेंगे, इतने लोगों को टेक्निकल ज्ञान देने की कोशिश करेंगे कि जिससे हमारी पंचवर्षीय योजना के काम में किसी तरह की उनकी कमी न पड़े। दूसरी बात यह कि जब बी० ए० और एम० ए० बनाने में हमको कोई जिम्मेदारी महसूस नहीं होती कि बी० ए० और एम० ए० पास करने

[श्री गेंदा सिंह]

के बाद इनको रोजी भी मिलनी चाहिये तो हम क्यों इससे डरें कि ओवरसियर अगर ज्यादा पैदा हो गये तो कहां जायेंगे, इंजीनियर ज्यादा हो गये तो कहां जायेंगे ? बी० ए० कहां जाते हैं, एम० ए० कहां जाते हैं ? जिस तरह एम० ए० और बी० ए० का हाल है वही हाल इनका भी होगा। लेकिन इससे फिर हमारी प्लानिंग का काम तो नहीं सफर करेगा।

टेक्निकल एक्सपर्ट बिना तो अब इस रिपोर्ट में मैं कहां-कहां बताऊं सारी जगह यही कहा गया है कि हमने ऐडवर्टाइज किया लेकिन नहीं आये, उनकी जगह अयोग्य लोगों को रखना पड़ा या नहीं रखना पड़ा। कानपुर के वर्कशाप में आदमी इसलिये नहीं मिला कि उम्र कम थी, इसलिये वहां नियुक्ति नहीं हुई। अब वर्कशाप में लाखों रुपये की खरीद-फरोख्त होती है। मैनेजर नहीं रख पाते हैं, और मैनेजर नहीं रख पाते हैं तो सिर्फ उम्र की कमी से। तो सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिये कि या तो उम्र के उस बंधन को वह हटाये या इस प्रकार के लोगों को पैदा करने की कोशिश करे और इस प्रकार के लोगों को बनाने की कोशिश करे। तो मैं इस बात पर बहुत जोर देना चाहता हूं कि टेक्निकल ज्ञान कराने के लिये देश में लोगों को बढ़ावा देना चाहिये, कालेज खोलने चाहिये, स्कूल खोलने चाहिये। अगर यह लोग निकलेंगे, बेकार होंगे तो इसमें शक नहीं कि वह कुछ कर भी सकते हैं, कहीं कुछ ग्रामोद्योग में जा सकते हैं, कुछ काटेज इंडस्ट्री में जा सकते हैं, उनका तो शुरू से ही जीवन ऐसा होता है कि कुछ काम धंधा करने की प्रवृत्ति होती है और बी० ए०, एम० ए० होने में मैं ऐसा समझता हूं कि लड़के कुछ ऐसा सोचते हैं कि इसमें हाथ से काम करना जहालत का काम है। और फिर उन कामों की तरफ उनका ध्यान ही नहीं है। लेख तो बेचारे लिख सकते हैं। लेकिन लेखों के लिये इतने अखबार और किताबें छपनी चाहिये और पढ़े-लिखे लोगों का देश में अभाव है। जो कुछ लोग पढ़ते हैं वह फिर किताबें पढ़ना छोड़ देते हैं, दूसरी चीजें पढ़ना चाहते हैं। न इतनी लाइब्रेरी हैं और न उतने अखबार हैं कि लेख छाप कर अपना गुजारा करें। वे हथौड़े बना सकते हैं। क्योंकि पुराने जमाने के हथौड़ों से मेहनत पड़ती है तो वह ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे कम मेहनत पड़े। तो जब कुछ टेक्नीकल ज्ञान होगा तो इम्प्रूव्ड मैथड होगा और अगर इम्प्रूव्ड मैथड होगा तो वह बेकार नहीं रह सकते। और अगर बेकार भी रहेंगे तो मैं बी० ए०, एम० ए० होकर बेकार रहने से ओवरसियर होकर बेकार रहना और इंजीनियर होकर बेकार रहना बेहतर समझता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार की एक बात में तारीफ भी करना चाहता हूं और वह है हिन्दी और अंग्रेजी वाले मामले में। मेरा जैसा आदमी अगर हिन्दी की तारीफ न करे तो फिर वह रहेगा कहां ? मैं तो हिन्दी वाला हूं ही। मैं चाहता हूं कि सारे संसार पर हिन्दी का साम्राज्य तो न हो---साम्राज्यवादी मनोवृत्ति का तो मैं नहीं हूं, लेकिन प्रेम से जरूर चाहता हूं कि हिन्दी सारे संसार में पहुंच सके और सारे संसार में न पहुंच सके तो भारतवर्ष में तो उसका लोग आदर करें, उससे लाभ उठायें। पब्लिक सर्विस कमीशन को मैं कहना चाहता हूं इस मौके पर कि उसको अपनी व्यवस्था बदलनी चाहिये। पब्लिक सर्विस कमीशन ने हिन्दी वाले मामले में कहा कि कुछ हिन्दी के जो उत्तर देने की प्रथा हो गयी है इसलिये कुछ स्तर गिर रहा है। मैं ऐसा समझता हूं कि कहीं तो उस खतरे को हमें लेना ही पड़ेगा। मैं यह माने लेता हूं कि स्तर गिर ही गया तो सवाल उठाना पड़ेगा कि स्तर है क्या ? बुलगानिन साहब और ख्रुश्चेव साहब, जब उस भाषा में हम बोलते हैं तो नहीं समझते कि स्तर गिरा, लेकिन हिन्दुस्तानी आदमी समझता है कि अगर अंग्रेजी में नहीं बोलेंगे तो स्तर गिर जायगा। मुझे आपकी अदम मौजूदगी में इस समस्या का सामना करना पड़ा है। मैंने दूसरे की मदद से लिखवा कर अमेंडमेंट दिया था और वह भी अवैधानिक करार हो गया, तो मैं यहां किस से बदलवाऊं ? कहा मुझसे कि दूसरों की सहायता से ऐसा करा लो। मुझे बड़ा अपमान मालूम हुआ। मैंने कहा कि नहीं, हमारी स्टेट की भाषा हिन्दी है। अमेंडमेंट हमारा आवे या न आवे, मैं किसी की मदद से अमेंडमेंट नहीं लाऊंगा।

मैं कोशिश करता हूं कि कभी अंग्रेजी बिल आवें तो कोई अमेंडमेंट न दूं। मैं ऐसा समझता हूं कि हमारा स्तर गिरता नहीं है।

सरकार ने कई मौके पर थोड़ी मजबूती वे काम लिया और पब्लिक सर्विस कमीशन को दो तीन मर्तबा हमारा ख्याल है कि एक मर्तबा से ज्यादा उसने जवाब दिया, आग्रह किया कि आपको हिन्दी के बारे में ख्याल बदलना चाहिये और मैं ऐसा समझता हूं कि शायद पब्लिक सर्विस कमीशन का कुछ ख्याल बदला भी। मैं आज इस विधान सभा से कहना चाहूंगा कि कम से कम इस संबंध में जो कुछ कह रहा हूं अपनी राय दें, जिससे कि आने वाले जमाने में इसमें सुधार हो। मैं जिस वक्त हिन्दी का नाम लेता हूं उस वक्त गांधी जी वाली हिन्दी हमें याद रहती है। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बेबसी बताऊं, इस पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट में कुछ शब्द हैं ऐसे, जो मेरी समझ में नहीं आये। दूसरे लोग कहेंगे कि बेवकूफी की बात क्यों कह रहे हो। आम तौर से मैं ऐसा समझता हूं कि हिन्दी के वही शब्द आयें जो सारे देश के लोग थोड़ा मेहनत के बाद समझ जायं। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि जो पढ़े-लिखे लोग नहीं है उनकी समझ में भी आ जाय। नागरी तो ऐसी चीज है कि कुछ महीनों का देन है तो यह जरूर आ जाना चाहिये और ऐसे शब्द इस्तेमाल किये जायं जिनको आम तौर से लोग समझ सकें। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा और हम जानते हैं कि वह हिन्दी के कितने प्रेमी हैं। लेकिन हमारा और उनका थोड़ा सा अन्तर हो जाता है, क्योंकि वह अपने स्टैन्डर्ड को चाहते हैं और मैं अपने स्टैंडर्ड को चाहता हूं और मैं इस बात का दावा करता हूं कि जो मेरा स्टैंडर्ड है उस हिन्दी को ज्यादा लोग समझते हैं और उनके स्टैंडर्ड की हिन्दी को हम लोग थोड़ी मेहनत के बाद समझते हैं। हम लोगों के लिये माध्यम की जरूरत पड़ गई मैं नहीं समझता कि माध्यम की जरूरत होनी चाहिये। ऐसी हिन्दी इस्तेमाल की जाय जिससे उर्दू वालों को भी कोई शिकायत न हो। पश्चिम के भाइयों को और दूसरे लोगों को जो उर्दू को अपनी भाषा समझते हैं और इसमें गलतफहमी नहीं होनी चाहिये कि हम उर्दू को अपनी भाषा नहीं समझते हैं बल्कि हम तो चाहते हैं कि इस झगड़े को मिटाया जाय।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं कुछ शिकायतें पेश करूंगा और जोरों के साथ कहूंगा कि पब्लिक सर्विस कमीशन में ऐसे मामले आये कि कमीशन ने कहा कि मेहरबानी करके इनका करैक्टर रोल भेज दिया जाय ताकि उनके पदोन्नति के मामले का फैसला कर दिया जाय। उनकी पदोन्नति हो चुकी है, लेकिन सरकारी दफ्तरों से तीन-तीन, चार-चार साल तक एंट्री नहीं जाती है। हम ६४ करोड़ रुपया सर्फ करते हैं अगर इसकी सरकार ऐफीशियेंट न हो और दो-दो, तीन-तीन साल तक कागजात न भेज सके तो मैंने २६ दिन तक जबाब नहीं दिया तो मैं कसूरवार हूं। मैं दो वर्ष तक जवाब न देता तब भी उनको इंतजार करना चाहिये था। मेरे साथ ज्यादती हुई।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आप अब अपना भाषण कल जारी रखें।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

मिट्ठनलाल,
सचिव, विधान मण्डल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
१६ जुलाई, १९५६।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १६–१७ के उत्तर पीछे पृष्ठ १० पर)

श्री महीलाल जी द्वारा विधान सभा में किये गये प्रश्न संख्या १६ व १७ का उत्तर

प्रश्न संख्या	तहसील					
	मुरादाबाद	ठाकुरद्वारा	अमरोहा	बिलारी	सम्भल	हसनपुर
१६—निर्वाचन याचिकाओं की संख्या जो परगनाधीशों के न्यायालयों में दायर हुई ..	५१	३३	४५	३१	६६	५२
१७—कितने नामांकन पत्र अवैध रूप से खारिज करने से संबंधित हैं। ..	११	११	७	७	१५	—
(२) कितने चुनाव में अनियमितताओं के कारण ..	३८	१९	३८	१८	५१	५१
(३) कितने गलत चुनाव फल बनाने के कारण ..	२	३	—	६	—	—

अनुवाद नहीं किया गया